भारत के लोक उद्यमों में [illegible]ण्णता एवं च[illegible]ीय प्रबन्ध

(जनपद इलाहाबाद विशेष के सन्दर्भ में)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल्० उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध - प्रबन्ध

शोध निर्देशक
रीडर
डॉ० ए० के० मुखर्जी
वाणिज्य एवं व्यावसायिक प्रशासन विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय

शोधकर्ता
शीतला प्रसाद श्रीवास्तव
पी०जी०टी० कॉमर्स
केन्द्रीय विद्यालय पवई
मुम्बई

वाणिज्य एवं व्यावसायिक प्रशासन विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
2002

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे शोध निर्देशन मे **श्री शीतला प्रसाद श्रीवास्तव** ने डी० फिल् उपाधि हेतु इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शोध विषय **"भारत के लोक उधमों में रूग्णता एवं चक्रीय प्रबन्ध (इलाहाबाद विशेष के सन्दर्भ में)"** पर अपना मौलिक शोध ग्रन्थ प्रस्तुत किया है। जो कि न तो कही प्रकाशित हुआ है और न ही प्रकाशन हेतु कही भेजा गया है।

शोध-निर्देशक

(डॉ० असीम कुमार मुखर्जी)
रीडर, वाणिज्य एव
व्यवसाय प्रशासन विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

प्राक्कथन

वर्तमान निरन्तर परिवर्तनशील अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियो मे किसी देश के लोक उद्यम की समस्या का गहन विश्लेषणात्मक अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है, ऐसे विश्लेषणात्मक अध्ययन से प्राप्त बहुमूल्य जानकारियॉ किसी देश की वर्तमान प्रमुख लोक उद्यमो की समस्याओ के अभिव्यक्तिकरण में अत्यन्त उपयोगी है। इसके अतिरिक्त किसी अर्थव्यवस्था मे अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड के आधार पर उपयुक्त औद्योगीकरण के स्तर को प्राप्त करने और अन्तर्राष्ट्रीय आवश्यकताओ की तीव्रता के वरीयता क्रम में आवश्यक सन्तुलित लोक उद्यम का विकास करने मे व्यावहारिक दृष्टि से शामिल अग्रिम लोक उद्यमों के बारे मे नियोजन करने और उनके व्यवहार मे अपनाने एवं उनके सामयिक मूल्यांकन करने मे इन जानकारियों का बहुमूल्य उपयोग हो सकता है। अत भारतीय लोक उद्यम प्रबन्ध समस्याओं एवं उनके चक्रीय प्रबन्ध के सम्बन्ध में विश्लेषणात्मक अध्ययन करने हेतु मैने शोध कार्य का संकल्प लिया और इस शोध कार्य के माध्यम से मैने यह प्रयास किया है कि इस विषय पर शोध–ग्रन्थ प्रस्तुत करूँ जो कि केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विशेषज्ञ, शोधकर्ताओ और शोध विषयक अभिरूचियों को उनके व्यावसायिक परीक्षण में बहुमूल्य सिद्ध हो और वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में भारतीय हितो को पूरा करने के क्षेत्र मे भी उपयोगी हो। इस प्रस्तुत किये गये शोध–ग्रन्थ मे शोध विषयक विवेचन के क्षेत्र में यथासंभव सरलतम भाषा एवं शैली का प्रयोग किया, ताकि शोध विषय को आसानी से समझा जा सके और उसका उपयोग राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में आवश्यक सामयिक लोक उद्यम के समस्या व समाधान के लिए प्रयोग किया जा सके मेरी यही अपेक्षा है कि इस क्षेत्र में प्रस्तुत किये गये शोध ग्रन्थ मे शोध विषय का विश्लेषणात्मक विवेचन अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

आभारोक्ति

प्रस्तुत किये गये शोध–ग्रन्थ के सफल अभिलेखन और अपने शोध–कार्य के परिक्षेत्र मे मै अपने आदरणीय शोध–निर्देशक श्री डॉ० ए० के० मुखर्जी रीडर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, वाणिज्य सकाय के प्रति हृदय से आभारी हूँ, जिन्होने अपने वृहद शोधात्मक अनुभवो से मुझको शोध विषयक अभिज्ञान प्रदान करने में अपना बहुमूल्य समय एव सहयोग प्रदान किया। मैने अपने इस शोध–ग्रन्थ में उनके शोध विषयक मौलिक विचारो को अभिव्यक्त किया है, जिनके आधार पर शोध-विषय का वृहद विश्लेषणात्मक विवेचन किया जाना सम्भव हो सका है। शोध विषयक ऐसे विश्लेषणात्मक अध्ययन मे पर्याप्त विषय सामग्री के अभाव मे सफल शोध–कार्य में अभिप्रेरणा का मुख्य श्रेय उन्ही को है। उनके सतत् सहयोग के फलस्वरूप दुर्लभ शोध विषयक अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो सकी, जिसका उपयोग करके शोध–कार्य पूर्ण किया जा सका और शोध–ग्रन्थ अभिलेखन करके उनको प्रस्तुत किया जा सका, इसके लिए मै उनका आजीवन आभारी रहूँगा।

मै विशेष रूप से अपने आदरणीय गुरूजन प्रो० के० एम० शर्मा व एच० के० सिंह के प्रति हृदय से आभारी हूँ, जिन्होने मुझको इस शोध कार्य मे अपना बहुमूल्य समय और आत्मीयतापूर्ण सहयोग प्रदान किया। उनके इस सहयोग के फलस्वरूप मै अपने शोध–कार्य मे सफल हो सका, और इस शोध–ग्रन्थ को प्रस्तुत कर सका। मेरी आशा है कि यह शोध–ग्रन्थ सभी पाठकगणों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

शोध-कर्ता
Srivastava
शीतला प्रसाद श्रीवास्तव
पी० जी० टी० कॉमर्स
(केन्द्रीय विद्यालय, पवई, मुम्बई)

अनुक्रमणिका

प्रथम अध्याय

लोक उद्यम का अर्थ, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य व विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में विकास

प्रस्तावना

लोक उद्यम किसी भी देश के विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह किसी भी देश के लिए आधार स्तम्भ का कार्य करता है। भारत देश के त्वरित आर्थिक विकास मे लोक उद्यमो ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरचनात्मक सुविधाओ के विस्तार, क्षेत्रीय असमानता मे कमी, रोजगार के अवसरो की उपलब्धता, राजकोष मे अशदान, विदेशी मुद्रा अर्जन के क्षेत्र मे भारतीय लोक उद्यमो ने कीर्तिमान स्थापित किया है। बिना लोक उद्यमों की उन्नति के कोई भी देश सम्पन्नता के सर्वोच्च शिखर पर पहुच नही सकता। विश्व के सभी विकसित देश लोक उद्यमो के बल पर ही विकास की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। भारत भी इन उद्योगो के आधार पर ही विकास की ओर अग्रसर है।

लोक उद्यम भारत के चतुर्दिक विकास मे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, देश के प्राकृतिक ससाधनो का पूर्ण उपयोग, आदि के क्षेत्र मे लोक उद्यमो ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। वर्तमान मे भारत के लोक उद्यमों को राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तीव्र प्रतियोगिता का सामना करना पडता है भारत के उन्नति में लोक उद्यमो का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के सविधान मे समाजवादी समाज की स्थापना पर बल दिया गया है। इसी उद्देश्य को ध्यान मे रखकर तथा समाज को उद्योगपतियों तथा व्यवसायियों के शोषण से बचाने के लिए ही लोक उद्यमो की स्थापना की गयी। जिससे उपभोक्ताओं को शोषण से बचाया जा सके तथा देश के तीव्र विकास में लोक उद्यम महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप प्राचीन काल से ही रहा है, परन्तु अधिकांश आर्थिक क्रियाएं निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों तथा

व्यवसायियो के हाथो मे सकेन्द्रित होने के कारण राजकीय हस्तक्षेप सीमित था परन्तु अब स्थिति बदल गई है। आर्थिक क्षेत्र मे राज्य के हस्तक्षेप का स्वरूप दिन–प्रतिदिन बदलने व बढने लगा है और यह एक प्रकार से सरकारी प्रबन्ध तन्त्र का एक आवश्यक अग बन गया है। अब आर्थिक एवं व्यवसायिक क्रियाकलापों मे राज्य का हस्तक्षेप एक आर्थिक अभिशाप अथवा राजकीय निषिद्धता नही रह गया है। अब आर्थिक विषमताओ को समाप्त करने समग्र समाज के हितो की रक्षा एव कल्याण करने आर्थिक विकास प्रक्रिया मे तीव्रता लाने तथा राष्ट्र की आवश्यकताओ को देखते हुए परियोजनाओ को कार्यान्वित करने की दृष्टि से व्यवसाय मे सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है।

इस प्रकार राज्य ने प्राय सभी औद्योगिक एव व्यावसायिक क्रियाओ मे प्रवेश करने का प्रयास किया है। लोक उद्योगों ने देश मे तीव्र औद्योगिक विकास, कृषि यातायात, सवादवाहन के लिए आर्थिक सरचना के निर्माण करने मे महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

1948 की औद्योगिक नीति के प्रस्ताव मे सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के सह–अस्तित्व की आवश्यकता को स्वीकार किया गया था। 1956 की औद्योगिक नीति मे औद्योगीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करने की बात की गयी। इन दोनों ही औद्योगिक नीतियों के अन्तर्गत एक बडा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया जिसमें सुरक्षा सम्बन्धी और मूल उद्योग शामिल किये गये। उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन वाले क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए छोड दिया गया। सरकार की इस नीति के पीछे महत्वपूर्ण कारण थे। देश के औद्योगिक विकास के लिए जिन आधारभूत एवं पूँजीगत उद्योगो की शीघ्र स्थापना की आवश्यकता थी, उन्हे स्थापित करने की निजी क्षेत्र की न क्षमता थी और न ही इच्छा। क्षमता इसलिए नही थी क्योंकि उनके साधन सीमित थे और इच्छा इसलिए नहीं थी क्योंकि इन

उद्योगों की लाभप्रदता अपेक्षाकृत बहुत कम थी। दूसरा कारण यह भी था कि इस प्रकार के उद्योगो मे स्वायत्त निवेश की आवश्यकता होती है और यह निवेश राज्य द्वारा ही सभव है, अत इन्हे सार्वजनिक हित मे रखा गया।

1948 व 1956 की औद्योगिक नीति के आधार पर विभिन्न योजनाओं मे क्षेत्र की भूमिका के अनुरूप ही सार्वजनिक क्षेत्र मे निवेश किया गया। पहली और दूसरी योजना मे कुल निवेश का 54 प्रतिशत, तीसरी योजना में 60 प्रतिशत, चौथी योजना मे 59 प्रतिशत, पांचवी योजना में 57 6 प्रतिशत और छठी योजना में 53 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र मे व्यय किया गया। 1980 की औद्योगिक नीति के बाद उद्योग मे निजी क्षेत्र की भागीदारी का विस्तार हुआ जिसके परिणामस्वरूप सातवी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का कुल निवेश मे हिस्सा 47 8 प्रतिशत रह गया। 1991 की नई औद्योगिक नीति में व्यापक स्तर पर उदारीकरण के प्रभाव स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका और सीमित कर दी गयी और आठवी योजना के कुल निवेश का केवल 45 2 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र मे व्यय किया गया। नौवी योजना के प्रारूप के अनुसार इसे काफी कम करके कुल निवेश का केवल 33 प्रतिशत कर दिया गया है।

लोक उद्यम से आशय :-

सरकार के स्वामित्व व नियन्त्रण के अधीन आने वाली सभी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक इकाइयां लोक उद्यम कहलाती है।

प्रो0 ए0 एच0 हैन्सन के अनुसार "लोक उद्यम का आशय सरकार के स्वामित्व एवं संचालन के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक कृषि वित्तीय एव वाणिज्यिक सस्थाओं से है।"[1]

प्रो0 एस0 एस0 खेरा के शब्दों में "लोक उद्योग से तात्पर्य सरकारी स्वामित्व में स्थापित एवं नियंत्रित ऐसी स्वशासित अथवा अर्द्धस्वशासित निगमों एवं कम्पनियों से है जो औद्योगिक और वाणिज्यिक क्रियाओं में लगी हो।"[2]

(1) **हैन्सन ए0 एच0**,पब्लिक इण्टरप्राइज एण्ड इकोनोमिक डेवलपमेण्ट, लण्दन राउटलेज एण्ड कीगन पाल लिमिटेड, 1972, पेज नं0 3
(2) **खेरा एस0 एस0**, गवर्नमेन्ट इन बिजनेस, नेशनल पब्लिशिग हाउस न्यू देलही, 1977 पेज न0 4

लोक उद्यम को ब्रिटेन में पब्लिक कारपोरेशन, कनाडा मे क्राउन कारपोरेशन, आस्ट्रेलिया मे सवैधानिक निगम, राज्य अमेरिका मे इन्हे सरकारी निगम के नाम से सबोधित किया जाता है। फ्रास मे सरकार के औद्योगिक उपक्रम व इटली में सार्वजनिक निगमो, नगर पालिकाओ तथा स्वायत्तशासी सरकारी विभाग से लिया गया है।

प्राचीन समय मे व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्वतत्रता की प्रधानता थी। प्रत्येक पूंजीवादी देश मे आर्थिक गतिविधियों का सगठन एव संचालन निजी क्षेत्र के अन्तर्गत होता था। अहस्तक्षेप की नीति अथवा स्वतन्त्र व्यापार की नीति का प्रचलन था। इस नीति के अनुसार उपभोक्ता एव व्यापारी किसी भी यात्रा एवं मूल्य पर वस्तुओ का क्रय-विक्रय करने के लिए स्वतन्त्र थे तथा राज्य का हस्तक्षेप उचित नही समझते थे। उस समय सरकारी हस्तक्षेप केवल आन्तरिक शान्ति बनाने, वाह्रय आक्रमणों से रक्षा करने तथा लोकोपयोगी सेवाओ तथा कार्यों तक ही सीमित था। उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध से व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में सरकार के हस्तक्षेप के लिए कुछ अनुकूल वातावरण बनना प्रारम्भ हुआ। बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ से ही इस विचारधारा को पर्याप्त आधार प्राप्त हो गया कि किसी देश के आर्थिक जीवन मे सरकार का सहयोग एवं सक्रिय भूमिका आवश्यक है।

प्राचीन भारत में सार्वजनिक क्षेत्र :-

आर्थिक क्रियाओं में सरकार के हस्तक्षेप के सम्बन्ध में चन्द्रगुप्त मौर्य का शासन काल स्मरणीय है। ईसा से 300 वर्ष पूर्व चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भी सरकार व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्रियाओं में सक्रिय भाग लेती थी। चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्य में उद्योगो को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए विभिन्न विभागों के अध्यक्ष नियुक्त किये जाते थे, जैसे लोहाध्यक्ष, अंकराध्यक्ष, खानों का अधिकारी, लवणाध्यक्ष (नमक का अधिकारी) आदि।

(1) महाभारत का कौटिल्य अर्थशास्त्र में इस बात का पर्याप्त विवेचन उपलब्ध है कि प्राचीन भारत में मानव जीवन के समस्त सामाजिक, आर्थिक एव धार्मिक पहलुओ से राज्य की क्रियाओ का किसी न किसी रूप मे सम्बन्ध अवश्य था। उस समय के आर्थिक जीवन मे सरकारी हस्तक्षेप दो रूप में होता था। प्रथम उद्योगो को सरकारी सहायता तथा दूसरे सरकार द्वारा व्यवसाय एव उद्योगो का नियमन किया जाना। गौतम बुद्ध के काल में मूल्यो का नियमन सहकारिता के रूप मे होता था जिस पर भारत समाज आधारित था। लोकोपयोगी सेवाओ एव कार्यो मे सरकार के हस्तक्षेप की अनुमति उपलब्ध थी। इस प्रकार प्राचीन भारत मे समाज के सम्पूर्ण आर्थिक जीवन के प्रबध एवं नियमन मे राज्य निकटता से सहयोग करता था।

मध्यकालीन भारत में सार्वजनिक क्षेत्र :-

भारत का मध्यकाल मुगलशासन से सबन्धित है इस काल में राजा उद्योगों को सरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान करता था। इस अवधि मे आगरा, लाहौर, फतेहपुर एव अहमदाबाद मे अनेक सरकारी उद्योग स्थापित हुये। इस काल में सार्वजनिक उद्योगों मे निम्न लक्षण थे :-

(1) निजी उद्योगपतियो द्वारा भी कारखाने सचालित किये जाते थे। लेकिन निजी क्षेत्र के कारखाने किसी भी प्रकार से शाही कारखानो के आकार व्यवस्था तथा उपकरण की दृष्टि से बराबरी नही कर पाते थे।

(2) इस अवधि में स्थापित राजकीय उद्योगों में प्रमुख रूप से रेशम एवं सन उद्योग धातु एवं खनिज उद्योग आदि थे।

(3) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कोर्स पर नियन्त्रण हेतु खान-ए-सामान नामक मन्त्री की नियुक्ति की जाती थी।

(4) सभी उपक्रमो के सम्बन्धो मे अलग–2 निदेशको की नियुक्ति की जाती थी। ये निदेशक मन्त्रियों तथा अन्तिम रूप से राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे।

भारत में आधुनिक लोक उद्योगों का विकास

इसका अध्ययन दो भागो मे किया जा सकता है।

(अ) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व विकास :–

इस समय ब्रिटिश शासन था। उन्होने भारतीय अर्थव्यवस्था को उतना ही विकसित होने दिया जितना उनकी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक था। 1600 ई0 मे ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना के पश्चात से 1757 ई0 तक भारत का कम्पनी के साथ व्यापार लाभकारी रहा, क्योकि ईस्ट इण्डिया कम्पनी बहुमूल्य धातुओ के बदले मे यहॉ बने कपडे तथा मसाले खरीदती थी। भारतीय वस्त्रो की इग्लैण्ड तथा अन्य यूरोपीय देशो में भारी मांग थी। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय कपडो के ब्रिटेन मे प्रवेश पर भारी आयात शुल्क और जुर्माना लगाने का निर्णय लिया, जिसके बावजूद भारत में बने रेशमी व सूती वस्त्र 18 वी शताब्दी के मध्य तक विदेशी बाजारो में जमे रहे।

1857 के प्लासी के युद्ध के पश्चात भारतीय उद्योगों का विकास तीव्र गति से होने लगा।

इस प्रकार भारत में ब्रिटिश कारखानो के लिए कच्चा माल उत्पादित करने तथा उनमें बनी हुई वस्तुओं को विक्रय करने के लिए एक विस्तृत बाजार बनाने का हर सम्भव प्रयत्न किया गया, लेकिन राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिनसे बाध्य होकर सरकार को सन 1830 में गणितीय संयंत्र कार्यालय की स्थापना करनी पडी जिसे वर्तमान समय मे संयंत्र कारखाना के नाम से जाना जाता है इसके पश्चात

सन 1835 मे डाक व्यवस्था को प्रारम्भ किया गया तथा सन् 1839 में प्रथम प्रायोगिक टेलीग्राफ लाइन का निर्माण किया गया। लोक उद्योगों की वर्तमान सरचना में महत्वपूर्ण रेल उद्योग का प्रारम्भ भी इसी समय सन् 1839 मे किया गया। सन् 1888 में मैसूर राज्य मे सरकार द्वारा स्थापित सूती वस्त्र उद्योग की महबूबशाही गुलबर्गा मिल्स कम्पनी उल्लेखनीय है।

19 वी शताब्दी के उत्तरार्द्ध मे मशीनो पर आधारित आधुनिक उद्योगो की स्थापना प्रारम्भ हो गई। 1918 में औद्योगिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके फलस्वरूप 1922 से उद्योगों को विवेचनपूर्ण सरक्षण प्रदान किया गया। पूर्व के उत्पादन की तुलना में 1939 मे सूती कपडे तथा कागज का उत्पादन ढाई गुना तथा इस्पात का उत्पादन आठ गुना बढ गया। चीनी उत्पादन 1932 से 1936 के बीच आत्मनिर्भरता प्राप्ति के स्तर तक बढ गया। सीमेन्ट, माचिस, शीशा, साबुन वनस्पति घी एव इंजीनियरिग वस्तुओ के उत्पादन मे भी काफी बढोत्तरी हुई। 1927 में सूती वस्त्र उद्योग को संरक्षण प्राप्त हो जाने से इसका विकास और तेजी से हुआ। 1931 मे सूती कपडे की मिलो की संख्या 278 तक पहुॅच गई, जिनमे से बम्बई में ही 70 मिले थी।

औद्योगिक विकास को नई गति व दिशा पचवर्षीय योजनाओं के श्रीगणेश से मिला।

इस अवधि में लोक उद्योगो की स्थापना एवं विकास के लिए सरकार द्वारा सहायता एवं संरक्षण प्रदान किया गया। सन् 1902 में लोक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रथम हाइड्रो शक्ति परियोजना–शिव समुद्रम को स्थापित किया गया। सन 1916 में भारत के प्राकृतिक साधनो एवं औद्योगिक आयोग की नियुक्ति की गयी। सन् 1921 में देश में भारतीय प्रशुल्क आयोग की नियुक्ति की गयी जिसने भारत के लिए भेद–मूलक संरक्षण नीति को अपनाने का सुझाव दिया। सन् 1930 में प्रसारण विभाग सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया।

लगभग इसी अवधि मे सरकार ने सिक्योरिटी प्रिटिग प्रेस नासिक बन्दूक एव शैल फैक्टरी, काशीपुर (बगाल) आदि लोक आयोग स्थापित किए सन् 1934 मे गार्डेन रीच वर्कशाप कलकत्ता और मेजमॉन डॉक लिमिटेड की भी स्थापना किया गया। जैसे सन् 1937 में निजाम सुगर फैक्टरी लिमिटेड, सन् 1933 में मैसूर सुगर कम्पनी एव 1924 मे उत्तर प्रदेश मे भारतीय वाविन कम्पनी, भारतीय तरपेन्टाइन एण्ड रोसिन कम्पनी आदि को स्थापित किया गया।

इस अवधि मे तृतीय महायुद्ध के कारण लोक उद्योगो को स्थापित एवं विकसित करने के लिए सरकार को अत्यधिक प्रेरणा मिली। युद्ध के पश्चात पुनर्निर्माण की समस्याओं पर विचार–विमर्श करने के लिए सन् 1940 मे औद्योगिक एव वैज्ञानिक शोध मण्डल की स्थापना की गयी। सन 1940 मे श्री बालचन्द्र हीराचन्द्र द्वारा स्थापित हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट फैफ्टरी को भारत सरकार ने सन् 1942 में अपने अधिकार मे ले लिया। सन् 1944 में सरकार ने योजना एव विकास विभाग की स्थापना की। सन् 1945 मे इस विभाग द्वारा औद्योगिक नीति के सम्बन्ध मे एक विवरण प्रकाशित किया गया इस विवरण मे कहा गया है कि सुरक्षा सम्बन्धी उद्योगो, रेल, डाक तथा सार्वजनिक सेवाओं के अतिरिक्त सभी राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए एव अन्य उद्योगो को निजी क्षेत्र मे छोड देना चाहिए इस प्रकार मूलत· इसी समय से मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली का प्रारम्भ हुआ इस अवधि में स्थापित लोक उद्योगों में फर्टिलाइजर्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ट्रावनकोर, प्रागटूल्स लिमिटेड गोहाटी, चालकुडी पोटरी लिमिटेड त्रिपुरा, गोण्डवाना पेण्ट्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड नागपुर रेडियो एण्ड इलेक्ट्रिक मैन्यूफैक्चरिग कम्पनी बंगलौर, गंगानगर शुगर मिल्स मिलिटेड जयपुर उल्लेखनीय है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकास :-

देश मे योजनबद्ध विकास के पूर्व लोक उद्योगो की स्थापना एव विकास हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाये गये। सन् 1948 की औद्योगिक नीति मे निजी एव लोक उद्योगो का क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया। इस वर्ष देश मे दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गयी तथा विद्युत पूर्ति अधिनियम पारित किया गया जिसके आधार पर देश के विभिन्न राज्यों में विद्युत बोर्ड स्थापित किये गये। इसी वर्ष इलियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज बंगलौर की स्थापना का कार्य प्रारम्भ किया गया। इसके पश्चात 1949 मे सरकार ने रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण किया जो लोक क्षेत्र का अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम था नियोजन के पूर्व ही सरकार ने औद्योगिक वित्त निगम, इण्डियन रेयर आर्स लिमिटेड बम्बई नेशनल न्यूज प्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स नेपानगर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि महत्वपूर्ण लोक उपक्रमो की स्थापना की। भारत मे आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया 1950–51 मे प्रारम्भ हुआ जिसका विस्तृत विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट है –

तालिका - 1

लोक उद्यमों के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में कुल व्यय का प्रावधान तथा व्यय का प्रतिशत

पचवर्षीय योजना	कुल व्यय का प्रावधान (करोड रू0 में)	व्यय का प्रतिशत
प्रथम	1980	2 5
द्वितीय	938	20 1
तृतीय	1726	20 1
चतुर्थ	2864	18 2
पांचवीं	8998	22.8

छठी	15002	13 7
सातवी	29220	13 4
आठवी	40588	9 3
नौवी	859000	अनुपलब्ध

स्त्रोत भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2000–2001 पेज न0 3

प्रथम पंचवर्षीय योजना :–

प्रथम पचवर्षीय योजना आरम्भ होने के समय औद्योगिक विकास उपभेक्ता वस्तुओं तक सीमित था। मध्यवर्ती क्षेत्र मे भी उद्योग थे लेकिन अल्पविकसित अवस्था में थे। पूँजीगत उद्योग लगभग नगण्य थे। इस प्रकार, प्रथम पचवर्षीय योजना के आरम्भ के समय भारतीय औद्योगिक संरचना अल्पविकसित थी।

प्रथम पचवर्षीय योजना क्षेत्र में निवेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण नही थी। इस योजना मे कुल व्यय का केवल 2 5 प्रतिशत ही औद्योगिक क्षेत्र के लिए रखे गये। इसके बावजूद, पहली पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि यह रही कि इसमे सार्वजनिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित किए गए जिसमें हिन्दुस्तान शिपयार्ड, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, सिन्दरी उर्वरक कारखाना, इंटिमल कोच फैक्ट्री, नेपा [illegible] विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि के लक्ष्य 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष के स्थान पर वास्तविक वृद्धि दर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही।

दूसरी पंचवर्षीय योजना :–

दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोविस मॉडल पर आधारित थी जिसमें औद्योगिक विकास के लिए मजबूत आधार तैयार करने के उद्देश्य से बडे पैमाने पर मूल व पूँजीगत वस्तु उद्योगों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया।

इस योजना का भारत के औद्योगीकरण के इतिहास मे विशेष महत्व है। इसमे औद्योगिक क्षेत्र के कार्यक्रमो को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई।

दूसरी योजना मे कुल व्यय (4,672 करोड रूपये) का 20 1 प्रतिशत (938 करोड रूपये) औद्योगिक क्षेत्र पर खर्च किये गए। इसी योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र में तीन बडे इस्पात कारखानो की स्थापना की गई जो पिछडे क्षेत्रो (राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर) में लगाये गये। इनके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र मे उर्वरक, रेल इजन व डिब्बे, भारी रसायन, मशीन टूल्स, जहाज आदि का भी निर्माण प्रारभ हुआ। इस योजना में विनिर्माण क्षेत्र मे उत्पादन की वृद्धि दर का लक्ष्य 10 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष रखा गया था। लेकिन 7 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष ही प्राप्त किया जा सका।

तीसरी पंचवर्षीय योजना :-

तीसरी योजना मे औद्योगिक आधार को और मजबूत तथा विस्तृत करने का उद्देश्य रखा गया। इसी उद्देश्य के अनुरूप इस योजना मे भी मूलभूत और पूँजी गत उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। जिन औद्योगिक परियोजनाओं को स्थगित कर दिया गया था, उन्हे भी वरीयता दी गई। दूसरी योजना के समान ही तीसरी योजना में भी कुल व्यय (8,577 करोड रूपये) का 20 1 प्रतिशत (1,726 करोड रूपये) औद्यौगिक क्षेत्र पर खर्च किये गये। इस योजना में कुल औद्योगिक उत्पादन मे वृद्धि दर (15 प्रतिशत से अधिक) प्राप्त की गई।

वार्षिक योजनाएँ :-

तीसरी योजना के बाद योजना प्रक्रिया को तीन वर्ष के लिए स्थगित करना पडा जिसका औद्योगिक विकास के प्रक्रिया पर बुरा असर पडा। कई उद्योगों में विकास को क्षति पहुँची और कई अन्य उद्योगों में उत्पादन की

प्रक्रिया पर असर पडा। 1965–66 मे औद्योगिक सवृद्धि की दर 5 3 प्रतिशत थी जो 1966–77 व 1967–68 मे क्रमश 0 2 और 0.5 प्रतिशत रह गयी । 1968–69 मे इसमे सुधार हुआ और इस वर्ष औद्योगिक उत्पादन की सवृद्धि दर 6 2 प्रतिशत हो गई।

चौथी पंचवर्षीय योजना :–

चौथी योजना में औद्योगिक विकास से सम्बन्धित निम्नलिखित उद्‌देश्य निश्चित किए गए : (1) औद्योगिक विकास की उन योजनाओं को पूरा करना जिनके सम्बन्ध मे पहले निर्णय लिया जा चुका था। (2) वर्तमान तथा भावी विकास के लिए आवश्यक स्तरो तक औद्योगिक क्षमता में वृद्धि करना। औद्योगिक विकास की ये आवश्यकताएँ निर्यात सवर्धन, आयात प्रतिस्थापन अथवा बढती घरेलू मांग से उत्पन्न हो सकता था तथा (3) घरेलू उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए नए उद्योगा की स्थापना ।

चौथी योजना मे कुल निवेश (15,779 करोड रूपये) का 18.2 प्रतिशत (2,864 करोड रूपये) औद्योगिक क्षेत्र के लिए रखे गए। चौथी योजना मे औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 8 से 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक रखा गया था लेकिन वास्तविक वृद्धि दर केवल 3.9 प्रतिशत प्रतिवर्ष ही प्राप्त की जा सकी।

पांचवी पंचवर्षीय योजना :–

पांचवी योजना के औद्योगिकरण कार्यक्रम आत्मनिर्भरता और संवृद्धि के साथ सामाजिक न्याय के उद्‌देश्यो के आधार पर तय किए गये थे। इन कार्यक्रमों में निवेश और उत्पादन के लिए निम्नलिखित संकल्पना की गयी थी. (1) प्रमुख क्षेत्र (Core Sector) उद्योगों का तेज विकास क्योकि ये उद्योग दीर्धकालीन आर्थिक विकास की दृष्टि से विशेष महत्व रखते है। इसलिए इस्पात,

अलौह, धातुओ, उर्वरको, खनिज तेलो, कोयला और मशीन निर्माण उद्योगो में विस्तार को उच्च प्राथमिकता दी गई (2) निर्यात उत्पादक उद्योगों का तेज विविधीकरण और विकास (3) कपडा, खाद्य तेल व वनस्पति, चीनी, दवाईयॉ, साइकिल इत्यादि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओ के उत्पादन विस्तार तथा (4) अनावश्यक उपभोग वस्तुओ के उत्पादन पर रोक।

पाचवी योजना के कुल व्यय (39,436 करोड रूपये) का 22 8 प्रतिशत (8,998 करोड रूपये) औद्योगिक क्षेत्र के लिए रखे गये। इस योजना मे औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर का लक्ष्य 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष रखा गया था लेकिन वास्तविक वृद्धि दर प्रतिशत प्रतिवर्ष रही।

छठी पंचवर्षीय योजना :-

तीस वर्षो के औद्योगिक विकास की गति और दिशा के बारे मे छठी योजना में कहा गया कि ''अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से संरक्षण दिए जाने के कारण, उद्योग कई बार अलाभकारी स्थानों पर स्थापित किए गए तथा उनमे क्षमता के सही प्रयोग की ओर भी ध्यान नही दिया गया। इससे उच्च लागत वाली औद्योगिक संरचना का निर्माण हुआ। तकनीक में सुधार और वस्तुओ की क्वालिटी में सुधार की ओर भी ध्यान नही दिया गया। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र बहुत कम साधनों का सृजन कर पाया तथा क्षेत्रीय असमानताओं की स्थिति में विशेष परिवर्तन नही हुआ।''

छठी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तन की घोषणा की गई। औद्योगिक नियन्त्रणों में ढील दी गई तथा औद्योगिक नीति और आयात–नीति को उदार बनाया गया। परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन मे वृद्धि होने लगी लेकिन इससे औद्योगिक विकास में असन्तुलन भी पैदा हुआ। उदारवादी औद्योगिक नीतियों के परिणामस्वरूप देश में उपभोग टिकाऊ वस्तुओं

का उत्पादन तो तेजी से बढा लेकिन मूलभूत उद्योगो के उत्पादन मे कमी आने लगी।

इस योजना मे कुल व्यय (1,09,292 करोड रूपये) मे औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा 13 7 प्रतिशत (15,002 करोड रूपये) था। इस योजना मे औद्योगिक संवृद्धि की दर 7 प्रतिशत रही।

सातवीं पंचवर्षीय योजना :-

सातवी योजना मे सवृद्धि के साथ विकास और उत्पादकता मे सुधार मुख्य उद्देश्य रखे गये। इन उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए

(1) उचित कीमत तथा क्वालिटी की आम उपभोग की वस्तुओ की आपूर्ति सुनिश्चित करना।

(2) उत्पादन में सुधार लाकर तथा उपलब्ध तकनीकों का बेहतर प्रयोग करके उपलब्ध सुविधाओं का बेहतर प्रयोग सुनिश्चित करना।

(3) घेरलू बाजार तथा निर्यात सम्भाव्य वाले उद्योगों का विकास

(4) इलेक्ट्रॉनिक विकास मे रोजगार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण उद्योगो का विकास।

सातवीं योजना मे कुल व्यय (2,18,730 करोड रूपयें) मे औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा 13 4 प्रतिशत (29,220 करोड रूपये) रहा। इस योजना में औद्योगिक विकास की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 8.4 प्रतिशत प्रति वर्ष रखा था जब कि वास्तविक वृद्धि दर 8.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही।

आठवीं पंचवर्षीय योजना :-

1991 मे नई औद्योगिक नीति आने के बाद निजी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र को अधिकाधिक रूप से मूलभूत (basic) तथा कोर (Core) उद्योगो तक केन्द्रित करने का निश्चय किया गया। इस कारण आठवी योजना मे औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा केवल 9 3 प्रतिशत (40,588 करोड रूपयें) रखा गया था, जबकि वास्तविक व्यव 43,062 करोड रूपये था जो कुल वास्तविक व्यय 5,08,187 करोड रूपयें का मात्र 8 5 प्रतिशत है। योजना औद्योगिक क्षेत्र मे उत्पादन वृद्धि दर का लक्ष्य 7 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष रखा गया था जब कि वास्तविक वृद्धि दर योजना के पॉच वर्षों के क्रमश 2.3 प्रतिशत 6 0 प्रतिशत, 9 4 प्रतिशत, 12 1 प्रतिशत तथा 7 1 प्रतिशत रही है।

आठवी योजना मे औद्योगिक नीति की महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें मात्रात्मक लक्ष्यो पर जोर कम किया गया। विभिन्न क्षेत्रों मे वाछित विकास प्राप्त करने के लिये मात्रात्मक प्रतिबन्धो तथा लाइसेंसिग आदि नियंत्रणों के स्थान पर औद्योगिक, व्यापार तथा राजकोषीय नीतियों में परिवर्तन का सहारा लेने का निश्चय किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय करने की घोषणा की गई।

(1) आधुनिकिकरण, क्षमता व उत्पादन–संरचना पुनर्गठन तथा व्यापक पैमाने पर निजीकरण द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की पुनः सरचना।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना और उसके निष्पादन (Performance) का निरन्तर मूल्यांकन करना।

(3) दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से उद्यम–स्तर पर प्रबन्धन व्यवस्था में सुधार लाना

(4) राज्यों की सार्वजनिक इकाइयों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए प्रयास।

नौवीं पंचवर्षीय योजना :-

(1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक)

नौवी पचवर्षीय योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र में उन राज्यो मे अधिक निवेश किया जायेगा जो अपेक्षाकृत कम साधन सम्पन्न है। क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए पिछडे क्षेत्रो मे औद्योगीकरण की प्रक्रिया को तेज करना नौवीं योजना की एक प्राथमिकता है। योजना आयोग के अनुसार सशोधन नौवी योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 8,59,000 करोड रूपये के परिव्यय मे केन्द्रीय योजना 4,39,000 करोड रूपये की तथा राज्यो एव केन्द्र शासित क्षेत्रो की योजना 3,70,000 करोड रूपये की होगी। योजना के लिए 3,74,000 करोड रूपये की बजटीय सहायता के अतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रमो द्वारा आंतरिक स्त्रोतों से 2,90,000 करोड रूपये के ससाधन जुटाए जायेगे। शेष 1,95,000 करोड रूपये राज्यों व केन्द्रशासित क्षेत्रों के जरिये जुटाए जायेगे।

इस योजना के तहत लोक उद्यमो के माध्यम से सार्वाधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया जायेगा। कुछ लोक उद्यमो के निजीकरण पर भी विचार सरकार द्वारा किया जा रहा है। जिससे कारण लोक उद्यमो की सख्या मे निरन्तर कमी हो और सरकार पर कम से कम वित्तीय बोझ हो। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो पर वित्तीय भार कम करने के उद्देश्य से सरकार ने इनके कर्मचारियों के लिए एक मुश्त मुआवजा देकर ऐच्छिक सेवा निवृत्ति की योजना प्रारम्भ की है इसे गोल्डेन हैन्ड शेक स्कीम कहा गया है।

योजना में औद्योगिक–संरचना में परिवर्तन (Changes ın Industial Pattern durıng Plannıng Perıod)

योजनाकाल में भारतीय औद्योगिक–संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। आजादी के समय भारतीय औद्योगिक–संरचना अल्प विकसित थी तथा

कमजोर आधार पर टिकी हुई थी। इस अवधि मे औद्योगिक सरचना मे निम्नलिखित परिवर्तन हुए है –

(1) योजनाकाल मे भारतीय औद्यौगिक–संरचना मे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। आजादी के समय भारतीय औद्योगिक–सरचना अल्प विकसित थी तथा कमजोर आधार पर टिकी हुई थी। इस अवधि में औद्योगिक सरचना मे निम्नलिखित परिवर्तन हुए है –

(2) औद्योगिक क्षेत्र (विनिर्माण, निर्माण, बिजली, गैस, जलपूर्ति) का पहली योजना के आरम्भ (1950–51) मे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) मे कुल हिस्सा केवल 15 1 प्रतिशत था जो 1980–81 मे 24 4 प्रतिशत तथा 1996–97 में 29 3 प्रतिशत हेा गया। इस प्रकार, योजनाकाल मे सकल घरेलू उत्पाद मे औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा लगातार बढा है। अर्थात देश के आर्थिक विकास मे इसकी भूमिका में लगातार वृद्धि हुई है।

(3) पहली योजना के आरम्भ मे औद्योगिक उत्पाद के सूचकाक में पूंजीगत वस्तु उद्योगो का भाग 19 8 प्रतिशत था जो 1990 मे बढकर क्रमशः 23. 7 तथा 38.4 प्रतिशत हो गया। इस परिवर्तन का मुख्य कारण यह रहा कि आयोजकों क्षेत्र मे निवेश का बडा हिस्सा इन उद्योगों मे लगाया गया क्योकि इन उद्योगों के विकास के अभाव मे औद्योगिक उत्पादन की वांछित वृद्धि दर प्राप्त करना संभव नही था।

(4) पाचवी योजना के बाद अर्थात अस्सी के दशक में औद्योगिक नीति तथा आयात नीति के उदारीकरण के फलस्वरूप उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है।

(5) अस्सी के दशक में धातु आधारित उद्योगों के महत्व में गिरावट आई। इनके स्थान पर रसायन पैट्रो–रसायन तथा अन्य सम्बद्ध उद्योगों में अधिक

तेजी से विकास हुआ। अस्सी के दशक मे औद्योगिक सरचना मे यह महत्वपूर्ण परिवर्तन है।

(6) पहली योजना के आरम्भ के समय सार्वजनिक क्षेत्र में केवल 5 इकाइयॉ थी और इनमे कुल 29 करोड रूपये का निवेश था। 1995–96 मे इनकी संख्या 239 हो गई और कुल निवेश 1,73,874 करोड रूपये हो गया। इस प्रकार योजनाकाल मे सार्वजनिक क्षेत्र का न केवल विस्तार व विकास हुआ बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र ने आधारभूत और पूँजीगत उद्योगो के विकास और विस्तार के द्वारा निजी क्षेत्र के तीव्र विकास मे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

योजनाकाल में औद्योगिक विकास का मूल्यांकन

(A review of industrial development during planning period)

औद्योगिक विकास के मूल्यांकन की दृष्टि से सम्पूर्ण योजनाकाल चार चरणों मे बांटा जा सकता है।

(1) 1951 से 1965 तक

(2) 1965 से 1980 तक

(3) 1981 से 1990 तक

(4) 1991 से आज तक

औद्योगिक विकास के पहले चरण का समय 1951 तक है जिसमें प्रथम तीन योजनाएँ पूरी हुई। यह समय भारतीय उद्योगो के विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योकि इसी काल मे भारतीय औद्योगिक विकास की नींव रखी गयी। इस काल मे मूलभूत वस्तु उद्योगों तथा पूँजीगत वस्तु उद्योगो के विकास पर विशेष बल दिया गया और इस कार्य में महत्वपूर्ण सफलता मिली। यद्यपि इन तीनों योजनाओं में औद्योगिक संवृद्धि–दर के लक्ष्य को प्राप्त नहीं

किया जा सका लेकिन इन तीनो योजनाओ मे औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर में क्रमश वृद्धि हुई। यह दर पहली योजना मे 5 7 प्रतिशत, दूसरी योजना मे 7 2 प्रतिशत और तीसरी योजना मे 9 0 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही।

इन तीनों योजनाओं में पूँजीगत वस्तु उद्योगो की सवृद्धि दर क्रमश 9 8 प्रतिशत, 13 1 प्रतिशत और 19 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष रही। इन तीनों योजनाओं मे क्रमश 4 7 प्रतिशत 12 1 प्रतिशत और 10 4 प्रतिशत रही। मूलभूत वस्तु उद्योगो और पूँजीगत वस्तु उद्योगो की सवृद्धि दर को देखने से स्पष्ट है कि योजनाकाल के पहले चरण (1951–65) मे औद्योगिक विकास के लिए मजबूत आधार तैयार करने मे महत्वपूर्ण सफलता मिली जिसका काफी श्रेय सार्वजनिक क्षेत्र में पर्याप्त निवेश को जाता है।

औद्योगिक विकास के दूसरे चरण का समय 1965 से 1980 तक है। इस काल को औद्योगिक मदी व सरचात्मक प्रतिगमन (Structural Retrogressıon) का काल भी कहा जाता है। इस काल मे औद्योगिक संवृद्धि दर में तेज गिरावट आई। 1965 से 1976 के मध्य संवृद्धि दर केवल 4 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। पाचवी योजना मे सवृद्धि–दर 6 1 प्रतिशत थी जो 1979–80 में ऋणात्मक (–1.6 प्रतिशत) हो गई।

इस काल (1965–76) मे पूँजीगत वस्तु उद्योगो की वार्षिक सवृद्धि–दर 2.6 प्रतिशत रह गई। मूलभूत वस्तु उद्योगों की वार्षिक संवृद्धि दर मे भी तीव्र कमी इस बात का प्रमाण है कि इस काल मे सरचनात्मक प्रतिगमन हुआ। इस काल मे उन्ही उद्योगों की सवृद्धि–दर अधिक थी जो उच्च आय वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे थे।

इस मंदी और संरचनात्मक प्रतिगमन के कई कारण थे। इसमें प्रमुख भूमिका कुछ बाह्य कारकों की रही जिसमे 1968 व 1971 के युद्ध, कुछ वर्षो में सूखे की स्थिति, आधारित संरचना का अपूर्ण या अल्प विकास तथा

अस्सी के दशक मे औद्योगिक पुनरूत्थान के कारणो मे उदार औद्योगिक तथा राजकोषीय नीति, कृषि क्षेत्र की माग मे वृद्धि, सेवा क्षेत्र का तीव्र विस्तार तथा आधारित संरचना मे निवेश मे वृद्धि तथा दक्षता (Efficiency) मे सुधार प्रमुख है।

इस काल मे उद्योगो में प्रवेश पर प्रतिबन्धो में कमी की गयी, गई प्रौद्योगिकी और उच्च माल के आयात के लिए सुविधाएं और छूट प्रदान की गयी तथा स्थापित क्षमता के उपयोग मे लचीलेपन की अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त बडे राजकोषीय घाटे, ऊँची दर पर अधिक ऋण तथा निबचत (Dissaving) में वृद्धि हुई। कृषि क्षेत्र में भी बडे किसानो की आय मे वृद्धि के कारण उपभोग वस्तुओ तथा कृषि में मशीनीकरण के विस्तार के कारण कृषि उपकरण व अन्य आगतों (Input) की माग मे वृद्धि हुई। जिससे उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की माग में वृद्धि हुई। इन दस वर्षो मे आधारित संरचना मे निवेश मे भी तेज वृद्धि हुई जो दूसरे चरण के 4 2 प्रतिशत की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक नही।

नब्बे के दशक में औद्योगिक क्षेत्र मे भारी परिवर्तन हुए। 1991 में औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण का नया युग आरम्भ हुआ। नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत अधिकतर उद्योगों को लाइसेंसिंग प्रणाली से मुक्त किया गया, कार्यकारी नियमो व नियन्त्रणों मे कमी की गयी, निजी क्षेत्र को अधिकतर उद्योगों में प्रवेश की अनुमति दी गई, सार्वजनीक क्षेत्र में अपरिवेश (Disinvestment) की योजना आरम्भ की गई, आय-कर निगम कर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क आदि में कमी की गई तथा घरेलू औद्योगिक क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिये खोला गया। इन सब गतिविधियों के आरंभिक परिणाम औद्योगिक क्षेत्र पर अच्छे नहीं पडे। परिणामस्वरूप 1991-92 तथा 1992-93 में औद्योगिक संवृद्धि दर क्रमश· 0.6 प्रतिशत तथा 2.3 प्रतिशत रही। 1993-94 से

इस स्थिति में थोडा सुधार आया और 1993–94, 1995–96 मे औद्योगिक सवृद्धि दर क्रमश 0 6 प्रतिशत, 9 4 प्रतिशत और 12 1 प्रतिशत रही। लेकिन 1996–97 से इसमे पुन कमी आई और यह केवल 7 1 प्रतिशत रह गई। आर्थिक उदारीकरण के प्रथम दो वर्षो मे औद्योगिक सवृद्धि दर की कमी के कई कारण थे।

(1) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव मे अपनाए गए 'समष्टि आर्थिक समायोजन (Macro economic adjustment) कार्यक्रम के कारण सार्वजनिक क्षेत्र मे पूँजी निवेश में भारी कमी करनी पडी जिसका प्रभाव निजी क्षेत्र मे निवेश पर भी पडा।

(2) 1991 मे भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन के कारण आयातो की कीमत मे वृद्धि हुई जिससे इन पर निर्भर उद्योगों की उत्पादन लागत बढ गई।

(3) उदारीकरण के आरभिक वर्षो मे विदेशी मुद्रा सकट के कारण आयातों में भारी कटौती की गयी।

(4) मुद्रास्फीति रोकने के प्रयास मे बैको की ब्याज दरो मे वृद्धि की गई जिससे साख की लागत (Cost of credit) मे वृद्धि हुई।

इसी समय, कृषि क्षेत्र मे भी संवृद्धि दर मे कमी आने के कारण इस क्षेत्र में मांग में कमी हो गई। सोवियत संध के विघटन के कारण भारत की विनिर्मित वस्तुओ का एक बडा बाजार कम हो गया। मुद्रास्फीति के कारण शहरी क्षेत्रों के लोगों की वास्तविक आय में कमी हुई जिससे वस्तुओं की माग में कमी हुई। सामाजिक व राजनैतिक अस्थिरता के कारण निवेश मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पडा।

1993–94,1994–95 तथा 1995–96 में औद्योगिक संवृद्धि दर में सुधार हुआ और यह क्रमश· 6 0 प्रतिशत, 9.4 प्रतिशत तथा 12.1 प्रतिशत

रही।1994—95 तथा 1995—96 मे पूॅजीगत वस्तु उद्योग मे सवृद्धि दर मे काफी वृद्धि हुई और इन दो वर्षो मे यह क्रमश 24 8 प्रतिशम तथा 17 8 प्रतिशत रही। इसका अन्य औद्योगिक समूहो की सवृद्धि दर पर भी अनुकूल प्रभाव पडा। उपर्युक्त तीन वर्षों मे औद्योगिक सवृद्धि दर मे सुधार के कई कारण है। पहला यह कि नई औद्योगिक नीति का लाभ उठाने मे औद्योगिक क्षेत्र को कुछ समय लगा। दो वर्षो के अन्तराल के बाद औद्योगिक क्षेत्र ने अपने आप को व्यवस्थित कर लिया और उदारीकरण का लाभ उठाने में सक्षम हो गया। दूसरा यह कि आर्थिक उदारीकरण के फलस्वरूप पूॅजी बाजार मे सुधार हुआ तथा विदेशी पूॅजी के उदारीकृत नियमो के कारण निजी क्षेत्रों की सार्वजनीक क्षेत्रो पर निर्भरता मे अपेक्षाकृत कमी आई। तीसरा यह कि उदारीकरण के फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा (Competition) का वातावरण बना जिससे निजी क्षेत्र मे गत्यात्मक (dynamism) की स्थिति उत्पन्न हुई। इससे इनकी कार्यकुशलता और दक्षता में सुधार हुआ। इसके अतिरिक्त विदेशी कम्पनीयो के आगमन के कारण भारतीय निगम क्षेत्र में भी विलयन, एकीकरण आदि की प्रक्रिया तेजी से आरम्भ हुई जिससे पैमानों की बचतो का लाभ उठाने तथा अग्र व पश्च अनुबंधो (Forward and backward linkinges) का लाभ उठाने मे अपेक्षाकृत अधिक सक्षम हुए।

किन्तु उदारीकरण के फलस्वरूप बाजारो का जिस प्रकार प्रसार हुआ, उनका उस स्तर पर बने रहना सभव नही था। यही कारण है कि 1996—97 व उसके बाद से संवृद्धि दर में तेज गिरावट दर्ज की गई है। 1996—97 मे पूॅजीगत वस्तु उद्योग मे वृद्धि दर 5 9 प्रतिशत थी जबकि औद्योगिक उत्पादन की संवृद्धि दर केवल 7 1 प्रतिशत थी। इसका मूल कारण है कि भारत में आय के निम्न स्तर, आय की असमानता तथा सरचनात्मक कमियों के कारण उपभोक्ता व्यय में होने वाली वृद्धि के घरेलू बाजार में गुणाक प्रभाव (Multiplier effect) सीमित होगे। इसका एक अन्य कारण यह भी है कि

उदारीकरण के फलस्वरूप जिस उत्पादन व्यवस्था को प्रोत्साहन मिला है, वह आयातो पर अत्यधिक निर्भर है और उसकी रोजगार सृजन की क्षमता सीमित है। इस कारण, इसमे लोगो की आय बढाने की सामर्थ्य कम है। योजना आयोग के अनुसार सशोधित नौवी योजना मे सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 8,50,000 करोड रूपये के परिव्यय मे केन्द्रीय योजना 4,39,000 करोड रूपये की तथा राज्यो एव केन्द्र शासित क्षेत्रो की योजना 3,70,000 करोड रूपये की होगी। योजना के लिए 3,74,000 करोड रूपये की बजटीय सहायता के अतिरिक्त सार्वजनिक उपक्रमो द्वारा आतरिक स्त्रोतो से 2,90,000 करोड रूपये के ससाधन जुटाए जायेगे। शेष 1,95,000 करोड रूपये राज्यो व केन्द्रशासित क्षेत्रो के जरिये जुटाए जायेगे।

अध्याय - दो

औद्योगिक नीतियों के तहत लोक उद्यमों का विकास

स्वतन्त्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था के बर्बाद हो चुके स्वरूप को पुन: सम्बल प्रदान करने तथा उसका तीव्र गति से विकास करने हेतु औद्योगीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। औद्योगीकरण हेतु नियोजित विकास की प्रणाली का सहारा लिया गया। भारतीय नियोजन के उद्देश्यों मे विकास के साथ–साथ समाजवाद पर आधारित समाज की स्थापना और आय व सम्पत्ति के वितरण मे समानता लाने को भी प्रमुखता दी गई। इन्ही उद्देश्यो से प्रेरित होकर भारत सरकार ने सुव्यवस्थित औद्योगिक नीति अपनायी और उसी के अनुरूप देश का औद्योगिक विकास किया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का औद्योगिक वातावरण अत्यंत दयनीय अवस्था मे था। पूजी तथा कच्चे माल का अभाव, औद्योगिक सम्बन्धो मे रखकर देश की पहली औद्योगिक नीति की 1948 में घोषणा की गयी।

औद्योगिक नीति 1948 :–

6 अप्रैल 1948 को घोषित औद्योगिक नीति के प्रारूप मे मिश्रित अर्थव्यवस्था कायम करने का सुझाव दिया गया था। इस नीति मे सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों का औद्योगीकरण हेतु महत्व स्वीकार करते हुए उद्योगो को स्वामित्व की दृष्टि से चार श्रेणियो में विभाजित किया गया था। ये चार क्षेत्र थे – उद्योगो के प्रथम वर्ग मे अस्त्र–शस्त्र और युद्ध सामग्री के निर्माण परमाणु शक्ति के उत्पादन और नियंत्रण तथा रेल परिवहन के स्वामित्व और प्रबन्ध पर केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार भी दिया गया था कि वह आपातकाल में सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण किसी भी उद्योग को अपने स्वामित्व में ले सकती थी।

इस वर्ग में छ उद्यम शामिल किये गये थें – कोयला, लोहा इस्पात, वायुयान, पोत निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ का वायरलेस यंत्र तथा खनिज तेल। इस वर्ग के उद्योगों की नई इकाइयों की स्थापना का

उत्तरदायित्व सरकार द्वारा निश्चित किया गया था, परन्तु पुरानी इकाइयो को निजी क्षेत्र मे ही बने रहने दिया गया।

तीसरे वर्ग मे उन मूलभूत महत्ता के उद्योगो को सम्मिलित किया गया जिनका आयोजन और नियमन केन्द्रीय सरकार स्वय करना आवश्यक समझती थी। इस लाबी मे राष्ट्रीय महत्व के 18 उद्योगो को सम्मिलित किया गया है।

नमक, मोटर गाडियॉ, ट्रैक्टर, विद्युत, भारी इजीनियरिग, मशीनी औजार, भारी रासायनिक सामग्री, उर्वरक, अलौह धातुए, रबड सचालनशक्ति, औद्योगिक अल्कोहल, सूती व ऊनी कपडा, सीमेण्ट, चीनी कागज, वायु और नौ परिवहन, खनिज और प्रतिरक्षा से सम्बन्धि उद्योग।

उपर्युक्त तीन वर्गों के अलावा शेष सभी उद्योगो को निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित और विकसित करने का अधिकार दिया गया।

1948 की औद्योगिक नीति में लघु तथा कुटीर उद्योगो का महत्व स्वीकारते हुए इसके लिए सरकार द्वारा आवश्यक सुविधाएं जुटाने पर बल दिया गया। उसके अलावा औद्योगीकरण हेतु विदेशी पूँजी के महत्व को भी स्वीकार करने का भी प्रावधान किया गया। विदेशों से तकनीकी के आगमन और भारतीय श्रम के प्रतिरक्षण के लिए विदेशी सहायता ली जा सकती थी, परन्तु इस बात पर जोर दिया गया कि भारतीय उद्यमो मे लगे विदेशी श्रमिकों द्वारा धीरे–धीरे प्रतिस्थापित करने का विचार रखा गया। औद्योगिक शान्ति की स्थापना की जरूरत को महत्वपूर्ण मानते हुए श्रमिकों को न्यायोचित मजदूरी के साथ–साथ पूँजीपतियों को समुचित प्रतिफल देने की सिफारिश भी की गयी।

ओद्योगिक नीति 1956 :–

द्वितीय पचवर्षीय योजना देश के तीव्र औद्योगीकरण को ध्यान मे रखकर तैयार की गई थी अत इसके लिए औद्योगिक नीति मे भी आवश्यक परिवर्तन करना जरूरी समझा गया। सरकार ने समाज वादी समाज की स्थापना को अपना मूल उद्देश्य मानते हुए 30 अप्रैल 1956 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति मे आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने और इसके लिए औद्योगीकरण मे तीव्रता लाने को मुख्य उद्देश्य माना गया था। औद्योगीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र का विस्तार करना आय व सम्पत्ति के वितरण में समानता लाना और इस क्षेत्र मे एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाना भी महत्वपूर्ण समझा गया। इस नवीन नीति की मुख्य विशेषताए निम्न थी।

(1) निम्न औद्योगिक नीति मे 1948 के उद्योगो का वर्गीकरण प्रारूप मे कुछ सशोधन करके उन्हे तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया।

(2) उद्योगो के प्रथम वर्ग मे उन उद्योगो को शामिल किया गया जिन पर केन्द्रीय सरकार का एकाधिकार होगा और उनका पूर्ण दायित्व राज्य पर होगा। इस वर्ग मे 17 उद्योगों को शामिल किया गया। परन्तु इस वर्ग के उद्योगों मे वर्तमान समय में कार्यरत निजी इकाइयों के राष्ट्रीयकरण का प्रावधान नहीं किया गया था। बल्कि उन इकाइयों को स्वयं विकसित होने का समुचित अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया इस वर्ग के उद्योगो को पॉच उपवर्गों में विभाजित किया गया –

(क) सुरक्षा सम्बन्धी उद्योग, जैसे अस्त्र–शष्त्र, युद्ध सम्बन्धी अन्य उपकरण तथा परमाणु शक्ति।

(ख) भारी उद्योग जैसे लोहा और इस्पात, लोहा इस्पात की कास्टिग व फोर्जिग, भारी मशीन निर्माण तथा विद्युत मशीने।

(ग) खनिज उद्योग जिसमे कोयला व लिग्नाइट, खनिज तेल, लोहा, मैगनीज, जिप्सम, गंधक, सोना, हीरा, तॉबा, क्रोम, सीसा, जस्ता,टिन आदि का खनन शामिल था।

(घ) परिवहन तथा सचार जिसमे वायु परिवहन, वायुयान निर्माण, रेल परिवहन जलयान निर्माण, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा वायरलेस उपकरणो (रेडियो रिसीविग सेट छोडकर) को शामिल किया गया था।

(ड0) शक्ति, जिसमे विद्युत का उत्पादन किया तथा वितरण शामिल था।

(i) यह सार्वजनिक तथा निजी उद्यम का मिश्रित क्षेत्र वाला वर्ग था। ऐसा विचार किया गया कि उस वर्ग के उद्योगो पर राज्य का अधिकार बढता जाएगा और जिनमें साधारणतय राज्य नये उद्यमो की स्थापना करेगा, किन्तु निजी क्षेत्र से उनको चलाने मे सहायता प्राप्ति की भावी विकास की दिशा में राज्य का ही प्रयास होगा परन्तु निजी उद्यमियो को भी स्वतत्र रूप से या राज्य के साथ सहयोग करते हुए नयी इकाइयो की स्थापना के अवसर प्रदान करने का विचार रखा गया था। इस श्रेणी में निम्न 12 उद्योगों को शामिल किया गया था। अन्य खनन, उद्योग, अल्युमीनियम तथा अन्य अलौह धातुएं मशीन औजार, लौह मिश्रित धातु और औजार इस्पात, रसायन, उद्योग , एंटीवायोटिक्स एवं अन्य आवश्यक दवाऍ उर्वरक, कृत्रिम रबड, कोयले का कोर्बानाइजेशन रासायनिक लुग्दी सडक, परिवहन तथा समुद्री परिवहन।

(ii) अनुसूची 'अ' तथा 'ब' में शामिल उद्योगों को छोडकर शेष सभी उद्योग इस वर्ग में शामिल किये गये है। यह निजी उद्योगो का क्षेत्र है, जिसके भावी विकास का भार निजी क्षेत्र पर छोड दिया गया। उल्लेखनीय है कि इस वर्ग

के अन्तर्गत आने वाले उद्योग यद्यपि निजी उद्यम द्वारा विकसित होगे, परन्तु उसका यह कदापि तात्पर्य नही है कि वे अपनी गतिविधियो मे पूर्ण स्वतत्र होगे, बल्कि वे सरकार द्वारा बनाये गये अनेक नियमो जैसे –उद्योग अधिनियम आदि से नियत्रित एव निर्देशित होंगे।

उद्योगो के उपर्युक्त वर्गीकरण की स्पष्ट रूपरेखा के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन आने वाले उद्योगो की स्थापना कुछ विशेष परिस्थितियो मे निजी क्षेत्र द्वारा की जा सकती है और निजी क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगो की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र मे भी की जा सकती है। अर्थात दोनो क्षेत्र एक दूसरे के साथ पूर्ण सहयोग एव सामेजस्य स्थापित कर सकते है।

(2) नई औद्योगिक नीति मे निजी क्षेत्र के उद्योगो को सरकार द्वारा स्वच्छ एवं पक्षपात रहित समर्थन देने का वादा किया गया है। सरकार इसके लिए आवश्यकता अध संरचना जैसे – परिवहन, विद्युत तथा अन्य सेवाए उपलब्ध कराने के साथ–साथ उसे वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी।

(3) इस नीति मे लघु तथा ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करने का विचार रखा गया। इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की अधिकता को देखते हुए इनके विकास के लिए प्रत्यक्ष सहायता व अनुदान देने के साथ–साथ बडे उद्योगों पर अनेक नियंत्रण लगाने की भी व्यवस्था की गई। उस क्षेत्र के उत्पादन की गुणवत्ता मे भी वृद्धि करने पर बल दिया गया।

(4) नई औद्योगिक नीति में क्षेत्रीय असमानताओ को कम करने हेतु पिछडे क्षेत्रों में शक्ति के साधनो और परिवहन सुविधाओं के विस्तार करने पर विचार किया गया था। उसके अलावा सभी क्षेत्रों मे कृषि तथा उद्योग के मध्य संतुलन स्थापित करने पर भी बल दिया गया।

(5) समाजवादी समाज की स्थापना के उद्देश्य को ध्यान मे रखते हुए नई नीति मे श्रमिको के हितो की रक्षा का विशेष ख्याल रखा गया और प्रबन्धकीय मामलो मे उनकी भागीदारी को भी स्वीकार किया गया। वास्तव मे श्रमिको का हित साधन करके औद्योगिक शान्ति बनाये रखना औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक समझा गया।

(6) नई नीति मे विदेशी निवेश के प्रति सरकार वही नीति अपनाने का विचार करती है, जिसे उसने 1948 की औद्योगिक नीति में अपनाया था।

दत्त समिति की संस्तुतियो को ध्यान में रखकर सरकार ने 2 फरवरी 1973 को 1956 की औद्योगिक नीति मे कुछ सशोधन किये और सयुक्त क्षेत्र की स्थापना का विचार रखा गया। निजी क्षेत्र को अनेक रियायते भी दी गई। सरकार ने 19 उद्योगों को शामिल करते हुए 'परिशिष्ट I' का गठन किया, जिसमें राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्योग तथा नियति के लिए महत्व रखने वाले उद्योग शामिल थे। इस श्रेणी के अनेक उद्योगों को निजी क्षेत्र की देशी तथा विदेशी फर्मों द्वारा खोलने की अनुमति दी गई।

औद्योगिक नीति 1977 :-

दत्त समिति की सस्तुतियों को ध्यान में रखकर सरकार ने 2 फरवरी, 1977 को जनता पार्टी की सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जो बेरोजगारी नगरीय तथा ग्रामीण असमानता और औद्योगिक रूग्णता की दयनीय स्थिति पर नियत्रण लगाकर औद्योगिक विकास करने की अवधारणा पर आधारित थी। इस औद्योगिक नीति की प्रमुख विशेषताएँ निम्न थी–

(1) लघु औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार अवसरों की अधिकता और आय व सम्पत्ति की समानता लाने में विशेष भूमिका को देखते हुए नई नीति में इनके विकास पर विशेष बल दिया गया था, सरकार की यह नीति थी कि जो कुछ

भी लघु एव कुटीर उद्योगो को विशेष महत्व देने की हानियो को पहचानकर ही लघु उद्योगों को तीन खण्डो में विभाजित किया –

(I) कुटीर एव घरेलू उद्योग जो स्वरोजगार के निर्माण मे विशेष रूप से सक्षम होते हैं।

(II) पिद्दी क्षेत्र, जिनमे मशीनो व अन्य औजारो पर 1 लाख रूपये से कम का निवेश होता है तथा जो 50000 से कम आबादी वाले नगरों मे उपस्थित है।

(III) लघु उद्योग क्षेत्र मे जिनमे 10 लाख रूपये तक का विनियोग हुआ हो इन तीनो वर्गो के विकास के लिए नई नीति मे निम्न व्यवस्थाए की गई।

(i) लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों की सख्या 180 से बढाकर 807 कर दी गई।

(ii) लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिए प्रत्येक जिले में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने का विचार रखा गया।

(iii) खादी तथाग्रामीण उद्योग आयोग को पुन व्यवस्थित करके उनकी गति विधियो में विस्तार करने का विचार रखा गया और इसके लिए पालिस्टर खादी, जूते साबुन आदि का उत्पादन करने की व्यवस्था की गई।

(2) नई नीति में बडे पैमाने पर उद्योगो को जनसंख्या की मूल न्यूनतम आवश्यकताओं के कार्यक्रम से जोडने का प्रस्ताव किया गया, ताकि वे लघु तथा ग्राम उद्योगों के फैलाव को बढावा दे सके और कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान कर सके।

(3) नई औद्योगिक नीति मे यह स्वीकार किया गया कि बडे औद्योगिक घरानों का विकास उनके अपने संसाधनों की तुलना में कही अधिक हो गया है। अर्थात उन्होंनें सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर अपना

विकास किया हुआ है। यह नीति बडे घरानो को अपना विकास अपने ही ससाधनो से करने को प्रेरित करती है ताकि सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय सस्थाओ के साधनो के हाथो मे आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए ऐसा विचार रखा गया कि भविष्य के पूजी प्रधान उद्योगो की अधिकाधिक स्थापना मध्यम श्रेणी के उद्योगपतियो द्वारा की जाय।

(4) नई औद्योगिक नीति तकनीकी आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने पर बल देती है।

(5) विदेशी सहयोग के अनावश्यक क्षेत्रो मे प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाने पर बल दिय गया। साथ ही साथ उद्योगो का स्वामित्व एव प्रभावी नियंत्रण भारतीयों मे ही रखने की आवश्यकता को समझा गया।

(6) इस नीति मे सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को और और अधिक बढाने पर बल दिया ताकि आर्थिक विकास के साथ–साथ स्थिरता बनी रहे।

(7) बीमार औद्योगिक इकाइयों के प्रति नई औद्योगिक नीति चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाती है। वस्त्र, पटसन, चीनी आदि उद्योगो की अनेक बीमार इकाइयो को पुन स्वावलम्बी बनाना आवश्यक है परन्तु सभी इकाइयो को राष्ट्रीयकृत करना सम्भव नही है।

औद्योगिक नीति 1980 :–

1980 में कांग्रेस (इ) सरकार की स्थापना के पश्चात उसने अपनी नई औद्योगिक नीति की घोषणा जुलाई 1980 मे की जो मूलतः 1956 की औद्योगिक नीति पर आधारित थी। इस नीति के तीन मौलिक उद्देश्य निर्धारित किये गये थे – आधुनिकीकरण विस्तार और पिछडे क्षेत्रो का विकास पिद्दी, छोटे तथा सहायक उद्योगों में निवेश की उच्चतम सीमा को निर्धारित करने, अतिरिक्त क्षमता को नियमित करने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में बडे

पैमाने की इकाइयो को स्वत विस्तार की सुविधा की अनुमति प्रदान करने तथा पिछडे क्षेत्रो में अनेक औद्योगिक केन्द्र कायम करने का भी प्रावधान किया गया था। इस औद्योगिक नीति मे तीव्र एव सन्तुलित औद्योगिक विकास करने पर जोर दिया गया था ताकि आम आदमी के लिए रोजगार के अवसरो का सृजन किया जा सके उनकी प्रति व्यक्ति आय बढायी जा सके।

इस औद्योगिक नीति के निम्न सामाजिक उद्देश्य निर्धारित किये गये–

(1) स्थापित क्षमता का अनुकूलतम उपयोग

(2) उत्पादन अधिकतम करना और उत्पादकता का उच्च स्तर प्राप्त करना

(3) रोजगार के अवसरो मे वृद्धि

(4) औद्योगिक दृष्टि से पिछडे क्षेत्रो का विकास करके क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करना।

(5) निर्यात प्रेरित और आयात प्रतिस्थापना उद्योगो को तेजी से विकसित करना

(6) कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देकर कषि आधार को मजबत बनाना और अनुकूलतम अन्त क्षेत्रीय सम्बन्धों को प्रोन्नत करना।

(7) देश में आर्थिक संघवाद को प्रोत्साहन देना और इसके लिए विनियोग का न्यायोचित विस्तार करना और इसके प्रतिफलो को ग्रामीणों तथा नगरीय क्षेत्रों में छोटी तथा विकासशील इकाइयो में वितरित करना।

(8) ऊँची कीमतों तथा घटिया गुणवत्ता के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस नीति में निम्न प्रस्ताव रखे गये –

(1) सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों की क्षमता एवं दक्षता को पुनः बढाने के लिए अभियान चलाया जाय और उनका समयबद्ध सुधार किया जाय।

(2) आर्थिक सघवाद की धारणा को प्रोन्नति करके निजी क्षेत्र का औद्योगिक विकास मे समन्वय कायम करने पर बल दिया गया। इसी उद्देश्य से प्रत्येक जिले मे कुछ केन्द्रक सगठन स्थापित करने का विचार रखा गया।

(3) लघु पैमाने पर उद्योगो के तीव्र विकास हेतु उनकी पुन परिभाषा की गई और पिद्दी, छोटे तथा सहायक इकाइयो मे निवेश की उच्चता सीमा बढाकर क्रमश 2लाख, 20 लाख और 25 लाख कर दी गई।

(4) ग्रामीण क्षेत्रो के विकास के लिए ग्रामीण औद्योगीकरण को आवश्यक समझा गया, परन्तु इसके साथ–साथ उनके पर्यावरण की रक्षा को आवश्यक माना गया। ग्रामीण उद्योगो मे रोजगार वृद्धि और उनकी सहायता से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से हस्तकलाओ, हथकरघा और खादी आदि ग्रामोद्योगों को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने का विचार किया गया।

(5) क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने हेतु पिछडे क्षेत्रो मे निवेश में वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा गया।

(6) निजी क्षेत्र की इकाइयो द्वारा अपनी क्षमता के अनाधिकृत विस्तार को नियमित करने हेतु इसके लिए कानून बनाये गये। लाइसेस प्राप्त क्षमता से अधिक स्थापित क्षमता को कानूनी घोषित करने हेतु फेरा और एकाधिकार व प्रतिबधित व्यापार व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियो के सम्बन्ध मे चयनात्मक आधार पर प्रस्ताव रखा गया।

(7) बडे उद्योगों को स्वत विस्तार की सुविधा प्रदान की गई।

(8) औद्योगिक रूग्णता के सम्बन्ध में नई नीति ने स्पष्ट किया कि उन औद्योगिक इकाइयों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जाएगी जो जानबूझकर कुप्रबन्ध और वित्तीय गोलमाल करते हैं। जिन रूग्ण इकाइयों में पुनरूत्थान की सम्भावना होगी, उनका अन्य स्वस्थ्य इकाइयों के साथ विलय कर दिया

जाएगा। किसी इकाई की निजीकरण अन्य सभी उपायो के असफल हो जाने पर ही किया जाएगा।

औद्योगिक नीति 1991 :-

देश के औद्योगिक तथा आर्थिक परिदृश्य की दयनीय दशा को देखते हुए 24जुलाई, 1991 को श्री नरसिह राव सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। अब तक की सभी औद्योगिक नीतिया घरेलू उद्योगो को अत्यधिक संरक्षण प्रदान करने पर बल देती थी, फलत उनका स्वत विकास नही हो सका और उनकी तकनीक भी पिछडी बनी रही। इसी कारण भारत की विश्व व्यापार मे हिस्सेदारी भी घटती गई। एक ओर तो देश के बडे औद्योगिक घरानो का तेजी से विकास हुआ, परन्तु दूसरी ओर देश के समक्ष विकास की दर मे ह्रास हुआ। देश का व्यापार व्यय निरन्तर बढता जा रहा था ओर विदेशी मुद्रा कोष लगभग खाली हो चुका था।

इन्ही परिस्थितियो मे नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य देश को गम्भीर आर्थिक सकट से उबारना, औद्योगिक क्षेत्र मे उत्पन्न हुए लाभों को और अधिक मजबूती प्रदान करना, उत्पादकता मे वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना और भारतीय उद्योगों को अन्तराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा प्राप्त करना आदि निर्धारित किया गया। इसके लिए सरकार ने उद्योगों से सम्बन्धित अनेक नीतिगत उपायो की घोषणा की जिन्हे पांच वर्गो मे विभाजित किया जा सकता है।

(5) अब तक सरकार निजी क्षेत्र के उद्योगो की अंधाधुंध स्थापना विस्तार को नियंत्रित करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक बनाए हुए थी, जिससे उद्योगपतियों को अनावश्यक रूप से परेशानियों का सामना करना पडता था। नई नीति में सरकार की उस नियंत्रणकारी भूमिका को समाप्त करके उसे सहायता व सलाहकारी रूप प्रदान किया गया है। अब सरकार ने लाइसेंस

पद्धति को ही लगभग समाप्त कर देने का फैसला किया है, ताकि उद्योगो की स्थापना मे अनावश्यक देरी और अन्य समस्याएं न खडी हो। इसके निम्न नीतिगत फैसले लिए गए है–

(i) नये उद्योगो की स्थापना हेतु तकनीकी विकास महानिदेशालय मे पजीकरण कराने की आवश्यकता समाप्त कर दी गयी है।

(ii) अब सिर्फ 14 विशिष्ट किस्म के उद्योगो के लिए ही लाइसेस लेना जरूरी होगा, जो प्रतिरक्षा, सामाजिक कारणो, पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से हानिकारक और उच्च आय वर्ग के उपभोग की वस्तुए है।

(iii) नये उद्योगों को अपना उत्पादन कार्यक्रम बताने की अब आवश्यकता नही होगी तथा मौजूदा इकाइयां विना लाइसेंस या अनुमति के अपना विस्तार व क्षमता मे वृद्धि कर सकेगी।

(iv) मौजूदा उद्योगो को बिना किसी अतिरिक्त पूजी निवेश के अपने लाइसेस प्राप्त क्षेत्र के किसी भी वस्तु के उत्पादन की छूट होगी।

(2) यद्यपि भारतीय उद्योग अपना निरन्तर विकास कर रहे हैं, परन्तु अभी भी उनकी तकनीकी तथा उत्पादन क्षमता निम्न है अतः उनमें आधुनिक प्रौद्योगिकी बाजार व प्रबंधकीय विशेषता, निर्यात की सभावनाओ मे वृद्धि करने हेतु विदेशी निवेश को अनावश्यक समझा गया और इसके लिए निम्न उपाय किये गये।

(i) जिन मामलों मे मशीनों के लिए विदेशी पूँजी की उपलब्धता शेयर पूँजी के रूप में होगी, उन्हे स्वत ही उद्योग लगाने की अनुमति मिल जायेगी।

(ii) 2 करोड या कुल पूँजी के 25 प्रतिशत से कम उत्पादक मशीनें बिना किसी पूर्व अनुमति के आयात की जा सकेंगी।

(iii) उच्च प्राथमिकता प्राप्त 34 उद्योगो मे 51 प्रतिशत से कम की उत्पादक मशीने विदेशी निवेश की अनुमति के बिना किसी रोक–टोक के प्रदान की जाएगी। यह सुविधा इन मामलो मे ही उपलब्ध होगी जहा उत्पादन के लिए विदेशी पूॅजी आवश्यक होगी।

(iv) यदि सम्पूर्ण उत्पादन निर्यात के लिए हो, तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियो का 100प्रतिशत तक पूॅजी निवेश की अनुमति भी दी जा सकती है।

(3) भारतीय उद्योगो के प्रौद्योगिकीय पिछडेपन को देखते हुए उन्हे विदेशों से तकनीकी आयात की सुविधा प्रदान की गयी है। विदेशी प्रौद्योगिकी के प्रयोग हेतु सरकारी अनुमति प्राप्त करने में अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए सरकार ने निम्न व्यवस्थाएं की है .–

(i) अब भारतीय कम्पनियॉ अपनी वाणिज्यिक आवश्यकताओ के अनुरूप विदेशी कम्पनियो से प्रौद्योगिकीय हस्तातरण सम्बन्धी अनुबन्धो के लिए स्वतंत्र निर्णय ले सकेंगी और सरकार निर्दिष्ट मापदण्डो के भीतर इन अनुबन्धो को स्वत अनुमोदन प्रदान करेगी।

(ii) नयी नीति में विदेशी तकनीकी विशेषज्ञो की नियुक्ति या देश मे ही विकसित तकनीकों का विदेशों मे परीक्षण करने के लिए विदेशी मुद्रा भुगतान की अनुमति प्राप्त करने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है।

(4) योजनाकाल के प्रारम्भ से ही देश के औद्योगीकरण हेतु सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया था, परन्तु धीरे–धीरे यह क्षेत्र भयंकर घाटे का शिकार हो गया है तथा उनमे भारी कुप्रबन्ध व्याप्त हो गया है। इसीलिए नई औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक भूमिका को सीमित करने का प्रयास किया गया है–

(i) अब तक सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगो की सख्या 17 थी जिसे नई नीति मे घटाकर 6 कर दिया गया है। ये 6 क्षेत्र प्रतिरक्षा सम्बन्धी हथियार व उत्पादन, परमाणु ऊर्जा, कोयला व लिग्नाइट, खनिज तेल परमाणु ऊर्जा से सम्बन्धित खनिज तथा रेल परिवहन है।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अब तक सुरक्षित उद्योग धीरे–धीरे निजी क्षेत्र के लिए खोले जाएगे, लेकिन साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र को भी अब तक प्रतिबंधित क्षेत्र मे विस्तार की अनुमति होगी।

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यमो में सरकारी शेयर पूँजी के कुछ भाग को वित्तीय सस्थाओ, आम जनता तथा कर्मचारियो मे बेचने का प्रावधान किया गया था। इसी के तहत वर्ष 1991–92 मे सरकार ने 31 सार्वजनिक उद्यमो के इक्विटी शेयर मेचुअज फडो व वित्तीय सस्थाओ को बेचकर 5038 करोड रूपये तथा 1992–93 में 20 लाभदायक उद्यमो के शेयर सीधे बाजार मे सूचीबद्ध कराकर प्रत्यक्ष रूप से विनिवेश कर 3500 करोड रूपये प्राप्त किये। इस 3500 करोड रूपये में से 1000 करोड रूपये राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष मे तथा 2500 करोड रू0 वित्तीय घाटे को कम करने के लिए प्रयोग करने का प्रावधान किया गया।

(iv) निरन्तर घाटे मे चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उद्यमो की जॉच व सहायता का कार्य औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड करेगा।

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के कामकाज की खुली समीक्षा के लिए सरकार तथा किसी अन्य उद्यम के बीच हुए इस प्रकार के सहमति पत्र की प्रति संसद में रखी जाएगी।

इस प्रकार नई नीति में सार्वजनिक क्षेत्र को अपना विकास स्वयं करने हेतु आत्मनिर्भरता प्राप्त करने पर बल दिया गया है।

U. S. P.

सार्वजनिक क्षेत्र की नीति के भावी दिशा निर्देश

लोक उद्यमो के निष्पादन मे सुधार करने के लिए भारत सरकार ने जुलाई 1991 को नयी औद्योगिक नीति के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के सम्बन्ध मे अगलिखित निर्णय किए गए

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के निष्पादन को उन्नत करने के लिए बोध ज्ञापन की पद्धति द्वारा प्रबन्धको को अधिक स्वायत्तता दी जायेगी और उन्हे अधिक उत्तरदायी भी बनाया जायेगा।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन उद्योगो की समीक्षा की जाएगी ताकि लोक क्षेत्र को अध सरचना हाईटेक और सामरिक महत्व के उद्योगो तक सीमित रखा जा सके। भले ही सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कुछ क्षेत्र सरक्षित रखे जाए किन्तु कई अन्य क्षेत्र जो अभी तक लोक क्षेत्र के लिए रिजर्व थे, निजी क्षेत्र के लिए चयनात्मक रूप मे खोल दिए जायेगे। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र को भी ऐरो क्षेत्रों मे प्रवेश करने की स्वीकृति दी जाएगी, जो इसके लिए संरक्षित नही थे।

(3) ऐसा सार्वजनिक उद्यम जो जीर्ण रूप मे बीमार हे और जिनके सक्षम बनने की कोई सभावना नही है, उन्हे पुनरूत्थान के लिए औद्योगिक एव वित्तीय निमार्ण बोर्ड को सौप दिया जायेगा जिससे बीमार इकाइयो की पुन· स्थापना की जा सके और उनके निष्पादन में सुधार का क्रम जारी हो सके तथा यथाशीघ्र बीमारी से मुक्त होकर स्वस्थता की ओर अग्रसर हो सके। इस बोर्ड के अधिकार सीमा में वृद्धि कर दी गई है, अब यह परिषद अस्वस्थ इकाइयों की जांच करके उनके संबध में अग्रांकित निर्णय ले सकती है।

(4) श्रमिकों के हितों के रक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रक्रिया कायम की जाएगी ताकि विस्थापित श्रमिकों को राहत पहुँचाई जा सके और सभी श्रमिक सुरक्षा की भावना महसूस करते हुए उत्पादन कार्य में पर्याप्त रूचि लेकर

निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा मे प्रभावी कदम उठाते रहे और लोक उपक्रम उन्नति पथपर अग्रसर होकर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

(5) संसाधन गतिमान करने एवं सार्वजनिक सहयोग को बढावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र मे सरकारी हिस्सा-पूँजी के एक भाग को पारस्परिक निधियो वित्तीय सस्थानो और सामान्य जनता को वेचा जाएगा जिससे अधिक मात्रा मे पूँजी एकत्रित हो सके और वित्तीय संकट से जूझ रही कम्पनिया वित्त की पर्याप्त मात्रा एकत्रित कर सके और वित्त की समस्या से मुक्त होकर अपने विकास का मार्ग प्रशस्त कर सके।

(6) सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियो के वोर्डों को अधिक व्यावसायिक बनाया जायेगा और उन्हे अधिकार दिए जाएगे। जिससे वोर्ड के अधिकार सीमा मे वृद्धि हो और बोर्ड के सभी सदस्य उत्पादन कार्य मे रूचि लेकर लोक उपक्रमों के उन्नति में अधिकाधिक योगदान दे और देश की सभी इकाइयां रूग्णता से निजात पाने मे सफल हो सके।

सरकार महत्त्वपूर्ण एवं सामरिक क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के विनियोग के लिए खोल रही है। संचालन शक्ति क्षेत्र को विदेशी कम्पनियों के लिए खोल दिया गया है। इसीप्रकार सरकार ने रेली संचार क्षेत्र मे बहुराष्ट्रीय निगमो को आमन्त्रित करने का निर्णय लिया है। सरकार बैको तथा बीमा कम्पनियों के निजीकरण के बारे में भी सोच रही है परन्तु मजदूर संघों के कडे विरोध के कारण सरकार अस्थायी रूप में पीछे हट गयी है पर यह रिजर्व क्षेत्रो को निजी क्षेत्र देशी या विदेशी को खोलने की नीति को फिर लागू करने का प्रयास करेगा।

(8) सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के अतिरिक्त श्रमिकों के भार को भी कम करने का भी प्रयास करती रही है। आरंभ में यह निकासी नीति के विचार को लागू करना चाहती थी। परन्तु मजदूर संघों के कडे विरोध के कारण इस विचार

का परित्याग कर दिया। इसकी अपेक्षा सरकार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनायी और इसमे सफल हो गयी है। वर्ष 93–94 और 97–98 के दौरान 1338 करोड का राष्ट्रीय नवीकरण गिधि मे उपलब्ध कराये गये जिससे 1 09 लाख श्रमिको को इस अवधि के दौरान सहायता उपलब्ध करायी गयी।

(8) सरकार ने लोग उद्यमो की हिस्सा पूजी के अविनियोग का प्रोग्राम बनाया है। 1991 से ससाधन गतिमान करने और सार्वजनिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और इन्हे अधिक दायित्वपूर्ण बनाने के लिए सरकार चुने हुए उद्यमो की 20 प्रतिशत तक हिस्सा पूजी पारस्परिक निधियो, वित्तीय विनियोग सस्थाओ, श्रमिको तथा आम जनता को बेचेगी। इस निर्णय को लागू करने के लिए सरकार ने 91–92 और 92–93 मे ऐसी सरकारी उद्यमो जिनका निष्पादन रिकार्ड अच्छा था, बेचकर क्रमश 3038 करोड रू0 और 1912 करोड रू0 प्राप्त किए।

अपने बजट घाटे को कम करने की प्रबल इच्छा के कारण वित्त मत्रालय ने विनिवेश कार्यक्रम में अनुचित तेजी दिखलायी। इसी कारण कुछ आलोचको ने अनिवेश प्रोग्राम को घाटापूर्ति निजीकरण की सज्ञा दी है।

लोक लेखा समिति की इस तीखी आलोचना के परिणामस्वरूप सरकार ने खुली नीलामी का फैसला किया है और जैसा कि उपलब्ध सूचनाओ से पता चलता है कि चार साल पूर्व इन्हीं हिस्सों से उपलब्ध कीमत प्राप्ति की तुलना में अब कही अधिक कीमत प्राप्त की गयी है। इन कम्पनियो मे शामिल है महानगर टेलीफोन निगम लि0, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि0, नेशनल एल्युमीनियम कम्पनी लि0, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0। यदि यह प्रक्रिया पारदर्शी रूप मे चलती रही तो अनिवेश से कीमत प्राप्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की सम्भावना है।

अनिवेश प्रोग्राम के आरम्भ से 31 मार्च 97 तक 12957 करोड रू0 अनिवेश द्वारा प्राप्त किए गए। 98–99 में क्रास होल्डिग के एक नवीन तरीके से 9000 करोड रू0 अनिवेश से प्राप्त किए गए।

बोध ज्ञापन (Memorandum of understanding) :–

सरकार ने लोक उद्यम नीति समीक्षा समिति अर्थात अर्जुनसेनगुप्त समिति (1985) की सिफारिश के आधार पर बहुत से सार्वजनिक लोक उद्यमो के साथ बोध ज्ञापन के रूप में समझौते कर लिए है। बोध–ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य स्वायत्तता और उत्तरदायित्व मे संतुलन स्थापित करना है उन लोक उद्यमो को छोड जो निर्देश के लिए औद्योगिक एव वित्तीय निर्माण बोर्ड को सौपे गए, नयी औद्योगिक नीति के आधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो के साथ बोध ज्ञापन किए गए। बोध ज्ञापन नीति का मुख्य उद्देश्य "नियत्रण की मात्रा को कम करना और उत्तरदायित्व की गुणवत्ता" को बढाना है। जहा प्रत्येक लोक उद्यम के उद्देश्यो की स्पष्ट रूप मे परिभाषा करनी चाहिए वहा यह अत्यन्त आवश्यक है कि इन उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए प्रत्येक लोक उद्यम को कार्यात्मक स्वायत्तता दी जाय। बोध–ज्ञापन का वास्तविक उद्देश्य "लोक उद्यमों व्यवस्था" नियंत्रण द्वारा प्रबन्ध की अपेक्षा उद्देश्यो द्वारा प्रबन्ध के आधार पर करना है। लोक उद्यमों में सन्तुलन मात्र करने के लिये यह बेहतर होगा कि लाभ उद्देश्य को अधिक महत्व प्रदान किया जाय। सर्वाधिक उद्यमों के उद्देश्यो कि पुन. परिभाषा करनी चाहिए तथा विभक्त उद्देश्यों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक उद्देश्य के महत्व के बारे में स्पष्ट निर्णय होना चाहिए ताकि इनमें निष्पादन की कसौटियो का विकास हो सके।

1992–1993 में 98 लोक उद्यमों ने बोध–ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया और 97–98 तक 108 उद्यमों नें इस प्रकार लोक उद्यम बोध–ज्ञापन

प्रणाली के आधीन आ गए है इनका मुख्य उद्देश्य उन्हे मन्त्रालयो के नियत्रण से मुक्त कराना है और एक स्पर्द्धात्मक पर्यावरण मे स्वायत्व रूप मे कार्य करने की इजाजत देना है। 97 98 के दौरान जिन 108 सरकारी क्षेत्र के उद्यमो ने बोध–ज्ञापनो पर हस्ताक्षर किए, उनके मूल्याकन से पता चलता है कि इनमे से 45 अति उत्तम आके गए। इससे सिद्ध होता है कि बोध–ज्ञापनो के आधीन कार्य कर रहे लगभग 77 प्रतिशत उद्यमो ने अपनी स्थिति उन्नत कर ली है और यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इस पद्धति को और मजबूत तथा दोषरहित बनाना चाहिए।

सरकारी उद्यमों के विस्तार के पक्ष में तर्क :–

भरत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था(Developing Economy) मे कुछ उद्योगो को सरकारी स्वमित्व और नियत्रंण के अन्तरगत लाना ही पडेगा। अन्यथा अर्थव्यवस्था का द्रुत गति से विकास सम्भव नहीं हो पायेगा। कुछ औद्योगिक बैको और बीमा कम्पनियो का राष्ट्रीयकरण और नयी इकाइयों को आरम्भ करने मे अधिक विकास की गति तीव्र करने में सहायता मिलेगी। क्योकि सरकारी उद्यम भारत के आर्थिक कार्यकम का आवश्यक अंग है।

1. आर्थिक विकास की दर और सरकारी उद्यम :–

भारत मे सरकारी उद्यम का इस आधार पर सर्मथन किया जाता है कि अकेला निजी क्षेत्र सरकार द्वारा निर्धारित गति से आर्थिक विकास नही कर सकता। दूसरे शब्दों में सरकार ने जानबूझ कर विकास की ऊंची दर का जो लक्ष्य निर्धारित किया है। उसे प्राप्त करने के लिए बचत कि उच्च दर प्राप्त करनी अनिवार्य थी। स्वैच्छिक बचत को प्रोत्साहन देकर उसे औद्योगिक विकास के लिये प्रेरित किया जा सकता है। यदि यह उपाय अपर्याप्त जान पडे तो सरकार को एक दूसरे उपाय का सहारा लेना होगा

अर्थात कर लगा कर अनिवार्य बचत तीव्र आर्थिक विकास के लिए बचत की उच्च दर अनावश्यक होती है। जिसका एक बडा भाग कर के माध्यम से अनिवार्य बचत के रूप मे प्राप्त किया जाएगा। प्रोफेसर रामानाधम के शब्दों मे – ''साधन इकट्ठे कर चुकने पर सरकार तथा योजना आयोग जैसी नीति निर्माण करने वाली अन्य महत्वपूर्ण सस्थाए स्वभाविक मानवीय लालसा के अधीन यह कहेंगी कि इस धन का सरकार अपनी छत्रछाया मे उपयोग करे। प्रशासन के लिए इस मुसीबत से दूर रहना ही ठीक प्रतीत होता है, कि पहले तो वह निजी उद्यम को रूपये दे और फिर इस रूपये की सुरक्षा और उचित उपयोग का निश्चय करने के लिये आवश्यक प्रतिबन्ध तथा सतुलन लागू करे। ससद तथा प्रशासनिक संस्थाओ के लिये यही स्थिति श्रेयस्कर जान पडती है कि सरकारी क्षेत्र मे औद्योगिक उद्यम स्थापित किया जाए।

2. साधनों के आबण्टन का ढाँचा और सरकारी क्षेत्रः–

प्रोफेसर रामानाधम् के शब्दों में– सरकारी क्षेत्र के विस्तार का मुख्य कारण योजनाओंके अधीन निर्धारित साधनो के आबण्टन के ढॉचे मे निहित है। प्रथम योजना में कृषि पर बल दिया गया है। किन्तु द्वितीय योजना मे उद्योगो और खनन क्रियाओ पर अधिक बल दिया गया।

3. सरकारी उद्यमों द्वारा क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना :–

सरकारी क्षेत्र के विस्तार का एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों (Regions) के सतुलित विकास की इसीलिए चेष्टा की जाती है कि क्षेत्रीय असमानता उत्तर गंभीर रूप धारण न कर लें। केन्द्र सरकार के स्वामित्वाधीन सरकारी उद्यम उन प्रदेशो मे स्थापित किये जाने चाहिये जो अल्पविकसित है और जिसमे स्थानीय साधन पर्याप्त नहीं है।

उनका एक अच्छा उदाहरण भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर मे कायम किये इस्पात के तीन कारखाने और मद्रास मे नेवेली परियोजना (Neyveli Project) के इर्द–गिर्द औद्योगिक क्षेत्रो का विकास करना है। कई बार यह अनुभव किया गया कि राज्य सरकार के पास अपने प्रदेश के विकास के लिये उचित साधन न हो, ऐसी हालत मे यही उचित समझा गया कि केन्द्र सरकार ऐसे प्रदेशो मे परियोजना स्थापित करे और उनके लिये वित्तीय प्रबन्ध भी करे।

4. आर्थिक विकास के लिये धन का स्त्रोत :-

आर्थिक विकास के लिये भारी मात्रा मे धन की आवश्यकता होती है। सरकारी क्षेत्र आर्थिक विकास के लिये हम प्राप्त करने का महत्वपूर्ण स्त्रोत है। सरकार उद्यमो से लाभ को या तो उन्ही उद्योगो के विस्तार के लिये या अन्य उद्योगों से लाभ को या तो उन्हीं उद्योगों के विस्तार के लिये या अन्य उद्योगो की स्थापना एव विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि निजी उद्यम के अधीन कार्य करने वाले उद्योग भी अपने लाभ का पुन. विनियोजन (Re- investment) अधिकतर भाग को विस्तार योजनाओ में प्रयुक्त कर सकते है या अपने लाभ के अधिकतर भाग को विस्तार योजनाओं में प्रयुक्त कर सकते है। किन्तु निजी उद्यमो मे लाभ हिस्सेदारी के लाभांश के रूप में घोषित किया जाता है। उससे तो जनता में आर्थिक असमानताएं ही उत्पन्न होती है। परन्तु सरकारी उद्यमों से प्राप्त अतिरेक (surplus) के लिये प्रत्यक्ष रूप मे (Capital accumulation) हस्तक्षेप की जा सकती है।

5. समाजवादी ढंग का समाज (Socialist pattern of Society):-

समाजवादी ढग के समाज मे सरकारी क्षेत्र का विस्तार दो प्रकार से किया जायेगा। जहॉ तक उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओ और उनकी मात्रा इस बात का सम्बन्ध है कि वे कब तक उत्पन्न की जाये, फ्रेन्च द्वारा उत्पादन का आयोजन किया जाएगा। इस लक्ष्य को निजी क्षेत्र की अपेक्षा सरकारी क्षेत्रो में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध मे द्वितीय पचवर्षीय योजना मे स्पष्ट किया गया ''समाजवादी ढग के समाज को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप मे अपनाने और आयोजित तेज विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह अनिवार्य है कि मूल तथा केन्द्रीय महत्व के सभी उद्योगो या सार्वजनिक उपयोगी में कायम (Public Utility Services) सरकारी क्षेत्र मे कायम हो अन्य उद्यम भी, जिनका विकास अनिवार्य है। और जिन पर भारी मात्रा में विनियोग वर्तमान परिस्थितियो मे केवल राज्य द्वारा ही किया जा सकता है, सरकारी क्षेत्र मे होने चाहिये।''

भारतीय सविधान के निदेशक सिद्धान्तों में एक लक्ष्य यह है कि आय तथा सम्पत्ति की असमानताओ को कम किया जाए ताकि सम समाज की स्थापना हो सके। पचवर्षीय योजनाओं में इसे आयोजन का मुख्य उद्देश्य समझा गया है, सरकारी उद्यमों का प्रयोग आय तथा सम्पत्ति के पुन वितरण के लिए लिया जा सकता है। इसके लिये निम्नलिखित उपाय प्रयोग मे लाये जा सकते हैं (क) निजी उद्यम के अधीन इकाइयो से पर्याप्त लाभ तो निजी उद्यम कर्ताओं की जेबो में जाता है, जबकि सरकारी उद्यमो का लाभ राज्य को प्राप्त होता है। (ख) उच्चस्तरीय प्रबन्ध–कौशल उद्यमो में उच्च पदाधिकारी (Top exeutives) के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। (ग) सरकारी उद्यामों को ऐसी विभेदक कीमत नीति अपनानी चाहिए जिससे कि निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हो। (घ) सरकारी उद्यम में सामान्यत कम आय प्राप्त

करने वाले कर्मचारियो की आय आसानी से उन्नत की जा सकती है। (ड0) सरकारी उद्यम सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय को कम करने मे सहायक हो सकते है।

6. गैर सरकारी क्षेत्र की बुराइयां और सीमाएं :–

गैर सरकारी क्षेत्र का व्यवहार और दृष्टिकोण स्वयं देश में सरकारी क्षेत्र के विस्तार में एक महत्वपूर्ण कारक तंत्र रहा है। जब अमरीकी सरकार ने भारत मे बोकारो पर जोर दिया तो श्री जे0 आर0 डी0 टाटा ने जो देश मे गैर सरकारी क्षेत्र के प्रबुद्ध उद्योगपतियो में माने जाते हैं। खुले रूप मे यह स्वीकार किया कि गैर सरकारी क्षेत्र इस कार्य के लिए 700 करोड रूपये की पूँजी जुटाने मे असमर्थ है यह तो ठीक है परन्तु गैर सरकारी क्षेत्र की सामान्य व्यापार जोखिम उठाने सम्बन्धी अनिच्छा का क्या कारण है दूसरी योजना और उसके बाद के काल में खाद कारखाने कायम करने के लिये जारी किये गये कई लाइसेन्स गैर सरकारी क्षेत्र ने लौटा दिये जबकि देश मे उर्वरक उद्योग की सख्त जरूरत थी। एक तो उत्पादन को एक कदम बढाने के लिये और दूसरे उर्वरक आयात मे प्रयुक्त होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत के लिये 1966–67 मे शुरू हुए व्यापार प्रतिसार ने गैर सरकारी क्षेत्र को सीमेंट उद्योगों का विस्तार करने का वचन दिया था। भारतीय अर्थव्यवस्था के दीर्घकालीन हित को दृष्टि मे रखते हुए सरकार ने सीमेट कारपोरेशन आफ इण्डिया की स्थापना की। जिसके अधीन सीमेंट के उत्पादन को बढाया गया। औषधि उद्योग द्वारा गैर सरकारी क्षेत्र मे एण्टीबायोटिक्स बनाने मे विफलता और उपभोक्ताओ के निर्दयी शोषण के कारण सरकारी क्षेत्र को औषधि उपयोग द्वारा गैर सरकारी क्षेत्र में एण्टीबायोटिक्स बनाने में विफलता और उपभोक्ताओ को शोषण से बचाने के लिये अपने स्वामित्व में कर लेती है। भारत सरकार ने जीवन बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण बीमा करवाने वाले

व्यक्तियो को गैर सरकारी शोषको की लोलुपता व शोषण से बचाने के लिए किया। भारत के 20 बडे बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य बैको की पूँजी द्वारा गैर सरकारी औद्योगिक एव वाणिज्यिक साम्राज्य स्थापित करने से रोकना था। रूग्ण सूती वस्त्र कारखानो को राजकीय स्वामित्व मे लाने का कारण भी गैर सरकार की विफलता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि गैर सरकारी क्षेत्र न तो जनता के प्रति अपने दायित्व को समझता है, न ही न्यायोचित रूप में व्यापार चलाता है। भारत मे निजी क्षेत्र के दोषपूर्ण व्यवहार का कारण यह है कि सूदखोर महाजन हाल ही के वर्षो में उद्यमकर्ता बन गये हैं, और वे औद्योगिक विकास को [illegible] नहीं समझते।

निष्कर्ष यह है कि सरकारी क्षेत्र के विस्तार द्वारा अपने राष्ट्रीय उद्देश्यो की पूर्ति करना चाहते है ये मुख्य उद्देश्य है गरीबी को दूर करना आत्मनिर्भरता की प्रगति, आय की असमानताओ मे कमी, रोजगार के अवसरो का विस्तार, क्षेत्रीय असमानताओ को दूर करना, कृषि तथा औद्योगिक विकास की गति को त्वरित करना, स्वामित्व के संकेन्द्रण (Concentration of ownership) को कम करना और निजी क्षेत्र के विरुद्ध प्रभावी प्रतिकारी शक्ति के रूप मे क्रियाशील होकर एकाधिकारी प्रवृत्तियो को समाप्त करना, आधुनिक तकनालॉजी द्वारा देश को स्वावलम्बी बनाना और व्यावसायिक तकनीकी एवं प्रबन्धकीय कुशल श्रमिको को तैयार करना ताकि देश को अन्ततोगत्वा विदेशी सहायता पर निर्भरता से मुक्त किये जा सके।

अध्याय तीन

भारत के लोक उद्यमों का विकासात्मक अध्ययन

भारतीय नियोजन पद्धति सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकाधिक विकास कार्य नीति पर आधारित रही है। स्वतंत्रता पूर्व देश की अर्थव्यवस्था का इतना अधिक दोहन हुआ था कि उसे पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना अत्यन्त दुष्कर कार्य था। उसका प्रत्येक अग समस्याग्रस्त था। अत सरकार ने स्वय विकास प्रक्रिया को प्रारम्भ करने का बीडा उठाया। देश का निजी क्षेत्र देश की आर्थिक स्थिति के सुधार मे न तो सक्षम था और न ही इच्छुक, अत सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से ही विकास किया जा सकता था। वास्तव मे ब्रिटिश काल मे भारत का आर्थिक परिदृश्य इतना कमजोर हो गया था कि लोगो को उत्पादक गतिविधियो मे विनियोग करके जोखिम उठाने कि प्रवृत्ति ही समाप्त प्राय हो गई थी। वे तो सिर्फ स्वर्ण आभूषण, कीमती रत्नो और नकद के रूप मे अपनी सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के आदी हो गये थे, इसके अलावा उनकी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ भी नही थी कि वे बडे पैमाने पर उद्योगो या व्यापार मे निवेश कर सके इन्ही तत्वो के मद्देनजर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विकास अपरिहार्य हो गया।

हमें सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विकास करना है। इसे न केवल उन क्षेत्रो मे विकास करना है जिसके लिए निजी क्षेत्र इच्छुक नही हैं या करने मे असमर्थ हैं बल्कि इसे अर्थव्यवस्था के समग्र विनियोग ढॉचे को बदलने मे प्रभावी कार्य अदा करना है, चाहे वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप मे विनियोग करे या वे विनियोग निजी क्षेत्र द्वारा किये जाएं। एक विकासशील अर्थव्यवस्था मे जिसका अधिकाधिक विस्तार हो रहा है, सरकारी और गैर सरकारी दोनो क्षेत्रो के एक साथ विकास की गुंजाइश है, परन्तु यदि विकास को कल्पित गति से आगे बढाना है और बडे सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रभावी योगदान देना है, तो यह अनिवार्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र को सापेक्ष रूप से निजी क्षेत्र की तुलना मे अधिक गति से आगे बढाना होगा।

इन्ही तथ्यो को ध्यान मे रखकर भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप प्रदान किया गया, जिसमे निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर और एक दूसरे के पूरक बनकर देश का विकास करते हैं यद्यपि विश्व के अधिकाश विकसित देशो ने निजी क्षेत्र के अधिकाधिक विकास के आधार पर ही अपना विकास किया है, फिर भी अनेक समाजवादी देशो ने सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से अपना विकास करके विश्व को चकाचौध कर दिया। भारत के इन दोनो आर्थिक पद्धतियो–पूँजीवादी व्यवस्था तथा समाजवादी व्यवस्था के मध्य का रास्ता अपनाया और निजी तथा सार्वजनिक दोनो क्षेत्रो का मिश्रित विकास किया।

1948 और 1956 की औद्योगिक नीतियो मे स्पष्टरूप से निजी और सार्वजनिक उद्यमो के कार्यक्षेत्र का विभाजन कर दिया गया था। भारी पूँजी के विनियोग वाले अर्द्धसरचनात्मक उद्योगो मे सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गयी, क्योंकि एक तो इनके लिए भारी पूँजी की आवश्यकता होती और दूसरी ओर इनमें लाभ की प्रत्याशा भी कम होती है साथ ही साथ इन उद्योगो मे उत्पादन भी देर से प्रारम्भ हो पाता है। इन्ही कारणो से निजी क्षेत्र इनमे निवेश नही करना चाहता था। वह तो सिर्फ उपभोक्ता वस्तुओ के उत्पादन और कृषि कार्य मे ही अपना धन व श्रम लगाना चाहता था।

भारत मे लोग उद्यमो का महत्व योजना काल मे प्रारम्भ से ही बढता रहा है। 1951 में जहॉ सिर्फ 5 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई अस्तित्व मे थी और उनमें सिर्फ 29 करोड रूपया का निवेश हुआ था, वहीं मार्च 2001 को इन लोक उद्यमों की संख्या बढकर 242 हो गयी तथा इन लोक उद्यमों में किया गया कुल विनियोग 274114 करोड रू0 हो गया।

तालिका - 3.1
सार्वजनिक उद्यमों में केन्द्र सरकार का विनियोग

वर्ष (1 अप्रैल को)	इकाइयो की सख्या	कुल विनियोग (करोड रू0 मे)
1951	5	29
1956	21	18
1961	47	948
1969	84	3897
1974	122	6237
1980	179	18150
1985	215	42673
1990	244	99329
1991	246	113896
1992	246	135445
1993	245	145587
1994	246	164332
1996	243	178628
1997	242	193121
1998	240	221984
1999	240	230140
2000	240	252745
2001	242	274114

स्त्रोत : भारत सरकार सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 1998–99 व योजना जुलाई 2002 पेज नं0 24 I

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि द्वितीय पचवर्षीय योजना के बाद से सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया, फलस्वरूप उनकी सख्या मे वृद्धि होती गयी।

वर्ष 1951 मे केवल 5 उद्यम थे जिनमे मात्र 29 करोड रू0 विनियोजित था, इनकी सख्या बढकर 1997 मे 242 हो गयी तथा पूँजी बढकर 193121रू0 हो गया परन्तु वर्ष 99 में इनकी सख्या बढकर 1997 मे 242 हो गयी परन्तु विनियोग बढकर 230140 करोड हो गया जो अच्छे संकेत का सूचक है। इन सार्वजनिक उद्यमों में केन्द्र सरकार का विनियोग मार्च 2000 में 252554 करोड रू0 हो गया जो इन उद्यमों के विकास की कडी का अगला कदम है।

विनिवेश का लक्ष्य तथा वास्तविक विनिवेश की स्थिति

तालिका-3.2

वर्ष	विनिवेश का लक्ष्य	वास्तविक विनिवेश (करोड रू0 मे)
1990–91	2500	3038
92–93	3500	1961
93–94	2500	-48
94–95	4000	5078
95–96	7000	362
96–97	5000	455

97–98	4800	912
98–99	5000	9000
99–2000	10000	6752
2000–2001	10000	1829
2001–2002	12000	5573

स्त्रोत · भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2002 पेज 72

वर्ष 90–91 मे विनिवेश का लक्ष्य 2500 करोड रू0 था जबकि वास्तविक विनिवेश 3038 करोड रू0 हुआ। वर्ष 9–94 मे विनिवेश का लक्ष्य 2500 करोड रू0 था परन्तु वास्तविक विनिवेश (-48) था जो असन्तोषजनक परिणाम का द्योतक रहा है। विनिवेश के लक्ष्य मे लगातार वृद्धि होती रही परन्तु वास्तविक विनिवेश में उच्चावचन की स्थिति बनी रही। वर्ष 98–99 में 5000 करोड रू0 के विनिवेश का लक्ष्य रखा गया था जबकि वास्तविक विनिवेश 9000 करोड का किया गया। वर्ष 99–2000 के लिए विनिवेश का लक्ष्य 10000करोड रू0 है। यद्यपि इस प्रवृत्ति से सरकार को तत्काल कुछ धन प्राप्त हो जाता है, जिसका वह बजट घाटे को कम करने उद्योगों का आधुनिकीकरण करने कर्मचारियो को प्रशिक्षित करने आदि मे सदुपयोग कर सकती है।

तालिका-3.3

लोक उद्यमों के लाभार्जन/हानि अर्जन की स्थिति

(करोड़ रू0 में)

वर्ष	कुल लाभ	लाभार्जन इकाइयों द्वारा अर्जित लाभ	हानिगत इकाइया की कुल हानि
1991–92	2356	6079	3723
92–93	3271	7384	4113
93–94	4545	9768	5223
94–95	7187	12070	4883
95–96	9574	14763	5188
96–97	10286	16125	5939
97–98	13720	20279	6559
98–99	13235	22509	9274
99–2000	14331	24633	10302
2000–2001	15653	28492	12839

स्त्रोत · योजना जुलाई 2002 पेज न0 26

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि लोक उद्यमों द्वारा अर्जित कुल लाभ में निरन्तर वृद्धि हुआ है। वर्ष 91–92 में कुल लाभ 2356 करोड रू0 हो गया इस प्रकार से कुल लाभ में वृद्धि अच्छे परिणाम का द्योतक है। लाभार्जक इकाइयो द्वारा अर्जित लाभ जो 91 92 में [illegible] करोड रू0 था बढकर 22509 करोड रू0 हो गया, यह भी उत्तम परिणाम का परिचायक है परन्तु कुछ हानिगत इकाइयों के कारण लोक उद्यमो के निष्पादन पर विपरीत प्रभाव पडा है। यदि लोक उद्यमों के

विकास का समुचित प्रबन्ध किया जाय तो निश्चय ही ये देश के विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है।

तालिका - 3.4
लोक उद्यमों के लाभार्जन व हानिअर्जन इकाइयों का विवरण-

वर्ष	लाभार्जक इकाइयॉ	हानिगत इकाइयॉ	न लाभ न हानि में चलती इकाइयॉ
91–92	133	102	2
92–93	131	106	2
93–94	121	116	3
94–95	130	109	2
95–96	132	102	5
96–97	129	104	3
97–98	134	100	2
98–99	127	106	2
99–2000	126	105	1
2000–2001	122	111	1

स्त्रोत : योजना जुलाई 2002 पेज नं0 26

उपरोक्त तालिका के अनुसार लाभार्जक इकाइयों की संख्या में निरन्तर उच्चावचन की स्थिति बनी रही, वर्ष 91–92 मे लाभार्जक इकाइयों की सख्या 133 थी, यह सख्या 97–98 में बढकर 134 हो गई। परन्तु 2000–2001 में इनकी संख्या पुनः घटकर 122 हो गयी। इसी प्रकार हानिगत इकाइयों की सख्या मे भी उच्चावचन की स्थिति बनी रही, वर्ष 91–92 में जहॉ इनकी संख्या 102 थी, 97–98

मे घटकर 100 हो गई। परन्तु 98–99 में उनकी सख्या मे बढोत्तरी असन्तोषजनक परिणाम दर्शित कर रहा है। न लाभ न हानि मे चलने वाले इकाइयो की स्थिति मे भी उच्चावचन की स्थिति बनी रही। हानिगत इकाइयों की संख्या में कमी करना अत्यन्त आवश्यक है तभी देश के लोक उद्यमो का भविष्य उज्जवल हो सकेगा। लाभार्जन करने वाले इकाइयो की प्रबन्धन मे सुधार लाकर उनके लाभदायकता मे अधिक वृद्धि करने का प्रयास युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए। जिससे लोक उद्यमो के निष्पादन क्षमता मे सुधार हो सके।

तालिका 3.5

केन्द्रीय राजकोष में योगदान (करोड़ रू० में)

क्र०सं०	विषय	2000–01	98–99	97–98	96–97
1	केन्द्र सरकार द्वारा नियोजित पूँजी पर लाभांश व ब्याज	10895	5034 58	4146 69	3482 63
2	उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, निगम कर, लाभांश कर, बिक्री कर तथा अन्य शुल्क व करों द्वारा योगदान	50083	41889 99	38145 52	35526 68

स्त्रोत · याजना जुलाई 2002 पृ० सं० 27

देश की योजना गत विकास आवश्यकताओं के लिए धन जुटाना भी सार्वजनिक उपक्रमों का प्रमुख कार्य रहा है। लाभांश बटवारा, ब्याज , निगम कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं अन्य करों आदि के रूप में केन्द्रीय कोष में लोक उद्यमों ने प्रशंसनीय योगदान दिया है। राजकोष में योगदान प्रदान कर ये उद्यम

देश के वित्तीय विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। वर्ष 96–97 मे कुल योगदान 39000 करोड रू0 का दिया गया जो 2000–01 मे बढकर लगभग 50000 करोड रू0 हो गया। इसप्रकार राजकोष के योगदान मे निरन्तर वृद्धि करके लोक उद्यमो ने सरकार के कोष मे प्रमुख योगदान दिया है।

तालिका - 3.6
विदेशी मुद्रा प्राप्तियाँ (करोड़ रू0 में)

क्र0स0	विषय	2000–01	98–99	97–98	96–97
1	एफ0 ओ0 बी0 आधार पर सामान का निर्यात	19714	14516	16203	15277
2	रायल्टी तकनीकी ज्ञान एव सेवाओ द्वारा प्राप्त शुल्क	192	170	133	119
3	ब्याज एवं लाभांश	382	337	257	66
4	अन्य आय	4203	3804	3890	3462
	कुल	24092	18827	20483	18924

स्त्रोत योजना जुलाई 2000 पेज न0 25

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विदेशी मुद्रा अर्जन के क्षेत्र मे लोक उद्यमों की स्थिति संतोषजनक है। विदेशी मुद्रा अर्जन मे लोक उद्यमों मे उच्चावचन की स्थिति बनी रही। वर्ष 96–97 मेंलोक उद्यमों द्वारा कुल 18924 करोड रू0 अर्जित किया गया जो 97–98 मे बढकर 20483 करोड रू0 हो गया, परन्तु 2000–01 में इसमें पुन: गिरावट आई जो 18827 करोड रू0 हो गया। लोक उद्यमों को विदेशी मुद्रा अर्जन में वृद्धि का प्रयास करना चाहिए जिससे देश में

विदेशी मुद्रा की भरमार हो, और लोक उद्यमो की दशा मे गुणात्मक सुधार हो। मुद्रा अर्जित करेगी उतना ही देश का भुगतान सतुलन पक्ष मे होगा जो देश के लिए उपयोगी व हितकर होगा।

तालिका - 3.7
भारत के लोकउद्यमों का टर्न ओवर
(करोड़ रू० में)

वर्ष	टर्नओवर
91–92	133906
92–93	147266
93–94	158049
94–95	187355
95–96	226919
96–97	260735
97–98	275996
98–99	309994
99–2000	302867
2000–01	330649

स्त्रोत : योजना जुलाई 2002 पेज न0 26

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत के लोक उद्यमों ने काफ टर्नओवर प्राप्त किया है। वर्ष 91–92 से लगातार टर्न ओवर मे वृद्धि का क्रम जारी है। वर्ष 91–92 में लोक उद्यमो द्वारा 133906 करोड रू0 टर्न ओवर प्राप्त किया गया जो बढकर 2000–01 में करीब 3 गुना हो गया। लोक उद्यमो द्वारा इस प्रकार टर्नओवर प्राप्त करना अच्छे परिणाम का सूचक है लोक उद्यमों की इस प्राप्ति मे अधिकाधिक वृद्धि का प्रयास करना चाहिए जिससे लोक उद्यम निरन्तर लाभार्जन कर सके। टर्नओवर में वृद्धि करने के लिए यह परमावश्यक है कि उत्पादन व

विक्रय मे निरन्तरता बनी रहे। उत्पादन मे निरन्तरता बनाये रखना जरूरी होता है, जिससे टर्न ओवर अधिक से अधिक प्राप्त करके लोक उद्यम अधिकाधिक विकास व उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके।

तालिका - 3.8
लोक उद्यमो की निर्यात आय (करोड़ रू0 में)

वर्ष	कुल निर्यात आय
81–82	2725 78
82–83	4747 20
83–84	5532– 10
84–85	5827 22
85–86	3822 32
86–87	3941 78
87–88	4176 48
88–89	4892 32
89–90	6365 84
93–94	11872 45
94–95	13216 18
95–96	16269 22
96–97	16385 71
97–98	20483
98–99	18827
99–2000	19714
2000–01	19714

स्त्रोत · योजना जुलाई 2002 पेज नं0 27

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि लोक उद्यमों के निर्यात आय मे निरन्तर वृद्धि हुई है। निर्यात आय से अधिकाधिक मात्रा में विदेशी राजस्व की प्राप्ति

होती है और देश का भुगतान सतुलन देश के अनुकूल होता है। लोक उद्यमो की इस दिशा के अनुकूल होता हे। लोक उद्यमो को इस दिशा मे अधिक प्रयास करना चाहिए जिससे निर्यात आय मे वृद्धि हो और देश का सतुलित विकास होता रहे।

सम्पूर्ण योजना काल मे सार्वजनिक क्षेत्र का कुल निवेश में महत्वपूर्ण अश रहा है। पहली पचवर्षीय योजना से छठी पचवर्षीय योजना से छठी पंचवर्षीय तक का कुल निवेश के आधे से अधिक रहा है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पॉचवी तथा छठी योजनाओ मे कुल विनियोग का 54%, 54%, 60%, 59%, 57 6% और 53% भाग सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया गया। सातवी पचवर्षीया योजना मे यह 47% पर आ गया जबकि नौवी योजना मे घटाकर इसे 33% कर दिया गया। वास्तव मे आठवीं पंचवर्षीय योजना तक आते–आते सरकार ने यह महसूस किया कि अब भारत का निजी क्षेत्र काफी हद तक स्वावलम्बी हो गया है और देश के विकास मे अधिक भागीदारी निभा सकता है।

आर्थिक विकास हेतु अध सरचना का विकसित होना आवश्यक है। सडक, रेल आदि परिवहन के साधन, सचार की सुविधाए ऊर्जा का उत्पादन तथा वितरण आदि सुविधाओ के अभाव मे कृषि, उद्योग या सेवाओ का विकास असम्भव है। इन तत्वों के विकास मे सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान अद्वितीय रहा है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का तीव्र से विकास हुआ। औद्योगीकरण सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका का ही परिणाम है। लोहा व इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, भारी रसायन उर्वरक , भारी विद्युत उपकरण, कोयला, अन्य खनिज, प्रतिरक्षा सम्बन्धी उद्योग आदि का अधिकाश विकास सार्वजनिक क्षेत्र के ही प्रयासो से हुआ है। इन विशालकाय उद्योगो के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता और लम्बी परिणाम अवधि के कारण निजी क्षेत्र की असमर्थता को सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से ही पूरा किया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र मे अनेक ऐसे उद्योगो की स्थापना की गई है जिनके उत्पाद भारत को पूर्व काल में विदेशों से आयात करने पडते है। उदाहरणार्थ भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, इडियन ड्रग्स एड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, इडियन ऑयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान एटीबायोटिक्स लिमिटेड आदि इकाइयो मे ऐसी वस्तुओ का उत्पादन होता है।

यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य ध्येय देश की घरेलू आवश्यकताओ की पूर्ति हो रहा है, परन्तु अनेक ऐसे उद्यम भी है, जिन्होने निर्यात योग्य वस्तुओ का उत्पादन करके बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। उदाहरणार्थ, भारत इलेक्ट्रिानिक्स लिमिटेड हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड आदि मे उत्पादित वस्तुएं बडी मात्रा मे निर्यात की जाती हैं। स्टेट ट्रेडिग कॉरपोरेशन ने इस कार्य मे महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो की स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से ही नही की जाती, बल्कि उनका उद्देश्य जनहित होता है, इसलिए अनेक उद्यमो की स्थापना ऐसे क्षेत्रो मे भी की जाती है जहॉ यद्यपि उनके उपयुक्त दशाएँ उपलब्ध नही होती परन्तु उनकी सहायता से उस क्षेत्र का पिछडापर दूर किया जा सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना है। पूँजी वादी व्यवस्था मे आर्थिक शक्ति कुछ ही हाथो में संकेन्द्रित हो जाती है अत भारत जैसे निर्धन देश मे इस कुप्रथा को रोकने का काम काफी हद तक सार्वजनिक क्षेत्र ने किया है यद्यपि देश में अनेक बडे औद्योगिक घराने मौजूद है परन्तु कुल परिसम्पत्ति मे उनका हिस्सा बहुत कम है।

तालिका - 3.9
केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों का वित्तीय निष्पादन

वर्ष	इकाइयो की सख्या	विनियोजित पूॅजी	कर पूर्व सकल लाभ	कर पूर्व शुद्ध लाभ	कर पश्चात शुद्ध लाभ
91—92	237	117991	13675	4003	2355
92—93	239	140110	15957	5076	3271
93—94	240	159836	18555	6654	4544
94—95	241	162451	22630	9768	7187
95—96	239	173874	27988	14065	9878
96—97	236	202022	29399	15473	10258
98—99	235	273697	39766	19734	13235
99—2000	240	252745	25355	22037	14331
2000—01	242	274114	29544	24966	15653

स्त्रोत सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 98—99 व टाटा आउट लाइन 2001—02

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सार्वजनिक उद्योगो के वित्तीय निष्पादन में निरन्तर सुधार हुआ है। वर्ष 91—92 में शुद्ध लाभ 2355 करोड रू0 था। जो 2001—02 मे बढकर 15653 करोड रू0 हो गया। इस प्रकार इन उद्योगों का वित्तीय निष्पादन सन्तोषजनक स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है।

तालिका - 3.10

सार्वजनिक क्षेत्र मे क्षमता उपयोग

क्षमता उपयोग	2000–01	1998–99	1997–98	1996–97	1993–94	1991–92
75% से अधिक	144	119	118	126	115	118
50 से 75% के मध्य	33	46	37	32	59	42
50% से कम	59	69	58	56	50	50
कुल	236	234	213	214	224	210

स्त्रोत · योजना जुलाई 2000 पेज नं0 24

भारत के लोक उद्यमों द्वारा अपने उत्पादन क्षमता का पूर्ण सदुपयोग नही किया जा रहा है। यदि सभी लोक उद्यम अपने उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग करने मे समर्थ हो जाते तो निश्चय ही लोक उद्यमो की स्थिति बेहतर होती इन लोक उद्यमों द्वारा अधिकतम 75% ही उत्पादन क्षमता का प्रयोग किया जा रहा है। जबकि ये अपने उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सकते है।यदि सभी लोक उद्यम प्रयास करे तो निश्चय ही लोक उद्यम सफलता की उंचाइयों पर पहुंचने मे सफल हो जायेगे। प्रबन्धन क्षमता में भी सुधार करना पडेगा। तभी लोक उद्यमो द्वारा उनकी पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सकता है। सरकार को भी अत्याधुनिक यन्त्रो व मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए। जिससे उत्पादन मे अधिकाधिक वृद्धि हो और उत्पादन क्षमता में सुधार हो।

तालिका - 3.11

सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास पर विनियोग

प0 यो0	सगठित एव खनिज उद्योग	कुटीर एव लघु उद्योग	अन्य
I	55	22	97
II	938	187	1125
III	1726	241	1967
IV	2864	243	3107
V	6888	376	7264
VI	14790	1945	16948
VII	14708	2745	22461
VIII	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	47888
IX	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	65148

स्त्रोत इकोनामिक सर्वे 87–88 व 2000–2001

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास पर विनियोग की दिशा मे सरकार ने प्रभावी कदम उठाया है। इन उद्योगों के विकास के लिए सरकार निरन्तर धन की उपलब्धता बढाती जा रही है। इसलिए इन उद्योगो का प्रमुख दायित्व है कि वे सरकार द्वारा विनियोजित पूँजी पर पर्याप्त लाभार्जन करे जिससे ये अपनी अस्तित्व को बनाये रखने में सफल रह सकें।

रखा गया है जिससे उत्पादकता मे निरन्तर वृद्धि हो तथा सभी लोक उद्यम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपने अस्तित्व को बनाये रखने मे समर्थ कर सके।

यदि सार्वजकिन क्षेत्र के उद्यमो में से लाभ प्राप्त करने वाले और हानि उठाने वाले उद्यमो के निष्पादन का अलग–अलग अध्ययन किया जाय तो स्थिति और स्पष्ट हो जाती है।

लाभ प्राप्त करने वाले उद्योगों मे सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनिया, नेशनल थर्मल पॉवर कारपोरेशन लि0 , विदेश सचार निगम, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमि0, महानगन टेलीफोन निगम, इण्टरनेशनल एअर पोर्ट अथारिटी ऑफ इण्डिया मुख्य है। जबकि घाटे में चल रहे उद्यमों मे इण्डियन आयरन एव स्टील लिमिटेड, कोल इण्डिया लिमि0 हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमि0, दिल्ली परिवहन निगम आदि है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियो द्वारा कुल लाभ का 75% भाग अर्जित किया जाता है। तथा अन्य उद्यमों का लाभ बहुत कम है।

राज्य स्तर के सार्वजनिक उद्यमों की स्थिति तो और भी दयनीय है उनमे से अनेक स्थायी रूप से घाटा उठा रहे है। राज्य की सडक परिवहन निगम राजकीय विद्युत बोर्ड राजकीय सिंचाई परियोजनाएं आदि प्रमुख घाटा उठाने वाले प्रमुख उद्यम है।

सार्वजनिक उद्यमों द्वारा लाभ कम अर्जित करने या उनमे घाटा होने का प्रमुख कारण उनकी अदक्षता पूजी व समय की बरबादी गलत प्रबन्धग श्रमिकों की कामचोरी तथा अन्य प्रकार अव्यवस्थाएं हैं। जिनके फलस्वरूप इन उद्यमो का उत्पादन लागत वहुत उच्च हो जाता है। अत आवश्यकता इस बात की है कि इन

उद्योगो की कार्यकुशलता मे वृद्धि करके उत्पादन लागत को उठाया जाय और क्षमता का पूर्ण सदुपयोग किया जाय। सरकार इसके बजाय जो आसान उपाय अपनाती है। वह है इन उद्यमो के उत्पादो की प्रशासित कीमत बढाना, इससे उपभोक्ताओ पर अनवश्यक बोझ पडता है।

सार्व जनिकक्षेत्र की इकाइयो मे उत्पादन प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम दक्ष है जिससे उनका घाटा निरन्तर बढता जा रहा है। ये कमियां अग्रलिखित है।

1 ये इकाइया अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नही कर पा रही है। फलत इनमे निवेशत पूँजी पर प्राप्त होने वाला प्रतिफल कम होता है।

2 ये इकाइया श्रमिको की आवश्यकता से अधिक संख्या से बुरी तरह ग्रस्त है। जिससे श्रमिकों की उत्पादकता बुरी तरह प्रभावित होती है। बहुत से श्रमिक काम करने से कतराते है और अधिकारियों का कुछ श्रमिको पर निगरानी भी कम रहता है।

3 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां जिन वस्तुओ की उत्पादन करती है उनमें उनका एकाधिकार होता है। फलत उनके अन्दर अपनी क्षमता मे वृद्धि करने हेतु प्रतियोगी भावना उत्पन्न नही हो पाता।

4 ये इकाइयां सरकारी निर्णयो से काफी हद तक नियत्रित एवं प्रभावित होती है। अत इनके प्रबन्धक शीघ्रतापूर्वक कोई निर्णय नहीं ले पाते जिससे उनकी उत्पादकता पर बुरा प्रभाव पडता है।

5. लोक उद्यमो द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमतें बाजारी शक्तियो के आधार पर नही बल्कि उनका निर्धारण अनेक तत्वो जैसे राजनीतिक, सामाजिक तथा जनता

की सुविधाओ को ध्यान मे रखकर किया जाता है। जिससे उनका लाभ कम हो जाता है।

6 इन इकाइयो मे सुरक्षा तथा अन्य अनुत्पादक कार्यो पर अधिक व्यय किया जाता है जिससे उत्पादन लागत बढती जाती है।

7 कर्मचारियो एव प्रबन्धकों मे उत्तरदायित्व की भावना का अभाव उन्हे कामचोरी व भ्रष्टाचार को बढावा देने मे मदद करती है। जिससे वे इन उद्यमो की कार्यो मे रूचि नही लेते है जिससे उत्पादकता मे कमी आती जाती है और इन उद्योगों का घाटा बढता जाता है।

अध्याय - चार

भारत के लोक उद्यमों में रुग्णता की वर्तमान स्थिति व रुग्णता के कारण

औद्योगिक रूग्णता की समस्या विश्वव्यापी है, परन्तु भारतीय उद्योग इस समस्या से विशेष रूप से ग्रस्त है वास्तव मे आज औद्योगिक रूग्णता भारतीय उद्योगो की मुख्य समस्या बन गई है ओर इसका देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर अत्यत बुरा असर पड रहा है। देश मे एक ओर तो विकास कार्यो के लिए वित्तीय ससाधनो की घोर कमी है वही दूसरी ओर इन रूग्ण इकाइयों में देश के बैको एव अन्य वित्तीय सस्थाओं का अरबो रूपया फंसता जा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैक ने रूग्ण इकाई की परिभाषा इस प्रकार की है। " एक औद्योगिक इकाई जिसने बैक के निर्माण मे एक वर्ष तक नकद हानि उठाई है, वर्तमन तथा अगले वर्ष मे हानि उठाने कि सम्भावना है तथा जिसकी वित्तीय संरचना में असन्तुलन हो, अर्थात वर्तमान प्राप्तियों का वर्तमान देवो से अनुपात 1 1 से कम हो और ऋण इक्विटी अनुपात अर्थात कुल बाह दायित्वो के शुद्ध रूप से अनुपात मे एक बिगडती हुई प्रवृति हो, वह रूग्ण मानी जाएगी।

भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार :-

(1) "एक रूग्ण इकाई है जो लगातार इकाई लगातार अपने आन्तरिक वित्तीय व्यवस्था करने में असफल रहती है और वित्तीय व्यवस्था के लिए बाह्र स्त्रोंतों पर निर्भर करती है।"

आई0 डी0 बी0 आई0 के अनुसार :-

(२) "यदि एक संस्था अपने दायित्वों में असमर्थ है और लगातार रोकड हानि अर्जित कर रही है तो रूग्ण इकाई कहलायेगी।"

आर्थिक दृष्टि से एक उद्यम रूग्ण कहा जाता है, जब वह अपनी पूजी पर यथोचित प्रतिफल प्राप्त करने मे असफल होता हैं मियादी ऋण देय संस्थाओं के अनुसार, एक इकाई तब रूग्ण मानी जाती है। जब निम्न मे से कोई लक्षण उसमें दृष्टिगत होता है –

(1) संस्थान ऋणों के सन्दर्भ में ब्याज अथवा मूलधन के चार लगातार अर्द्धवार्षिक किस्तो की अदायगी में असमर्थ रहना।

(2) दो वर्षो की अवधि तक निरन्तर नकद हानियां या शुद्ध मूल में 50% का निरन्तर ह्रास होना।

(3) छः महीने तक वैधानिक तथा अन्य दायित्यों के कारण बढता बकाया। इस विषय पर 1985 में रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार रूग्ण औद्योगिक कम्पनी ऐसी औद्योगिक कम्पनी जिसका अनुज्ञापन हुए कम से कम 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया तथा नगद हानि को छोड दिया गया है।

इसके अलावा किसी कम्पनी की अधिकतम विशुद्ध पूजी का 50% या उससे अधिक भाग पिछले पॉच वित्तीय वर्षो में नष्ट होने पर उसे आरम्भिक रूग्ण कम्पनी की श्रेणी में रखा जाएगा।

आद्योगिक रूग्णता की इस परिभाषा में निम्न कम्पनियों को शामिल नहीं किया गया है :–

(1) वे कम्पनियाँ जिनकी स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत हुई है, लेकिन जिनका कार्यकाल सात वर्ष से कम रहा है

(2) वह वित्तीय कम्पनी जिसके स्वामित्व मे कोई औद्योगिक कम्पनी नही है।

(3) व्यापार करने वाली कम्पनी, जिसके स्वामित्व में कोई औद्योगिक कम्पनी नही है।

(4) वह कम्पनी जिसके स्वामित्व मे सिर्फ लघु स्तर पर उत्पादन करने वाला अथवा सहायक उपक्रम है।

प्रारम्भ मे सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियाँ भी इस अधिनियम मे शामिल नहीं थी परन्तु दिसम्बर 1991 मे इस अधिनियम में सशोधन करके इन कम्पनियो को भी इसमे शामिल कर लिया गया है।

भारत में औद्योगिक रूग्णता की समस्या किसी उद्योग विशेष तक ही सीमित नही है। बल्कि यह सभी उद्योगो मं अपनी पहुँच बना चुका है। छोटे या बडे सभी आकार के उद्योगों में से कुछ रूग्ण बन चुके है। देश के सभी राज्यों में इसका विस्तार है तथा समाज का प्रत्येक वर्ग इससे प्रभावित है। औद्योगिक रूग्णता के विषय में एक बात स्पष्ट है कि कोई भी इकाई एक दिन में पूर्णत रूग्ण नहीं हो जाती है, बल्कि यह धीरे-धीरे एक लम्बी अवधि मे पूरी होने वाली प्रक्रिया है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस समस्या को इसके प्रारम्भिक चरण मे ही पहचान लिया जाय औरउसकी उसी समय रोकथाम की जाय ताकि इकाई पूर्णतः ध्वस्त होने से पूर्व ही पुनः शक्ति प्राप्त कर सके। इस प्रकार के कुछ प्रमुख संकेत

निम्नलिखित है जिन पर ध्यान देकर किसी भी इकाई की रूग्णता का पूर्वानुमान किया जा सकता है –

(i) यदि किसी इकाई द्वारा दिन–प्रतिदिन के खर्चों का भुगतान करने के लिए कार्यशील पूंजी की कमी महसूस हो।

(ii) उत्पादन तथा विक्रय मे निरन्तर गिरावट आने के बावजूद भी स्टॉक एव देनदारों मे निरन्तर वृद्धि हो रही है।

(iii) तरल सम्पत्तियो जैसे रोकड एव बैक शेष, तत्काल विक्रय योग्य प्रतिभूतियॉ आदि मे गत दो तीन वर्षों से निरन्तर कमी हो रही हो तथा अल्पकालीन दायित्वो जैसे लेनदान देय बिल आदि मे इसी अवधि मे निरन्तर वृद्धि हो रही है।

(iv)गत दो वर्षो से इकाई के शुद्ध रोकड प्रवाह में निरन्तर कमी या हानि हो रही हो तथा भविष्य मे भी इसके जारी रहने की सभावना हो

(v) श्रमिकों को मजदूरी तथा वैधानिक बकायो के भुगतान में निरन्तर विलम्ब हो रहा हो

(vi) गत पॉच वर्षो मे इकाई को परिचालन से निरन्तर हानि हुई हो तथा भविष्य मे भी इसके जारी रहने की सभावना हो।

(vii) औद्योगिक इकाई की अकेक्षण रिपोर्ट गत दो तीन वर्षों से मर्यादित की गई हो आदि,

(viii) भुगतान के लिए सशोधनो के अभाव मे दीर्घकालीन ऋणो एव उस पर देय ब्याज में निरन्तर वृद्धि हो रही हो।

इसके अलावा उत्पादन क्षमता एव उत्पादन की मात्रा में निरन्तर गिरावट, श्रमिको की आवर्तन दर मे तेजी से वृद्धि अशो के बाजार मूल्य मे निरन्तर गिरावट आदि सकेत किसी भी औद्योगिक इकाई के चार–पॉच वर्षों के पश्चात रूग्ण हो जाने की ओर इशारा करती है।

इसके अलावा वित्त एव लेखा क्षेत्र के विभिन्न विद्वानो ने वित्तीय सूचनाओं के आधार पर अनुपात विश्लेषण तकनीक को औद्योगिक रूग्णता के पूर्वानुमान हेतु तक वैज्ञानिक एव श्रेष्ठ विधि माना है। वित्तीय अनुपातों की गणना किसी इकाई के वित्तीय विवरणे में उपलब्ध सूचनाओ के आधार पर की जाती है। विभिनन विद्वानो ने इकाई चर विश्लेषण एव बहुचर विभेद विश्लेषण नामक तकनीको की सहायता लेकर पॉच छः अनुपात ज्ञात किये है, जो किसी औद्योगिक इकाई की रूग्णता का 5–6 वर्षों पूर्व ही पूर्वानुमान कर लेते है जैसे –

(i) ब्याज एवं कर पूर्व शुद्ध लाभ का कुल दृश्य सम्पत्तियों से अनुपात (कुल दृश्य सम्पत्ति = कुल सम्पत्ति – अदृश्य सम्पत्ति)

(ii) शुद्ध विक्रय का कुल दृश्य सम्पत्तियो से अनुपात।

(iii) परिचालन से प्राप्त रोकड का शुद्ध विक्रय से अनुपात

(iv) चालू सम्पत्तियों का चालू दायित्वों से अनुपात

(v) संचित लाभ का कुल दृश्य सम्पत्तियों से अनुपात

(vi) बाह्य दायित्वो का कुल दृश्य सम्पत्तियो से अनुपात इन अनुपातो की सामूहिक प्रवृत्ति के द्वारा औद्योगिक रूग्णता का पूर्वानुमान करना सम्भव है।

तालिका 4.1
औद्योगिक अस्वस्थता का विवरण
अस्वस्थ कमजोर इकाइयाँ

वर्ष	बडी व मधयम इकाई	लघु इकाई	कुल इकाई
दिसम्बर 1980	1401	23149	24550
मार्च 1990	2269	218828	221097
मार्च 1995	2391	268815	271206
मार्च 1996	2374	262376	264750
मार्च 1997	2368	235032	237400
मार्च 1998	2476	221536	224012
मार्च 1999	2792	306221	310081

स्त्रेत : टाटा सर्विसेज लिमि० स्टेटिस्कल आउट लाइन ऑफ इण्डिया २०००–२००१ मुम्बई तालिका ८१ पेज न० ७२

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि औद्योगिक रूग्णता में तेजी से वृद्धि हुई है। बहुत से लोक उद्यम रूग्णता के शिकार लगातार होते जा रहे हैं। जिसक प्रमुख कारण प्रशासनिक अक्षमता है। जहाँ दिसम्बर 1980 में कुल रूग्ण इकाइयों की संख्या 24550 थी, उनकी कुल संख्या मार्च 99 में बढकर 310081 हो गयी। जो अत्यन्त ही चिन्तनीय विषय है। यदि इसी तरह रूग्णता में वृद्धि होती रहेगी तो वह दिन दूर नहीं है जब सरकार को सभी

लोक उद्यमो को निजी उद्योगपतियो के हाथो मे सौपने मे किसी प्रकार की कठिनाई नही होगी। क्योकि इनकी रूग्णता के कारण सरकार पर काफी वित्तीय भार आ जाता है और सरकार के बजटीय घाटे मे भी वृद्धि होती है। इसलिए सभी लोक उद्यमो का प्रमुख कर्तव्य है कि वे अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए अपने लाभार्जन मे निरन्तर वृद्धि करने का प्रयास करे।

रूग्णता की अवस्थाएं :-

उद्यमो मे रूग्णता की विभिन्न अवस्थाए है जो निम्न है –

(1) उपस्थित रूग्णता :-

इस स्थिति में इकाई को लक्ष्य के पास की रूग्णता कही जाती है। यह किसी कार्यक्षेत्र मे कुछ अपूर्णता के कारण हो सकता है। अवस्था की सूचनाएं – लाभ मे कमी जैसे गतवर्ष की तुलना मे पूर्व वर्ष की तुलना मे कार्यशील पूँजी की कमी तैयार उत्पाद और कच्चे माल के इन्वेन्ट्री मे वृद्धि है। यह ऐसी अवस्था है जिस पर इकाई का निदानात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए।

(2) आरम्भिक रूग्णता :-

यदि अवनति कार्य क्षेत्र मे निरन्तर रहे। इसका परिणाम वास्तव में रूग्ण बनाता है। इस प्रकार की रूग्णता की स्थिति प्रारभिक रूग्णता कही जाती है विस्तृत रूप से इस स्थिति में निम्न लक्षण दिखाई देती है –

(अ) पिछले वर्ष में पूँजी कमी और वर्तमान वर्ष में अनुमानित पूँजी मे कमी।

(ब) वर्तमान अनुपात स्थिति का क्षय पिछले वर्ष की तुलना में

(स) पहले से पूर्वानुमानित सम्पत्ति में कमी और ऋण अंश श्रेणी में भी कमी की आशा करना।

यह ऐसी स्थिति है जहाँ वित्तीय सस्थाये और उद्यमी को एक साथ बैठना चाहिए और प्रारंभिक रूग्णता के कारणों का विस्तृति परीक्षण करने के बाद कार्य योजना पर निर्णय लेना चाहिए।

रूग्णता :-

यह ऐसी स्थिति है जहाँ इकाई रूग्ण जो जाती है और यह निम्न विशेष कारणो से है –

(अ) उपरोक्त वर्णित कार्यरत क्षेत्र असक्षम होगी।

(ब) पिछले वर्ष नकद हानियाँ और वर्तमान मे भी हो

(स) करेन्ट अनुपात 1 से कम हो

राज्यो में भी रूग्ण इकाइयो की संख्या काफी अधिक है सभी राज्यों को अपने रूग्ण इकाइयों की स्थिति को सुधारने का प्रयास करना चाहिए जिससे सरकार पर कम से कम वित्तीय बोझ पडे और सभी लोक उद्यम निरन्तर चलते रहे, नही तो सरकार रूग्ण इकाइयो को निजी उद्योगपतियों के हाथों में सौप सकती है।

राज्य के रूग्ण औद्योगिक इकाइयों की सख्या में सदैव उच्चावचन बना रहा। बडी तथा मझोली बीमार इकाइयो की सख्या विभिन्न राज्यो मे अलग–अलग रही। उत्तर प्रदेश में बडी तथा मझोली बीमार इकाइयों की सख्या मार्च 1999 में 171 थी जो कुछ राज्यों की अपेक्षा कम तथा कुछ राज्यों के अपेक्षा अधिक था। इसी प्रकार बडी तथा मझोली कमजोर इकाइयों की संख्या 38 थी जो कुछ राज्यों की अपेक्षा कम तथा

कुछ राज्यो की अपेक्षा अधिक था। इसी प्रकार छोटी इकाइयो की सख्या भी उत्तर प्रदेश मे 35,998 थी जो कुछ राज्यो की अपेक्षा कम तथा कुछ राज्यो के अपेक्षा अधिक था। इस प्रकार रूग्ण इकाइयो की इतनी विशाल सख्या चिन्ता का विषय बना हुआ है।

आलेख 4.2

रूग्ण इकाइयों में अवरूद्ध राशि (करोड़ रू0 में)

वर्ष	वृहद एव मध्यम	लघु इकाई	कुल
दिसम्बर 1980	1502	306	1809
मार्च 1990	6926	2427	9353
मार्च 96	10027	3722	13749
मार्च 97	10178	3609	13787
मार्च 98	11825	3857	15682
मार्च 99	15150	4313	19483

स्त्रोत . टाटा सर्विसेज लिमि0 स्टेस्टिकल आउट लाइन ऑफ इण्डिया 2000–2001

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि लोक उद्यमों की अधिकाधिक राशि रूग्ण इकाइयो में अवरूद्ध है। जिसके कारण ये पूँजी का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इन इकाइयों मे दिसम्बर 80 में कुल अवरूद्ध बैंक पूँजी 1809 करोड रू0 थी। जो वर्ष 99 मे बढकर लगभग 15 गुना हो गई। इस प्रकार ये इकाइयां अपनी पूँजी का पूर्ण उपयोग करने मे अपने को असमर्थ पा रही है। जिससे ये बीमार होती जा रही है। इन्हें अपनी पूँजी का पूर्ण सदुपयोग करना चाहिए तभी ये उन्नति कर सकते हैं। नहीं तो वह दिन दूर नहीं है जब सरकार को मजबूरन इन इकाइयों को बन्द कर देना पडेगा। अथवा निजी उद्योग पतियों के हाथो में सौपना पडेगा।

तालिका 4.3

बैंकों की बकाया राशि (करोड़ रू0 में)

वर्ष	बडी एवं मध्यम इकाई	लघु इकाई	कुल
मार्च 90	6926	2427	9353
मार्च 93	9691	3443	13134
मार्च 94	10015	3680	13695
मार्च 95	10192	3547	13739
मार्च 96	10027	3722	13749
मार्च 97	10178	3609	13787
मार्च 98	11825	3857	15782
मार्च 99	15150	4313	19463

स्त्रोत : टाटा सर्विसेज लिमि0 आउट लाइन 2000–2001

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि लोक उद्यमो पर बैंको की बकाया राशि की संख्या मे भी निरन्तर वृद्धि हुई है। इन लोक उद्यमों मे बैको से बहुत सा कर्ज लिया है। इन लोक उद्यमों पर मार्च 90 में कुल बैकों की बकाया राशि 6353 करोड रू0 था जो मार्च 99 में बढकर 19463 करोड रू0 हो गया, जो इन लोक उद्यमों के लिए चिन्ताजनक विषय है। इन लोक उद्यमों को अपने निष्पादन में सुधार करना चाहिए और बैंको की बकाया राशि का यथाशीघ्र भुगतान करने का प्रयास करना चाहिए। जिससे ये अपने

अस्तित्व को बनाये रखने में समर्थ हो सके और बैकों द्वारा इनको प्रदान की जाने वाली सुविधाएं बन्द न करनी पडे।

भारत के लोक उद्यमों में रूग्णता एंव अन्य समस्याएँ

लोक उद्यम किसी भी देश की आधारशिला है। आर्थिक, सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मे लोक उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारी आर्थिक, सामाजिक एवं भौगोलिक परिस्थितयॉ इस प्रकार है कि लोक उद्योगो के समुचित विकास के बिना देश उन्नति की ओर अग्रसर हो ही नही सकती । व्यवहार मे लोक उद्यमो को कई समस्याओ का सामना करना पड रहा है जो निम्न लिखित है–

(अ) वाह्रय कारण :–

लोक उद्यमों मे रूग्णता को कई वाह्रय कारण प्रभावित करते हैं जो निम्न है –

(१) अनेक औद्योगिक इकाइयो के लिए कच्चे माल की आपूर्ति अनियमित है। प्रायः आयातित कच्चे माल का उपयोग करने वाली इकाइयो को उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम कच्चे माल की कमी के कारण अस्त–व्यस्त हो जाते हैं और औद्योगिक इकाइयों को हानि उठानी पडती हो। कच्चे माल की अनियमित आपूर्ति से उत्पादन कार्य अत्यधिक अवरूद्ध होता है।

(२) देश में बिजली की आपूर्ति आज भी आवश्यकता से काफी कम है जिस कारण बहुत सारी औद्योगिक इकाइयों के सामान्य रूप से काम करने में

रूकावट आती है। इन इकाइयो को 8–10 घण्टे तक विद्युत चाहिए परन्तु बीच मे विद्युत मे कटौती के कारण 6–7 घण्टे ही विद्युत उपलब्ध हो पाती है जिससे काम मे रूकावट होती है।

(३) औद्योगिक अस्वस्थता पर सरकारी नीति का भी काफी प्रभाव पडता हे जैसे – आयात, निर्यात, लाइसेसिंग, करारोपण आदि के बारे मे सरकारी नीति बदलने से सम्भव है कि स्वस्थ औद्योगिक इकाइयाॅ अस्वस्थ हो जाएं उदाहरण के लिए, किसी वस्तु के बारे में उदार आयात नीति से उस वस्तु या उसकी स्थानापन्न वस्तुओ का उत्पादन करने वाली इकाइयो को बहुत नुकसान हो सकता है, इसी तरह अन्य क्षेत्रो के लिए भी अनेक उदाहरण दिये जा सकते है। लाइसेसिग नीति मे भी अचानक परिर्वन से कई उद्यमो के समक्ष समस्या उत्पन्न हो जाती है।

(4) कभी – कभी वस्तुओं की मांग में कमी के कारण बहुत अधिक मात्रा में बिना बिका हुआ माल बच जाता है। जिस कारण औद्योगिक इकाइयो को हानि उठानी पडती है। अनेक मंहगे उत्पादों की नियमित माग बहुत कुछ क्रेताओं को उपलब्ध साॅख सुविधा पर निर्भर होती है यादि साख पर नियन्त्रण लगा देने के कारण खरीद दारों के लिए वित्त की व्यवस्था कर पाना सम्भव नहीं होता है तो इन वस्तुओं की मांग गिर जाती है यह प्रक्रिया देर तक चलने से उत्पादको के पास माल स्टॉक जमा होने लगते हैं और उन्हें अधिक हानि होती है। इसके फलस्वरूप सम्बन्धित औद्योगिक इकाइयाॅ अस्वस्थ इकाइयों की श्रेणी में आने लगती है।

(5) उद्यमो मे रूग्णता को प्रभावित करने वाले निम्न आन्तरिक कारण भी है–

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमो का विश्लेषण करने पर उनके लाभ/घाटे सम्बन्धी आकडो से पता चलता है कि या तो इनमे लाभ की मात्रा बहुत ही कम है या वे घाटे मे ही चल रहे है। भारी घाटे वाले उद्यमो मे राष्ट्रीय बिजली बोर्ड और सिचाई परियोजनाए है।

केन्द्र सरकार के उद्यमों ने 1980–81 मे 203 करोड रूपये के घाटे के विरूद्ध 1987–88 मे 2060 करोड रूपये का लाभ कमाया। इससे समग्र रूप में उन्नति का सकेत मिलता है परन्तु कुल लाभ का 65% पेट्रोलियम कम्पनियो द्वारा केवल तेल की कीमतों मे वृद्धि करके कमाया गया। अत. सरकार की प्रत्येक घाटे वाली कम्पनी का मूल रूप से अध्ययन करना चाहिए। राज्यो में लगातार घाटे दिखाने वालो मे सिचाई एव बहुद्देश्यीय परियोजनाओं में हानि की मात्रा बढकर 1989–90 में 1917 करोड रू0 बिजली बोर्डो की 4104 करोड रूपये राज्य सडक परिवहन को 359 करोड रू0 हो गयी थी। राज्य सरकारों के उद्यमों का समग्र घाटा जो 1984–85 में 1819 करोड रू0 था बढकर 1989–90 में 6174 करोड हो गया। यह परिस्थिति अच्छी नही है अत· देश मे सार्वनजिक क्षेत्र के निष्पादन की समीक्षा आवश्यक है। वर्ष 98–99 में लोक उद्यमों ने कुल 9274 करोड रू0 हानि हुई।

(ii) सरकारी उद्यमों के बारे मे अक्सर कहा जाता है कि उनमे अधिपूजीयन विद्यमान है या परियोजनाओं में अदा–प्रदा अनुपात प्रतिकूल है स्टडी टीम ने अनेक सरकारी कम्पनियो हैवी इजीनियरिग का कारपोरेशन, हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स आदि में अधिपूजीयन की ओर संकेत किया। स्टडी टीम के अनुसार अधिपूजीयन के मुख्य कारण है, आयोजन का अभाव विलम्ब से विनिर्माण और अनावश्यक व्यय अतिरिक्त मशीनी क्षमता, परियोजनाओ का अलाभकर स्थिति–निश्चयन मकान आदि सुविधाओ को उदारता के साथ उपलब्ध कराना आदि। अधिपूँजीयन के कारण वित्त का समुचित उपयोग नहीं हो पाता तथा पूँजी का अनुप्रयोग होता है जो लोक उद्यमो के सामक्ष वित्तीय संकट के रूप में विद्यमान हो जाता है।

(iii) सरकारी उद्योगो मे आवश्यकता से अधिक मानव शक्ति का प्रयोग किया जाता है। श्रमिकों की तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव है। सरकारी उद्यमों में कर्मचारियो को विशेष सुविधाओ और प्रोत्साहनो के न मिलने से वह उद्यमो की नौकरियॉ स्वीकार कर लेते है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानव शक्ति आयोजन घटिया किस्म का हैं लोक उद्यमो में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी कार्यरत हे। जिसके परिणामस्वरूप मानव शक्ति का समुचित उपयोग नहीं हो पाता है। श्रमिकों पर अधिक धन व्यय करने के कारण आर्थिक क्षति भी वहन करना पडता है।

(iv) सार्वजनिक उद्यमों द्वारा उत्पन्न कीमते पिछले कई वर्षों से लगातार बढती जा रही है। जिससे लगता है कि सरकार का उद्देश्य इस सम्बन्ध में एकाधिकारी स्थिति का प्रयोग कर अधिक लाभ कमाना है। इसे जनता पर अप्रत्यक्ष कराधान माना जा सकता है। अत सरकार को चाहिए कि तकनीकी उन्नति द्वारा उत्पादन लागत को कम करके प्रशासित कीमतो को बढाने के उपाय का कम प्रयोग करे क्योकि सामान्य जनता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पडता है। कीमत का निर्धारण केवल कीमत द्वारा जनहित को ध्यान मे रखकर निर्धारित किया जाता है तभी दोषपूर्ण कीमत नीति पर समुचित नियन्त्रण रखा जा सकेगा।

(v) अनेक छोटे–छोटे उद्यमकर्ता बिना सोचे–समझे ही मशीने खरीद लेते है तथा उत्पादन की तकनीक का चुनाव कर लेते है । यदि ये मशीने पुरानी हो तो उद्यमकर्ता का सम्पूर्ण उत्पादन कार्य असन्तुलित तथा उसमे गडबडी उत्पन्न हो जाती है। और उत्पादन करने वाली इकाइयों को लागत और कीमत की दृष्टि से असुविधा होती है। पुराने और दोषपूर्ण मशीनों से उत्पादन लक्ष्य को भी नही प्राप्त नही किया जा सकेगा। लक्ष्य पूर्ण न होने पर विक्रेताओं को सन्तुष्ट भी नही किया जा सकेगा। जब विक्रेता संतुष्ट नहीं होंगे तो भविष्य में आदेश भी नहीं प्राप्त होगा। जिससे मांग मे कमी आयेगी।

6. विश्व के गलाकाट प्रतियोगिता को देखते हुए विकसित देशों द्वारा नये तकनीकों का प्रयोग करके उद्योगों को उन्नति की दिशा में अग्रसर किया जा रहा है। परन्तु भारत जैसे विकासशील देशो द्वारा अब भी पुरानी तकनीकों

और मशीनों से उत्पादन किया जाता है। जिससे उत्पादन मे कमी होना सुनिश्चित है। यहां के प्रबन्धक नये तकनीको से पूर्णतया अनभिज्ञ हैं। उन्हे यह नहीं ज्ञात है कि नये विधियो व तकनीको को किस प्रकार प्रयोग करे। भारत देश मे उत्पादित मशीने तकनीकी रूप से पिछडे हुए है। जिससे उनके द्वारा तीव्र गति से कार्य सम्भव नही हो पा रहा है। वैज्ञानिको को तीव्र गति से कार्य व उत्पादन करने वाली मशीनो का आविष्कार करना चाहिए, जिससे देश मे उत्पादन कार्य तेजी से सम्भव हो सके। यदि उत्पादन कार्य तीव्र व अधिक मात्रा में किया जायेगा तो उपभोक्ताओ के माग को आसानी से पूर्ण करके अधिकाधिक लाभार्जन किया जा सकता है। और जनता मे सन्तुष्टि की भावना का भी तीव्र गति से विकास सम्भव हो सकेगा।

7. विश्व के अन्य देश उद्योगों को बढावा देने के लिए यथासम्भव आर्थिक साामाजिक एव राजनैतिक परिवर्तन करते रहते है। जिससे उनका उद्योग न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करके लाभार्जन में वृद्धि कर सके। परन्तु भारत में लोक उद्यमों को सरकारी दिशा निर्देशों को ध्यान मे रखकर अपने परियोजनाओ को निर्जन एवं पिछडे स्थानों पर स्थापित करना पडता है, जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाएं वहा स्थापित हो जाती हैं, जहां पर कच्चे माल व सरचनात्मक सुविधाओ का पर्याप्त अभाव रहता है। तथा अन्तिम उत्पाद के लिए बाजार भी दूर होने की परिस्थिति मे उद्यम को अतिरिक्त लागत व्यय करनी पडती है। जिससे लाभदायकता समाप्त हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को लोक उद्यमों पर अधिक राजस्व व्यय करना पडता है। जो सरकार पर अधिक भार हो जाता है। और यही

अधिभार सरकार पर बोझ हो जाता है। लोक उद्यमो के स्थान निर्धारण में राजनैतिक हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। राजनीतिज्ञ अपने राजनीतिक लाभ के लिए लोक उद्यमों की स्थापना ऐसे स्थानों पर करवाते है, जहा उनका निजी लाभ निहित हो। वे जनता व सरकार के लाभ पर ध्यान नही देते है। हमारा देश प्रजातान्त्रिक देश है। यहा पर जनता के सुख–सुविधाओं का पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। परन्तु राजनीतिज्ञ गण को केवल अपना ही स्वार्थ दिखता है। इसलिए राजनीतिज्ञों को लोक उद्यमो की स्थापना मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करना चाहिए।

8 नये–नये तकनीको एवं विधियों के खोज के कारण लोक उद्यमों के परियोजनाओ में दिन–प्रतिदिन परिवर्तन इस उद्देश्य से किया जाता है कि इनकी लाभार्जन क्षमता मे वृद्धि हो, इन नये परियोजनाओ को उपयोग मे लाने के लिए अतिरिक्त वित्त की आवश्यकता पडती है जिसकी पूर्ति बजट के माध्यम से की जाती है। इस प्रकार बजट का अनुचित उपयोग होता है। दिन–प्रतिदिन नये–नये तकनीकों के खोज के कारण लोक उद्यमों को अपनी योजनाओं में भी परिवर्तन करना पडता है। यदि समय के साथ इसमे परिवर्तन न किया जाय तो इस प्रतिस्पर्धा के युग मे लोक उपक्रम सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो पायेगे।

9. लोक उद्यमों के कर्मचारियों को इनके कार्यानुसार भुगतान नहीं किया जाता मजदूरी के भुगतान मे अत्यधिक भिन्नता है। उच्च पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को अधिक वेतन और कार्मिको को कम वेतन के भुगतान के कारण श्रमिकों में आक्रोश व्याप्त रहता है। निजी उद्यमों में वेतन अधिक

प्रदान करने के कारण लोक उद्यम के श्रमिक निजी उद्यमो के तरफ अधिक आकर्षित होते है। निजी उद्योगो के श्रमिको द्वारा अधिक निष्पादन करने पर प्रेरणात्मक बोनस दिया जाता है। जबकि लोक उद्यमो द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, जबकि श्रमिक किसी भी उद्यम के प्राण होते हैं उनके अभाव मे पूरा उद्यम ही निष्प्राण रहता है। मशीन संचालन से लेकर उत्पादन तक का सभी कार्य श्रमिकों द्वारा ही किया जाता है। उनको मेहनत के अनुसार पारिश्रमिक अवश्य मिलनी चाहिए। जिससे उत्पादन कार्य में किसी प्रकार का बाधा न उत्पन्न हो।

10 लोक उद्यमो की स्थापना के विषय मे सरकारी नीतियो का पालन करना आवश्यक है। सरकारी नीतियो के पालन के कारण ही कभी–कभी लोक उद्यमों में संसद सदस्यों के द्वारा संसद में अनावश्यक प्रश्नो को उठा करके उसमे हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जाता है। जिससे उनका विकास कार्य अवरूद्ध हो जाता है। जब ससद में इनके बारे मे प्रश्न उत्पन्न किया जाता है तो इन उद्यमो को उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए अनावश्यक आकडो को एकत्रित करके उनके बारे मे रिपोर्ट तैयार करके एक निश्चित समय के भीतर संसद में उत्तर देना आवश्यक हो जाता है। जिससे इन उद्यमो पर अनावश्यक कार्य बोझ बढ जाता है। लोक उद्यमों के दैनिक कार्यों में संसद सदस्यों के हस्तक्षेप के कारण कठिनाई उत्पन्न होती है इसलिए संसद सदस्यों को इनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

11 कोई भी उद्योग बिना उचित नियोजन के सफलता की ऊंचाइयों पर नहीं पहुॅच सकता। नियोजन ही सफलता की कुंजी है। लोक उद्यमों में

कुशल विशेषज्ञ के अभाव मे आन्तरिक नियोजन, निगम नियोजन, वार्षिक योजना एव भावी योजना तैयार नही किया जाता जिससे एक सुनियोजित ढंग से कार्य सम्पादित नही होता और लोक उद्यम उचित नियोजन के अभाव मे लाभ के बजाय हानि की ओर अग्रसर हो जाते है। नियोजन भावी कार्यक्रम का पूर्वानुमान है, यह सफलता की प्रथम सीढी है। सुनियोजित योजना के अभाव मे पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त रहती है। सर्वप्रथम लोक उद्यमो को दोषपूर्ण आन्तरिक नियोजन पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जिसमे निगम योजना, वार्षिक योजना एव भावी योजनाओ पर पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए, यह प्राथमिक कार्य है। यह उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित करता है, जिसको श्रमिक प्राप्त करने की दिशा मे कदम बढाते है। प्रबन्धकगण भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए श्रमिको को दिशा निर्देश प्रदान करते रहते हैं जिससे वे दिशादीन न हो व उत्पादन के निधारित लक्ष्य को प्राप्त करके उद्यम को अधिकाधिक लाभान्वित करे।

12 लोक उद्यमों मे उच्च अधिकिारियो व प्रमुख कर्मचारियो के नियुक्ति मे राजनीतिक हस्तक्षेप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है जिसके कारण योग्य अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो पाती । योग्य कर्मचारी किसी भी उद्यम की आधारशिला होते हैं यदि नीव ही कमजोर होगा तो पूरा उद्यम चरमरा जायेगा। अयोग्य अधिकारियों के कारण आदेशो का कर्मचारियों के बीच उचित संयोजन न होने से पूरी व्यवस्था ही संदेह के घेरे में रहता है। लोक उद्यमों में रिक्त पदों को भरने के लिए जब भी आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है तो आवेदकगण राजनीतिज्ञों से सम्पर्क बनाकर उन पदों पर

नियुक्ति के लिए प्रयासरत होते है। जिस व्यक्ति की नेताओं से अच्छा सम्बन्ध होता है उनकी नियुक्ति के लिए नेताओ द्वारा लोक उद्यमो पर दबाव डाला जाता है। मजबूरन लोक उद्यमो को इन नेताओ के आज्ञाओ का पालन करना पडता है। जिसके परिणाम स्वरूप उच्च पदो पर अयोग्य व अकुशल कर्मचारी की नियुक्ति हो जाती है जो उचित रूप से प्रबन्ध नही कर पाता व कर्मचारियो को भी पूर्णतया नियन्त्रित नही कर पाता जिससे पूरे लोक उद्यम में कर्मचारियो के मध्य सदेह का वातावरण बना रहता है व उत्पादन कार्य बाधित होता है और उपक्रम निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो जाते है और धीरे–धीरे उद्यम हानि अर्जन करने लगते है जो कई वर्षो तक चलता रहता है और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वह उद्यम रूग्णता की स्थिति में पहुंच जाता है।

13 लोक उद्यमों के विकास में श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वे उत्पादन की क्रिया में सक्रिया भूमिका निभाते हैं। श्रमिक व नियोक्ता के बीच विवादो को मिटाने के लिए श्रमिक सघ की स्थापना श्रमिको द्वारा की जाती है। परन्तु वर्तमान समय में लोक उद्यमों के श्रमिक संघ राजनीति से प्रेरित होते है और अपने व्यक्तिगत लाभ की ओर अधिक ध्यान देते है। जिससे लोक उद्यमों के विकास की प्रक्रिया में ये हडतालें, काम रोको आन्दोलन आदि के माध्यम से बाधा पहुंचाने का काम करते है। जबकि लोक उद्यमों में उनके बीच मधुर संबन्ध स्थापित होना चाहिए और किसी भी प्रकार का मतभेद उत्पन्न होने पर उसे आपस में समझौता करके निपटाना चाहिए।

13 देश मे स्थित रूग्ण इकाइयों के कारण भी बहुत सी समस्या उत्पन्न होती है। लोक उद्यमो द्वारा जिन रूग्ण इकाइयो को अपने हाथ में लिया गया है उनकी उत्पादन तकनीक तथा उपलब्ध सुविधाए अब अप्रचलित हो गयी है। इसलिए लोक उद्यमों के समक्ष इनके आधुनिकीकरण तथा बहुविधिकरण की समस्या है। इसके लिए उन्हे पर्याप्त वित्तीय साधन की आवश्यकता है। क्योकि इन कार्यक्रमो को समय से न लागू करने के कारण इनके द्वारा उठाये जाने वाली हानि बढती जा रही है। तथा लोक उद्यमो की वित्तीय स्थिति काफी दयनीय हो गयी है। एकत्रित हानि, उत्पाद माग का अभाव, विक्रय क्षमता मे कमी आदि के कारण इनकी तरलता स्तर निम्न स्तर पर पहुँच गयी है। उच्च प्रबन्धकीय चातुर्य तथा प्रयासो के दृष्टिकोण से रूग्ण इकाइयों का प्रबन्धन एक समस्या के रूप में उभरी है। लोक उद्यमो द्वारा अनुगृहीत रूग्ण इकाइयों में कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक है, और जो भी है वह कार्यकुशलता की दृष्टि से अनुपयुक्त है। लोक उद्यमों के समक्ष समस्या यह है कि आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की छटनी किस प्रकार की जाय अथवा उत्पादन कुशलता की दृष्टि से उन्हे किस प्रकार सार्थक बनाया जाय। कुछ लोक उद्यमों की बाजार छवि अच्छी न होने के कारण, उत्पादन स्तर में लगातार गिरावट, लगातार हानि अर्जन तथा ऋण अनुपलब्धता, ब्याज का भारी बोझ, पुरानी मशीनरी एवं पुरानी तकनीकी का प्रयोग आदि के कारण मजबूरन सरकार को उन्हें बन्द करने के लिए सोचना पड़ रहा है।

अध्याय पांच

इलाहाबाद जनपद के प्रमुख रुग्ण लोक उद्यम- बी० पी० सी० एल० व टी० एस० एल० का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन

इलाहाबाद जनपद का सामान्य परिचय

प्राचीन काल मे इसका नाम प्रयाग था, यह देवताओं की नगरी के नाम से इतिहास मे प्रसिद्ध है। यहॉ गगा, यमुना, सरस्वती का पवित्र संगम पूरे विश्व मे विख्यात है। जिसके पावन तट पर प्रत्येक बारहवे वर्ष कुम्भ का मेला लगता है। इस पावन पर्व पर देश–विदेश के व्यक्ति आकर संगम के पवित्र तट पर स्नान करके परम आनन्द की अनुभूति करते है। अकबर ने अपने शासकाल मे अपने इलाही धर्म के अनुसार प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा।

स्थिति और सीमाएं :-

उ0 प्र0 राज्य मे स्थित इला0 जनपद $24^0 47$ और $25^0 47$ अक्षांश उत्तर तथा $80^0 9$ और $82^0 21$ देशान्तर पूर्व के बीच स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक चौडाई 101 किमी0 तथा पूर्व से पश्चिम तक इसक लम्बाई 117 किमी0 है। इला0 के पूर्व मे वाराणसी, दक्षिण–पूर्व मे मिर्जापुर, दक्षिण मे म0 प्र0 राज्य, दक्षिण–पश्चिम मे जिला बॉदा और पश्चिम में जिला फतेहपुर स्थित है। इस जिले की उत्तरी सीमा पर प्रतापगढ और उत्तर पूर्व में जौनपुर जिला है और गगा नदी लगभग 35 किमी0 की दूरी तक प्रतापगढ जिले को इस जिले से पृथक करती है।

क्षेत्रफल और जनसंख्या :-

इलाहाबाद जनपद का कुल क्षेत्रफल 7254 वर्ग किमी0 है। इसके में वर्ष प्रतिवर्ष में थोडा बहुत बदलाव आता रहता है। क्योकि यहां की प्रमुख नदियां अर्थात गंगा और यमुना विशेषतया गंगा अपना मार्ग बदलती रहती है, जिससे इलाहाबाद जनपद का क्षेत्रफल प्रत्येक वर्ष घटती बढती

रहती है। 2001 की जनगणना के अनुसार इलाहाबाद की कुल जनसंख्या लगभग 60 लाख है।

स्थलाकृति :-

इलाहाबाद जनपद को तीन प्राकृतिक भागो अर्थात गगा पार का मैदान, दोआब– यह भूभाग उत्तर मे गगा और दक्षिण मे यमुना नदियो के बीच स्थित है, तथा यमुना पार का मैदान मे विभाजित किया जा सकता है जिसका सृजन गंगा और इसकी सहायक नदी यमुना द्वारा हुआ है।

जलवायुः-

इसजिले की जलवायु मे विभिन्नता पायी जाती है, यहॉ ग्रीष्म ऋतु लम्बी और गर्म होती है। वर्षा ऋतु तथा शीत ऋतु काफी सुहावना होता है। शीत ऋतु नवम्बर से प्रारम्भ होकर फरवरी तक रहता है तत्पश्चात ग्रीष्म ऋतु आती है जो जून के मध्य तक रहती है उसके पश्चात दक्षिण–पश्चिम मे मानसून के आने पर वर्षा प्रारम्भ होती है और यह वर्षा ऋतु सितम्बर के अन्त तक रहती है।

जिले में राज्य के वन विभाग के अधीन 15801 हेक्टेयर वन क्षेत्र हैं। जिसमें से 10701 हेक्टेयर वन क्षेत्र तहसील मेजा मे और 5100 हेक्टेयर वन क्षेत्र तहसील करछना व बारा मे है। तहसील मेजा व परगना बारा की पथरीली भूमि मे वेर, तेन्दु, जामुन, आम, महुआ, सलई, और वास के झुण्ड पाये जाते है। तहसील करछना के दक्षिणी भूभाग में बबूल और मन्दार के वृक्ष पाये जाते है।

भौमिकी :-

इस जनपद मे सामान्य रूप से पाये जाने वाले खनिज उत्पाद कॉच, बालू, इमारती पत्थर, ककड, ईट बनाने की मिट्टी व रेह, काच का बालुका, उत्तरी भारत मैं अधिकाश काच बनाने वाले कारखानो की आवश्यकत पूर्ति यहीं से होती है। रेह गंगा पार के भू–भाग मे सफेद पपडी के रूप मे पाया जाता है। रेह से सोडा ऐस निकाला जाता है जिसका उपयोग साबुन और काच बनाने के लिए तथा खारा पानी को मीठा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग रगाई उद्योग तथा गधक निकालने मे भी किया जाता है।

इलाहाबाद जनपद में औद्योगीकरण हेतु प्रमुख्त योजनाएं

1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम :-

यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को पूरे देश मे प्रारम्भ किया गया था। इसे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के रूप जारी किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पता लगाये गये ग्रामीण गरीब परिवारों को गरीबी की रेखा को पार करने के लिए समर्थ बनाना है। यह कार्यक्रम केन्द्र और राज्यो द्वारा 50 50 के अनुपात में वित्त पोषित है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता सीधे जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी डी0 आर0 डी0 ए0 को उपलब्ध करायी जाती है।

इस कार्यक्रम के तहत लाभान्वित होने वाले परिवारों में कम से कम 50% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के होने चाहिए, लाभार्थियों में कम से कम 40% महिलाएं तथा 3% शारीरिक रूप से विकलांग लोग लिए

जाने चाहिए। कार्यक्रम प्रारम्भ से लेकर अब तक कुल 495 लाख से अधिक परिवारो को सहायता दी जा चुकी है।

जवाहर रोजगार योजना :-

सातवी योजना के अन्तिम वर्ष में एक अप्रैल 1989 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमि हीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम नामक दोनो कार्यक्रमो का विलय करके जवाहर रोजगार योजना नामक एक बडा ग्रामीण रोजगार प्रारम्भ किया गया। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो मे बेरोजगार तथा अल्प रोजगार वाले पुरूष तथा महिलाओ के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार सृजन करना है। इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगो को लक्ष्य बनाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और मुक्त बधुआ मजदूरों को प्रथमिकता दी गयी। रोजगार के 30% अवसरोको महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। योजना पर होने वाले व्यय को केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा 80:20 के अनुपात में वहन किया जाता है।

इलाहाबाद जनपद के उद्योग :-

प्राचीन समय से ही इलाहाबाद शहर एक आत्मनिर्भर आर्थिक इकाई था । जहां पर अपनी आवश्यकतानुसार वस्त्र, कृषि यंत्र तथा अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। चीनी यात्री फाहयान ने जो पांचवी शताब्दी के प्रारम्भ में प्रयाग आया था लिखा है कि प्रयाग के पातालपुरी मन्दिर के उत्तर तथा पश्चिम की ओर दुकानों की 15 कतारे बनी हुयी थी। इस व्यापारिक केन्द्र पर देश के दूर-दूर स्थानों से हजारों ग्राहक आते थे यहां अच्छे कपडे, सोने, चांदी, ताबे, तथा पीतल के बर्तन, बहुमूल्य दुर्लभ रत्न, हाथी दांत एवं खुदी हुई चीजें, चन्दन की लकडी, संगमरमर,

रत्नाभूषण, और आभूषण तथा मसाले, फल तथा स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ बिकने आते थे। अरबी यात्री अलबरूनी जो ग्यारहवी शताब्दी के उत्तरार्ध के प्रारम्भ मे इलाहाबाद आया था उसने अपने यात्रा वृतान्त मे लिखा है कि इलाहाबाद एक वाणिज्यिक तथा औद्योगिक केन्द्र है उसने यह भी बताया था कि यहा एक बडा तथा विकसित नौका उद्योग है जिसमे 20000व्यक्ति काम करते हैं एवं प्रति वर्ष 10000 से 12000 तक विभिन्न प्रकार की नावे तैयार की जाती है, और लगभग 20000 हजार व्यक्ति प्रस्तर शिल्प उद्योग मे लगे हुए है।

मुगल सम्राट अकबर के शासन काल मे इलाहाबाद कालीन उद्योग का प्रमुख केन्द्र बन गया था। जो मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही समाप्त हो गया। अंग्रेजों के अधीन विदेशी व्यापार से प्रतियोगिता मे हथकरघा व्यवसाय को बडी हानि उठानी पडी और उत्पादन बन्द हो गया। मुख्यतया स्थानीय उत्पादको को उनके व्यवसाय मे हतोत्साहित करने की अग्रेजों की नीति के कारण देशी उद्योग की हालत उत्तरोत्तर गिरती गयी जिसके फलस्वरूप अधिकाधिक लोगों को अपना पेशा छोडकर कृषि कार्य अपनाने के लिए बाध्य होना पडा, तथापि 1881 मे सूती उद्योग मे 36506 लोहा उद्योग तथा इस्पात उद्योग मे 4360 इमारत बनाने के व्यवसाय में 2860 तथा छपाई उद्योग में 729 व्यक्ति लगे हुए थे इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के उद्योग जैसे वाद्य यन्त्र तैयार करने छपाई तथा चित्र बनाने पत्थरो की नक्काशी तथा मूर्ति निर्माण खेल का सामान डिजाइनें तथा स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ, हाथी दात, लाख, खाल तथा पंख बनाने के उद्योग, कांच का सामान, नमक एवं सोने, चांदी तथा कीमती पत्थरों के आभूषण बनाने में 107454 व्यक्ति कार्यरत थे। ये औद्योगिक इकाइयां धीरे-धीरे बन्द होने लगीं क्योंकि 1865 मे रेल प्रणाली आरम्भ किये जाने तथा बाजारों में सस्ता

विदेशी माल अधिक मात्रा मे आने लगा 1914–18 मे प्रथम विश्व युद्ध के समय अभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जिसकी वजह से कुछ स्थानीय उद्योग प्रारम्भ किये गये। और इलाहाबाद पुन एक औद्योगिक केन्द्र बन गया।

1930 के दशक की आर्थिक मन्दी के कारण कीमतें गिर गयी और लाभ मे कमी के कारण उद्योगपतियों को अपनी औद्योगिक इकाइया बन्द कर देनी पडी। 1939–45 तक द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कीमते पुन बढीं और कपडा, लाख की चूडिया, फर्नीचर, धातु का सामान तथा खाद्य पदार्थ निर्मित करने वाले उद्योग पुन शुरू हो गये तथा औद्योगीकरण में पुन तेजी आयी और वर्ष 1957 मे नैनी में एक विशाल औद्योगिक केन्द्र की स्थापना की गयी। नैनी मे लोक उद्यमो की स्थापना से पूरे इलाहाबाद मे लोक उद्यमों का तीव्र गति से विकास हुआ। जनपद मे गत वर्षों मे औद्योगिक विकास कार्य तेजी से हुआ, लेकिन वह केवल नैनी व फूलपुर के नगरीय क्षेत्रों मे ही केन्द्रित होकर रह गया। जनपद में औद्योगिक आस्थानों की सख्या वर्ष 2000–2001 में 7 थी। शेडो की संख्या आवटित 41 तथा कार्यरत 28 था। प्लाटों की सख्या आबटित 219 तथा कार्यरत 79 था। रोजगार मे लगे व्यक्तियो की संख्या 230 तथा उत्पादन 3735 हजार करोड रू0 था। नैनी इण्डस्ट्रियल काम्पलेक्स के लिए 2800 एकड भूमि अधिगृहित की गयी है। अब तक 2000 एकड भूमि का आबटन हो चुका है। नैनी श्रमिक समस्या होने के कारण छोटे–छोटे उद्यमी हतोत्साहित हो रहे है। अतएव जनपद में वृहद उद्योगों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

इलाहाबाद जनपद मे फूलपुर और नैनी प्रमुख औद्योगिक स्थल हैं। फूलपुर का सबसे प्रमुख लोक उद्यम इफको है। नैनी के प्रमुख लोक

उद्यमो मे आई0 टी0 आई0, भारत पम्प्स एव कम्प्रेसर्स लिमि0 व त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमि0 प्रमुख हैं। इन लोक उद्यमो मे भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स व त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स का नाम भारत के रूग्ण लोक उद्यमो की सूची मे है।चूँकि मेरे शोध–प्रबन्ध का शीर्षक भारत मे लोक उद्यमो में रूग्णता एव चक्रीय प्रबन्ध (इलाहाबाद विशेष के सन्दर्भ में) है, इसलिए मैने इलाहाबाद के इन दोनों लोक उद्यमों का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन करने का वीणा उठाया और इन दोनो उद्यमो मे व्याप्त रूग्णता के कारणो व समाधान का विस्तृत अध्ययन किया।

इलाहाबाद के प्रमुख रूग्ण लोक उद्यम भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमि0 का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन

इस लोक उपक्रम की स्थापना एक सरकारी कम्पनी के रूप मे 1 जनवरी 1970 को नैनी इलाहाबाद मे हुई। इस कम्पनी द्वारा अपसेन्द्री पम्प पश्चाग्रगामी पम्प तथा पश्चाग्रगामी सम्पीडीज का निर्माण किया जाता है। इधर के वर्षो मे सरकार ने इस कम्पनी को उच्च दबाव वाले बिना जोड के गैस सिलेण्डरों के निर्माण का कार्य भी सौपा है। इस प्रकार इस कम्पनी के पास अब दो प्रभाग है।

(1) पम्प तथा कम्प्रेसर्स निर्माण प्रभाग तथा (2) गैस सिलेण्डर निर्माण प्रभाग और ये दोनो संयंत्र नैनी में ही स्थापित है। यह कम्पनी अप्रैल 1987 से भारत यंत्र निगम लिमि0 की एक सहायक कम्पनी बन गयी है । मार्च 1987 तक यह एक स्वतन्त्र कम्पनी के रूप में काम कर रही थी।

बी0 पी0 सी0 एल0 में रूग्णता के कारण

1. आदेशों के अनुसार लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होना :-

यह कम्पनी मुख्य रूप से अपसेन्द्रीपम्प, पश्चाग्रगामी सम्पीडीज तथा उच्च दबाव वाले बिना जोड के गैस सिलेण्डरो के निर्माण का कार्य करती है। इस कम्पनी मे 2001–02 के लिए उत्पादन लक्ष्य 120 करोड रूपये का निर्धारित किया था। परन्तु यह अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने मे असफल रही इसी प्रकार इस कम्पनी ने 99–2000 मे 64 करोड रू0 का आदेश प्राप्त किया था परन्तु उत्पादन 42 53 करोड रू0 का ही करने के कारण यह पूर्ण रूप से आदेशो की पूर्ति करने मे असफल रही जो इसकी रूग्णता का सबसे प्रमुख कारण है। वर्ष 2000–2001 मे इस कम्पनी को 80 करोड रू0 का आदेश प्राप्त हुआ था परन्तु इस वर्ष भी यह कम्पनी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। इस कम्पनी को विभिन्न उत्पादों के लिए जो आदेशित लक्ष्य प्राप्त हैं उनका विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायेगा।

तालिका- 5.1

बी0 पी0 सी0 एल0 के प्रमुख उत्पादों के लिए आदेशित लक्ष्य (लाख रू0 में)

उत्पाद समूह	99–2000	2000–2001	2001–2002
सेन्ट्रीफुगल पम्प्स	10	15	15
रेसीप्रोकेटिंग पम्प्स	5	10	15

कम्प्रेसर्स	10	20	25
स्पेयर पार्ट्स	15	20	25
गैस सिलेण्डर	10	12	15
कुल योग	50	77	95

स्त्रोत स्वय के सर्वेक्षण से उपलब्ध आंकडे

उपरोक्त तालिका में उत्पादों के लिए आदेशित लक्ष्य का विवरण दिया गया है। परन्तु यह लोक उद्यम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने मे असफल रही है। जिसके कारण ग्राहक इस कम्पनी को आदेश देने मे कतराते है।

मैंने इस कम्पनी का सर्वेक्षण करते समय इस कम्पनी के उत्पादन विभाग के प्रबन्धक से इसके लक्ष्य को प्राप्त करने की असफलता के बारे मे जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ प्रश्न किए जिसका जवाब उन्होने निम्न प्रकार से दिया –

प्र0 1 बी0 पी0 सी0 एल0 अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में निरन्तर असफल क्यों हो रही है?

उत्पादक प्रबन्धक का जवाब – उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त न करने के निम्नलिखित कारण हैं – (i) विद्युत की आपूर्ति निरन्तर वाधित होना (ii) नई तकनीक का प्रयोग न करना (iii) पुरानी मशीनों का उत्पादन कार्य में प्रयोग किया जाना।

इस इकाई का सर्वेक्षण करने के दौरान मुझे ज्ञात हुआ कि इस इकाई में वर्ष 2000–2001 के लिए उत्पादन लक्ष्य 85 करोड निर्धारित किया है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न नारा चारों ओर लिख दिया

गया है। जिससे सभी अधिकारी गण कर्मचारी गण व श्रमिक तन–मन–धन से इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा मे प्रयत्नशील रहे–

1 हर छोर मे एक ही शोर, उत्पादन 85 करोड।

2. सतत् प्रयत्न शील रहना होगा, उत्पादन उत्तम करना होगा।

3 उत्पादन मेरा धर्म, गुणवत्ता मेरा कर्म।

वर्ष 2000–2001 के लिए इस इकाई के लक्ष्य इस प्रकार निर्धारित किया गया है – 1 उत्पादन लक्ष्य 85 करोड 2 लाभ लक्ष्य 133 लाख 3 आदेश लक्ष्य 80 करोड 4 स्टाक लक्ष्य 5 करोड

वर्ष 2001–02 के लिए लक्ष्य इस इकाई द्वारा इस प्रकार निर्धारित किया गया – (i)उत्पादन लक्ष्य 200 करोड रू0 (ii) वास्तविक उत्पादन लक्ष्य 150 करोड रू0 (iii) अन्तिम स्टाक 50 करोड रू0 (iv) लाभ लक्ष्य 5 करोड रू0

उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी अधिकारीगण कर्मचारीगण व श्रमिकगण एक जुट प्रयास में जुट गये परन्तु वे उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हुए।

इस इकाई द्वारा अपसेन्द्री पम्प, पश्चाग्रगामी पम्प तथा पश्चाग्रगामी सम्पीडीज का निर्माण किया जाता है जो पम्पिग लाइन को बिछाने में उपयोग किया जाता है। यह उपक्रम ओ0 एन0 जी0 सी0 के आदेशानुसार कई बार गैस पाइप लाइन बिछाने का कार्य सम्पादित कर चुका है। पहले यह इकाई केवल पम्पों के निर्माण का कार्य सम्पादित करता था। परन्तु वर्तमान में यह गैस सिलेण्डरों के निर्माण कार्य भी सम्पादित करता है। यह लोक उद्यम अमोनिया गैस, फ्लोरिन गैस, फ्रियान गैस, सिरेंजी गैस

तथा डिहाइड्रेटेड, एसीडिटिग गैस आदि को भरने तथा उपयोग करने के लिए सिलेण्डरो का निर्माण करता है। इन सिलेण्डरो का वजन 70–73 किग्रा0 तक रहता है तथा यह गैसो को उनकी आवश्यकतानुसार भरने के लिए तैयार की जाती है। यह सरकारी कारखानो तथा उपभोक्ताओ को भी खुले बाजार मे एक निश्चित कीमत पर उनके आदेशानुसार बेचता है। गैस सिलेण्डरो के निर्माण के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया गया है। जिसमें केवल सिलेण्डरो का निर्माण तथा विक्रय के सम्बन्ध मे निर्णय लेकर उत्पादन लक्ष्य को निर्धारित करके उसको प्राप्त करने की दिशा मे प्रयास किया जाता है।

इस कम्पनी द्वारा बडे पैमाने पर सेण्ट्रीफुगल पम्प्स का निर्माण करके बिक्री किया जाता है। वर्ष 99–2002 मे इस कम्पनी ने 10 करोड रू0 का पम्प निर्माण करके बेचा है। इसी तरह से इसकी बिक्री मे वृद्धि हुई जो वर्ष 2000–2001 में बढकर 15 करोड रू0 हो गयी। इस पम्प का प्रयोग बहुत से उद्देश्य मे किया जाता है। इसलिए इसकी माग निरन्तर बनी रहती है। वर्ष 2001–02 मे भी 15 करोड रू0 रहा, इस प्रकार इस वर्ष यह गत वर्ष के बराबर ही बिक्री करने में सफल रहा।

यह कम्पनी रेसीप्रोकेटिग पम्प्स का भी निर्माण करती है। इस कम्पनी ने ऑयल और नेचुरल गैस कारपोरेशन बडौदा के आदेश पर 16 नं0 प्लन्गर पम्प्स तैयार करके इस कारपोरेशन को इसी वर्ष बेचा है। इसी कम्पनी ने एफ0 सी0 आई0 सिन्दरी के आदेश पर 1 न0 डी0 वी0 एम0 पम्प का निर्माण करके इस कम्पनी को बेचा है। तथा इसी वर्ष 5 प्लन्गर पम्प्स , आई0 ओ0 सी0 एल0 मथुरा को बेचा है।

बनाये रख सकती है। इसलिए इस कम्पनी को यह प्रयास करना चाहिए कि यह आधिक्य अर्जन अवश्य करे। इसके हानि अर्जन का तुलनात्मक विश्लेषण निम्न तालिका में प्रदर्शित है –

तालिका : 5.3
नकद हानि का विवरण (करोड़ रू0 में)

वर्ष	नकद हानि
1995–96	– 7 65
96–97	– 2 44
97–98	– 7 43
98–99	– 24 60
99–2000	– 25.19
2000–2001	0 50

स्त्रोत महत्वपूर्ण वित्तीय सकेताक भारत यन्त्र निगम

रूग्ण उद्योग कम्पनी एक्ट 1985 के अनुसार जब कोई कम्पनी लगातार कई वर्षों तक हानि अर्जित करता है तो वह कम्पनी रूग्ण हो जाती है। सर्वेक्षण करने पर यह ज्ञात हुआ कि यह कम्पनी वर्ष 95–96 से लगातार हानि अर्जित कर रही है। इस कम्पनी ने वर्ष 99–2000 मे 25 19 करोड रू0 नकद हानि अर्जित करके अपने असन्तोषजनक स्थिति को प्रदर्शित किया है। बी0 आई0 एफ0 आर0 की सूची में इस कम्पनी का नाम दर्ज होना इसके प्रबन्धकों के लापरवाही का सूचक है। इलाहाबाद का यह कम्पनी रूग्ण घोषित हो चुकी है यदि यह इसी प्रकार की हानि आगामी वर्षों में भी अर्जित

करती रहती है तो सरकार को मजबूरन इसे निजी उद्योगपतियों के हाथो मे सौपना पडेगा।

इस कम्पनी के सर्वेक्षण के दौरान मैने वहा के वित्त प्रबन्धक से इसके लगातार नकद हानि के बारे मे पूछा –

प्र0 1. – आपकी यह कम्पनी निरन्तर नकद हानि क्यो अर्जित कर रही है?

उत्तर – वित्त प्रबन्धक ने जवाब दिया कि नकद हानि अर्जन के निम्न कारण हैं– (i) वित्त की कमी होना (ii) ऋण की आवश्यकता नुसार अनुपलब्धता (iii) सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पूँजी मे वृद्धि न करना।

3. नेट वर्थ का लगातार ऋणात्मक होना :-

बी0 पी0 सी0 एल0 का नेटवर्थ कई वर्षों से लगातार ऋणात्मक रहा है जो इसके असन्तोषजनक निष्पादन को प्रदर्शित करता है। किसी भी कम्पनी का नेटवर्थ यदि शून्य के कम हो जाता है तो वह रूग्ण हो जाती है। इस कम्पनी को अपने नेटवर्थ में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए नहीं तो वह दिन दूर नही है जब सरकार को मजबूरन इसका निजीकरण करना पडेगा। इसका विस्तृत विवरण नीचे की तालिका मे प्रदर्शित है–

तालिका – 5.4
नेटवर्थ का विवरण (करोड़ रू0 में)

वर्ष	नेटवर्थ का विवरण
1994–95	–16.09
95–96	–17.80
96–97	–18.31
97–98	–18.20

98–99	–31 10
99–2000	–37 99
2000–2001	–36 62

स्त्रोत· महत्वपूर्ण वित्तीय संकेताक भारत यत्र निगम

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस कम्पनी के नेटवर्थ का परिणाम सन्तोषजनक नही है। नेटवर्थ सदैव ऋणात्मक ही रहे है। नेटवर्थ मे लगातार कमी रूग्णता का महत्वपूर्ण कारण है । यदि इसी प्रकार नेटवर्थ की स्थिति बनी रहेगी तो वह दिन दूर नही है जब सरकार को इस कम्पनी को बन्द करना पडेगा अथवा निजीकरण करना पडेगा।

4. सरकार द्वारा कई वर्षो से लगातार समान पूँजी प्रदान करना :–

इस उद्योग मे कई वर्षो से पूँजी का अभाव बना हुआ है। बढते महगाई, नवीन तकनीको व मशीनो को क्रय करने के लिए इनके पास पर्याप्त पूँजी का अभाव है जिससे ये अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने मे निरन्तर असफल रहे है। सरकार द्वारा कई वर्षो से पूँजी मे वृद्धि नही किया जा रहा है, जबकि बढते महगाई व नवीन तकनीको को प्रयोग करने के लिए इन्हें अधिक पूँजी की आवश्यकता है। पूँजी का विस्तृत विवेचन नीचे की तालिका में किया गया है–

तालिका - 5.5

सरकार द्वारा प्रदत्त पूँजी का विवरण (करोड़ रू0 में)

वर्ष	अधिकृत पूँजी	प्रदत्त पूँजी
96–97	55	52 03
97–98	65	52 03
98–99	65	52 03
99–2000	65	52 03
2000–2001	65	52 03

स्त्रोत महत्वपूर्ण वित्तीय सकेताक, भारत यत्र निगम

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सरकार द्वारा प्रदत्त पूँजी वर्ष 96–97 से 2000–2001 तक समान रही है अत इससे प्रदर्शित होता है कि सरकार लोक उद्यमों को अधिक पूँजी प्रदान करने मे असमर्थ है। जबकि महगाई मे लगातार वृद्धि होने के कारण इन लोक उद्यमो को अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। कम पूँजी की उपलब्धता के कारण ये लोक उद्यम अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नही कर पा रहे है। सर्वेक्षण के दौरान मैने वित्त प्रबन्धक से पूछा –

प्र0– सरकार द्वारा लगभग समान वित्त कई वर्षों से क्यों प्रदान किया जा रहा है?

वित्त प्रबन्धक का जवाब .– (i) सरकार के पास उद्यमो के लिए बजट की कमी होना (ii) धन का लोक उद्यमों द्वारा पूर्ण उपयोग न किया जाना।

5. श्रमिकों व कर्मचारियों का आधिक्य :-

बी0 पी0 सी0 एल0 में अब भी श्रमिको व कर्मचारियो की अधिकता है। इन श्रमिकों व कर्मचारियो को वेतन के रूप मे भुगतान करने के लिए काफी धन व्यय करना पडता है। यदि कर्मचारियो व श्रमिको की सख्या कम हो जाय तो यह कम्पनी इस धन का प्रयोग अन्य कार्यों में करके अपने हानि अर्जन को लाभार्जन मे बदलने का प्रयास कर सकती है। कर्मचारियों का विस्तृत विवेचन इस प्रकार है –

तालिका – 5.6
कर्मचारियों का विवरण

वर्ष	कुल कर्मचारियों की संख्या	अधिकारयियो की सख्या	श्रमिकों की सख्या
95–96	1762	275	1487
96–97	1740	301	1439
97–98	1707	295	1412
98–99	1704	326	1378
99–2000	1654	306	1348
2000–2001	1604	1604	286

स्त्रोत महत्वपूर्ण वित्तीय संकेताक, भारत यत्र निगम

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बी0 पी0 सी0 एल0 में अब भी कर्मचारियों की अधिकता है। जबकि नई मशीनो तथा कम्प्यूटर के आ जाने के कारण बहुत से कर्मचारियों पर कार्यभार कम हो गया है। सरकार धीरे–धीरे इन कर्मचारियो की घटाने का कार्य कर रही है। अधिक कर्मचारी

होने के कारण सरकार द्वारा उनके वेतन पर अधिक खर्च आता है। यदि इस धन का उपयोग उद्योग के विकास के लिए किया जाय तो उद्यमो का अधिक विकास किया जा सकता है।

विपणन रणनीति :-

बी० पी० सी० एल० मुख्यतया निम्न ग्राहको को उनके आदेशानुसार उत्पादो की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

(1) इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमि०

(2) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमि०

(3) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमि०

(4) कोचीन रिफाइनरीज

(5) मगलौर रिफाइनरी

(6) मद्रास रिफाइनरी लि०

(7) रिलायन्स पेट्रोलियम

(8) टाटा केमिकल्स लि०

(9) हिन्दुस्तान लीवर लि० आदि।

यह इकाई अपने उत्पादित वस्तुओ को सरकार के आदेशानुसार कारखानो व जनता को सीधे एक निश्चित दर पर बेचता है। इसके मूल्य का निर्धारण उत्पादों के लागत मूल्य मे कुछ लाभ जोडकर निर्धारित किया जाता है। इस इकई द्वारा भी विपणन रणनीति पहले से तैयार नहीं किया जाता है। जिसके कारण सही समय पर आदेश को पूरा करने में यह उपक्रम निरन्तर असफल रही है। इसी कारण से कारखाने के मालिकगण इस इकाई

को आदेश देने मे हिचकते है। इस इकाई को अपने विपणन रणनीति मे परिवर्तन करना पडेगा तभी यह अपने स्थिति मे सुधार ला सकता है। प्रबन्धक गण को एक विपणन विशेषज्ञ की नियुक्ति करनी चाहिए जिससे विपणन निष्पादन मे सुधार लाया जाता है।

बी0 पी0 सी0 एल0 की सर्वेक्षणात्मक प्रश्नावली सूची

प्र0 1– यह लोक उद्यम निरन्तर नकद हानि क्यो अर्जित कर रही है ?

उत्तर – वित्त प्रबन्धक ने जवाब दिया कि वित्तीय सस्थाओ व बैको से अधिक ब्याज पर ऋण प्राप्त होने के कारण ब्याज के रूप मे अधिक धन का भुगतान करना तथा सरकार द्वारा आवश्यकता से कम पूँजी उपलब्ध कराना।

प्र0 2 – यह इकाई अपने नेटवर्थ मे सुधार क्यो नही कर पा रहा है?

उत्तर – वित्त प्रबन्धक ने जवाब दिया कि यह इकाई वित्त का समुचित उपयोग करने मे निरन्तर असफल हो रहा है तथा कर्मचारियों व श्रमिको पर वेतन के रूप में अधिक खर्च आ रहा है। जिससे नेटवर्थ निरन्तर ऋणात्मक स्थिति को बनाये हुए है।

प्र0 3– इस इकाई का उत्पादन क्यों नहीं सुधर रहा है?

उत्तर – उत्पादक प्रबन्धक ने जवाब दिया कि मशीनों की मरम्मत व देख–रेख न होने के कारण वे सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रहे है और वित्त के अभाव में नये मशीनों व यन्त्रों को क्रय करने में यह कम्पनी असमर्थ है। उत्पादन में कमी होने का एक प्रमुख कारण श्रमिको की उदासीनता व कार्य के प्रति लापरवाही है।

प्र0 4.– इस इकाई की बाजार रणनीति सफल क्यों नहीं हो पा रही है?

उत्तर– बाजार प्रबन्धक ने जवाब दिया कि विज्ञापन की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण ये उद्यम ग्राहको को आकर्षित करने मे निरन्तर असफल हो रहा है तथा ग्राहको को सुविधानुसार परिवहन की भी व्यवस्था करने मे असफल रहता है जिससे इसकी बाजार रणनीति सफल नही हो पा रही है।

प्र0 5 – इस इकाई मे नये मशीन व तकनीक का उपयोग क्यो नही कर रहे है?

उत्तर – उत्पादक प्रबन्धक ने जवाब दिया कि इजीनियरो व विशेषज्ञो मे नये तकनीक के प्रयोग के बारे मे जानकारी न होना तथा उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था के अभाव के कारण नये तकनीक व मशीने का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं।

प्र0 6 – श्रमिको की हडताल तालाबन्दी व कामरोको आन्दोलन पर रोक क्यो नहीं लगा पा रहे है?

उत्तर – उत्पादक प्रबन्धक ने जवाब दिया कि श्रमिक सघो का राजनीति से प्रेरित होने के कारण हडताल, तालाबन्दी आदि की समस्या उत्पन्न होती है जिससे उत्पादन कार्य में बाधा उत्पन्न होता है। श्रमिको के मध्य मधुर सम्बन्धों की स्थापना करके उनको समझा–बुझाकर काम पर बुलाया जाता है परन्तु कभी–कभी श्रमिकों व प्रबन्धकों के मध्य समझौता न होने पर कार्य मे बाधा उत्पन्न होता है। सरकार ने इसपर रोक तो लगाया है पर पूर्णतया प्रतिबन्धित न होने के कारण हम लोग इसको पूर्णतया रोकने में असफल रहते हैं।

त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमि0 में रूग्णता के कारण

इस कम्पनी की स्थापना 3 जुलाई 1965 मै नैनी इलाहाबाद मे एक सरकारी कम्पनी के रूप में हुई। वास्तव मे यह एक सयुक्त उपक्रम है जो कि भारत सरकार तथा वोयेस्ट अलपाइन आस्ट्रिया के बीच हैं कम्पनी का मुख्य उद्देश्य ढॉचे का निर्माण करना, अनुषशी इकाइयो की स्थापना करना तथा सम्बन्धित क्षेत्र मे उत्पादन विकास को विकसित कर रोजगार अवसर मे वृद्धि करना है। कम्पनी विद्युत सम्प्रेषण के लिए टॉवर दूर सचार औद्योगिक एव इमारती ढाचा तथा जल विद्युत उपकरणो एव टैको का निर्माण कर रही है। अप्रैल 1987 से यह कम्पनी भारत यत्र निगम की एक सहायक कम्पनी बन गयी है।

इस इकाई का सर्वेक्षण करने पर यह ज्ञात हुआ कि इसको रेलवे बैगनों के मरम्मत व पुल निर्माण की ठेकेदारी प्राप्त हुई है। इस इकाई ने अभी तक विद्युत सम्प्रेषण के लिए टॉवर, दूर संचार, औद्योगिक तथा इमारती ढांचा तथा जल विद्युत उपकरणो एव टैकरो के निर्माण के कार्य को सम्पादित करने की दिशा मे कीर्तिमान स्थापित किया है। इस उपक्रम ने एशियाड के लिए 150 मी0 फ्री स्पैन सुपर डोम छत का निर्माण इन्दौर स्टेडियम में, एल0 डी0 कन्वर्टर शाप टिस्को के लिए, मोबाइल सर्विस टावर एण्ड लान्च पेडस्टाल फार पी0 एस0 एल0 वी0 इसरो हरिकोटा के लिए, री हीटर सेपरेटर नैरोरा ऐटोमिक पॉवर प्रोजेक्ट के लिए, 400 केवी0 ट्रान्समीशन लाइन एन्गिल टावर एन0 टी0 पी0 सी0 के लिए स्पिलवे रैडियल गेट श्री सेलम में, एरियल रोपवे नैनीताल में, फ्लड लाइट टावर एसियाड स्टेडियम के लिए, 25500 मिमी0 लम्बा ईधन गैस एमाइन एबजार्वर, 200 टन रोप ड्रम होस्ट, एन्गिल लाइन मशीन, समतल बोरिंग मशीन, प्लेट रोलिंग

मशीन, नारलू का पुल, नीपको के लिए कोपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, बी0 एल0 पी0 के लिए मिक्सिग ड्रम, बैगेगन रिफाइनरी के लिए रिटर्न मेथाइन डिस्टीलेशन, 230 किलोवाट डी0 सी0 ट्रान्समिशन लाइन प्रोजेक्ट थाइलैण्ड में, 300 मी0 गुवेड मस्त बी0 एल0 एफ0 कम्यूनिकेशन सिस्टम, 150 मी0 टी0 वी0 टॉवर, माइक्रो वेव टॉवर, हवा के लिए एफ0 एम0 टॉवर, 80 हजारगैस होल्डर बी0 एस0 पी0 के लिए उपकरणो तथा वस्तुओं का निर्माण करके देश के विकास मे महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है।

इस वर्ष के लिए इस इकाई को रेलवे बैगनो का मरम्मत तथा पुल निर्माण का कार्य सौपा गया है जिसे जिम्मेदारीपूर्वक सम्पन्न करने के लिए इस उपक्रम के सभी कर्मचारीगण, अधिकारीगण तथा श्रमिकगण एकजुट प्रयास मे जुट गये है। यही प्रयास इस उपक्रम को हानि अर्जन को लाभार्जन में परिवर्तित कर सकती है।

इसकी रूग्णाता के निम्न कारण हैं

1 आदेश की पूर्ति समय से न करने के कारण आदेश मिलने में कठिनाई :-

इस उपक्रम को जो भी कार्य अभी तक सौपा गया है पिछले कई वर्षो से उन कार्यो को समय से पूरा करने में यह इकाई पूर्णतया असफल रही है। जिससे सरकार इस इकाई को नया ठेका देने मे हिचकती है। यही कारण है कि इस लोक उपक्रम द्वारा निरन्तर हानि अर्जित किया जा रहा है। विगत कई वर्षो से निरन्तर यह आदेशों की पूर्ति समय से पूरा करने में असमर्थ रही है। इसकी असमर्थता का प्रमुख कारण वित्त की कमी, नई तकनाकों व मशीनों का उपलब्ध न होना आदि रहा है जिससे यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने निरन्तर असफल रहा है।

2. नकद हानि का लगातार अर्जन करना :–

यह लोक उद्यम निरन्तर नकद हानि अर्जित कर रही है। जिसके कारण यह इकाई रूग्ण हो गई है। इसे अपने कार्य निष्पादन द्वारा नकद हानि अर्जन को कम करने का प्रयास करना चाहिए जिससे यह रूग्णता से मुक्ति पा सके। इसके नकद हानि का विवरण निम्न तालिका द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है।

तालिका – 5.7

नकद हानि का विवरण (करोड़ रू0 में)

वर्ष	नकद हानि
95–96	– 7 65
96–97	– 2 44
97- 98	– 7 43
98–99	– 24 06
99–2000	– 25 19
2000–2001	– 23 76

स्त्रोत महत्वपूर्ण वित्तीय संकेताक, भारत यंत्र निगम

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि यह लोक उद्यम निरन्तर हानि अर्जित कर रहा है। रूग्ण उद्योग कम्पनी एक्ट 1985 के अनुसार जब कोई कम्पनी लगातार कई वर्षों तक हानि अर्जित करता है तो वह कम्पनी रूग्ण हो जाती है। निरन्तर हानि अर्जन के कारण इस कम्पनी का निष्पादन पूर्णतया असन्तोषजनक हो गया। बी0 आई0 एफ0 आर0 की सूची में इस

कम्पनी का नाम दर्ज होना इसके प्रबन्धको के लापरवाही का सूचक है। यदि यह कम्पनी आगामी वर्षो मे भी इसी तरह हानि अर्जित करती रही तो निश्चय ही सरकार को इस कम्पनी को या तो बन्द करना पडेगा या निजीकरण करना होगा।

सर्वेक्षण के दौरान वित्त विभाग के प्रबन्धक से नकद हानि अर्जन के बारे मे पूछा –

प्रश्न – यह लोक उद्यम निरन्तर नकद हानि क्यो अर्जित कर रही है?

वित्त प्रबन्धक का जवाब – इस उद्यम के निरन्तर हानि अर्जन के निम्न कारण – (i) वित्त की कमी (ii) समय से कार्य का पूरा न कर पाना (iii) श्रमिकों की लापरवाही।

3. नेटवर्थ का निरन्तर ऋणात्मक होना :-

इलाहाबाद के इस लोक उद्यम का नेटवर्थ विगत कई वर्षो से निरन्तर गिरता जा रहा है। जो इसके असन्तोषजनक निष्पादन को प्रदर्शित करता है। जब किसी भी इकाई का नेटवर्थ निरन्तर गिरता रहता है तो वह इकाई कुछ वर्षो मे रूग्ण हो जाती है। इस कम्पनी को अपने नेटवर्थ मे निरन्तर सुधार करने का प्रयास करना चाहिए जिससे यह रूग्णता से मुक्त हो सके।

तालिका - 5.8

नेटवर्थ का विवरण (करोड़ रू0 में)

वर्ष	नेटवर्थ
95–96	– 40 44
96–97	–42 99
97–98	–48
98–99	–72.74
99–2000	–62.52
2000–01	–101 24

स्त्रोत महत्वपूर्ण वित्तीय सकेताक, भारत यत्र निगम

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस कम्पनी का नेटवर्थ अत्यन्त असन्तोषजनक है। इस कम्पनी का नेटवर्थ ऋणात्मक होना अत्यन्त सोचनीय विषय है। नेटवथ का ऋणात्मक होना रूग्णता का एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि इसी प्रकार नेटवर्थ में ऋणात्मक वृद्धि जारी रही तो वह दिन दूर नहीं है जब सरकार को इस इकाई का भी निजीकरण न करना पडे।

4. विक्रय और लाभार्जन में निरन्तर कमी होना :-

टी0 एस0 एल0 की विक्रय क्षमता में निरन्तर कमी आती जा रही है। यह अपने विक्रय निष्पादन को सुधारने मे निरन्तर असफल हो रहा है। यदि सभी उत्पादित वस्तुओं का विक्रय नहीं होगा तो यह लाभार्जन कैसे करेगा, इसलिए इसे अपने विक्रय निष्पादन में सुधार करना चाहिए। यह

उद्यम कई वर्षों से निरन्तर हानि भी अर्जित कर रहा है, जो इसके असन्तोषजनक परिणाम का सूचक है। इसे हानि अर्जन को लाभार्जन मे बदलने का प्रयास करना चाहिए तभी यह अपने अस्तित्व को वनाये रख सकती है।

तालिका – 5.9

विक्रय और लाभार्जन निष्पादन का विवरण
(करोड़ रू0 में)

वर्ष	विक्रय	शुद्ध लाभ/हानि
97—98	42 50	— 8.08
98—99	20 54	— 24 73
99—2000	13 39	— 26 77

स्त्रोत : भारत यंत्र निगम के महत्वपूर्ण वित्तीय सकेतांक

इस उद्यम द्वारा उत्पादन के अनुसार विक्रय क्षमता मे निरन्तर कमियां आयी है। जिसके परिणामस्वरूप इस उद्यम का शुद्ध हानि लगातार बढता जा रहा है। वर्ष 97—98 में केवल —808 करोड रू0 ही हानि अर्जित की थी लेकिन यह 99—2000 में बढकर करीब तीन गुना से भी अधिक हो गये। यह इस कम्पनी के असन्तोषजनक निष्पादन को प्रदर्शित करता है।

5. उत्पादन लक्ष्य को निरन्तर प्राप्त करने में असफल होना:—

इस इकाई का उत्पादन, निष्पादन कई वर्षो से सन्तोषजनक नहीं रहा है इस इकाई में नये यंत्रों व संयंत्रों की कमी व नये तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण यह अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में

निरन्तर असफल हो रहा है, जो इसकी रूग्णता का प्रमुख कारण है। इस इकाई को अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

तालिका - 5.10
उत्पादन निष्पादन का विवरण (लाख रू0 में)

उत्पाद	97–98	98–99	99–2000
बिल्डिंग स्ट्रक्चर	3085	225	270
टॉवर	1755	513	537
प्रेशर वेशेल्स	281	54	322
पाइप/पेनस्टाक	577	1059	56
गेट्स एण्ड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर	88	26	485
विविध	115	9	48
कुल योग	5896	1886	1396

स्त्रोत . भारत यत्र निगम के महत्वपूर्ण संकेताक

इस लोक उपक्रम द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उत्पादन नही किया जा रहा है। जिससे ग्राहकों को सन्तुष्ट करने में यह उद्यम निरन्तर असफल हो रहा है जिसके कारण यह निरन्तर हानि अर्जित कर रहा है। इसे अपने कार्य निष्पादन में सुधार करना चाहिए।

6. आदेशपूर्ति निष्पादन का असन्तोषजनक होना :-

यह इकाई सरकार द्वारा आदेशित वस्तुओ का निर्माण करने में निरन्तर असफल हो रहा है। आदेशपूर्ति निष्पादन का असन्तोषजनक होना इस इकाई के लिए अत्यन्त अहितकर है। यह इकाई समय से किसी भी कार्य

को पूरा करने मे निरन्तर असफल हो रहा है, जो इसकी रूग्णता का प्रमुख कारण है।

तालिका - 5.10

आदेशपूर्ति निष्पादन (लाख रू0 में)

वर्ष	कुल आदेश	आदेश पूर्ति	पेण्डिग आदेश
95–96	388	184	204
96–97	244	57	187
97–98	99 82	23 82	76
98–99	72 40	18	54 40
99–2000	65 57	12 07	53 50

स्त्रोत स्वयं के सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध आकडे

इस उद्योग का सर्वेक्षण करने पर यह ज्ञात हुआ कि यह ग्राहकों के ओदश को पूरा करने मे निरन्तर असफल हो रहे है। जब ग्राहक सन्तुष्ट नहीं होते तो वे आगामी आदेश भी नहीं देते है। तो यह लोक उद्यम कैसे लाभ को प्राप्त करेगा। इसलिए इस लोक उद्यमा को आदेश के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करके उत्पादन कार्य करना चाहिए जिससे सभी ग्राहकों को सन्तुष्ट कर सके। उत्पादन विभाग के अधिकारी से सर्वेक्षण के दौरान मैने पूछा–

प्रश्न – यह लोक उद्यम को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में निरन्तर असफल क्यों हो रहा है?

उत्पादक अधिकारी का जवाब – इसके असफल होने के निम्न कारण है– (i) विद्युत की अधिकाधिक कटौती (ii) नई मशीनो तथा तकनीको का अभाव (iii) श्रमिको द्वारा उत्पादन कार्य मे रूचि न लेना।

7. पूँजी की कम उपलब्धता :-

सरकार के पास पर्याप्त मात्रा मे वित्त न उपलब्ध होने के कारण व इन इकाइयो के निरन्तर हानि अर्जन के कारण इनके पास पूॅजी का सदैव अभाव रहता है जिससे ये अपने विकास क्रम को आगे बढाने मे निरन्तर असफल हो रहे है। विगत कई वर्षो से मंहगाई मे वृद्धि होने पर भी सरकार द्वारा समान पूॅजी उपलब्ध कराई जा रही है जिससे पूॅजी का अभाव इस इकाई मे बना रहता है।

तालिका – 5.11

पूँजी का विवरण (करोड़ रू0 में)

वर्ष	अधिकृत अश पूॅजी	प्रदत्त पूॅजी
95–96	15	20 63
96–97	30	20 63
97–98	30	21 02
98–99	30	21 02
99–2000	30	21 02
2000–2001	30	22.52
2001–02	30	22.52

स्त्रोत : भारत यंत्र निगम के वित्तीय संकेतांक

इस लोक उद्यम को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पूँजी लगभग कई वर्षों से समान रही है । जबकि इधर के वर्षों मे मंहगाई मे वृद्धि होने के कारण इस लोक उद्यम को अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। सरकार द्वारा अधिक पूँजी न उपलबध कराने के कारण यह उद्यम सुचारू रूप से उत्पादन कार्य व नई मशीनों व तकनीको का उपयोग करने मे अपने को असमर्थ पा रहे है। जिससे उत्पादकता मे निरन्तर गिरावट, लाभार्जन क्षमता में कमी तथा ग्राहकों को सन्तुष्ट करने में यह इकाई असमर्थ हो रही है।

8. कर्मचारियों व श्रमिकों के आधिक्य के कारण समस्या :-

टी0 एस0 एल0 में कर्मचारियो व श्रमिको का अब भी आधिक्य है। इनको ऐच्छिक सेवानिवृत्ति देकर इनकी सख्या में कमी करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, फिर भी इन पर अधिक धन व्यय होने के कारण यह इकाई अपना विकास कार्य करने में असमर्थ हो रही है।

तालिका 5.12
कार्यरत कर्मचारियों का विवरण

वर्ष	कुल कर्मचारियो की सं0	अधिकारियो की सख्या	श्रमिको की स0
96–97	1380	190	1190
97–98	1267	179	1088
98–99	1266	179	1087
99–2000	1210	164	1046
2000–01	766	110	656

स्त्रोत . भारत यंत्र निगम, महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतांक

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि इस लोक उपक्रम मे कर्मचारियों की संख्या निरन्तर घटाई जा रही है। वर्ष 2001 मे बहुत से कर्मचारियो ने ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। जिससे कर्मचारियो की स0 मे कमी आयी है। इस कमी के कारण ही यह लोक उद्यम उत्पादन लक्ष्य को अब भी प्राप्त करने में असमर्थ हो रही है।

विपणन रणनीतियाँ

यह लोक उद्यम विद्युत सम्प्रेषण के लिए टॉवर दूर सचार औद्योगिक एवं इमारती ढाचा, तथा जल विद्युत उपकरणो एव टैकरो के निर्माण का कार्य अभी हाल मे ही इस कम्पनी को रेलवे बैगनो के मरम्मत व पुल निर्माण की ठेकेदारी प्राप्त हुई है। यह लोक उद्यम सरकार के आदेश पर सभी निर्माण कार्य सम्पादित करता है। यह लोक उद्यम माग के अनुसार पूर्ति करने में असमर्थ रहती है क्योंकि प्रबन्धकों द्वारा विपणन की नीतियां पहले से ही तैयार नहीं किया जाता हैं आदेशों की पूर्ति न करने के कई कारण हैं। जैसे पुराने यन्त्रों और मशीनो का प्रयोग श्रमिको का कार्य के प्रति लापरवाही विपणन रणनीति का पहले से नियोजन न करना।

बी0 पी0 सी0 एल0 व टी0 एस0 एल0 का सर्वेक्षणात्मक अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि इन लोक उद्यमो में रूग्णता के सभी लक्षण विद्यमान हैं। जैसे– 1 नकद हानि का लगातार अर्जन करना, 2. नेटवर्थ की ऋणात्मक स्थिति, 3. शुद्ध हानि मे निरन्तर वृद्धि, 4. उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में निरन्तर असफलता। इनसभी लक्षणों के कारण इन दोनों लोक उद्यमों को पूर्णतया रूग्णता की श्रेणी में रखा जा सकता है।

टी० एस० एल० की सर्वेक्षणात्मक प्रश्नावली :-

प्र0 1 – ठेका पर काम लेने पर यह इकाई समय से पूरा क्यो नही कर पा रहा है?

उत्तर – प्रबन्धक ने जवाब दिया कि आधुनिक यन्त्रो व मशीनो के अभाव, कर्मचारियो व श्रमिको की लापरवाही व श्रमिको की अधिकता से काम लेने मे कठिनाई आदि के कारण यह कार्य समय से पूरा करने मे सफल नही हो पा रहा है।

प्र0 2 – इस इकाई की बाजार रणनीति क्यो असफल हो रही है?

उत्तर – बाजार प्रबन्धक ने जवाब दिया कि बाजार रणनीति का पहले से नियोजन न करना व बाजार विशेषज्ञो द्वारा बाजार का अनुसधान व नये बाजारो की खोज न करने के कारण इस इकाई की रणनीति असफल हो रही है।

प्र0 3 – इस इकाई में नये यन्त्रों व तकनीको का प्रयोग क्यो नही किया जा रहा है?

उत्तर – वित्त प्रबन्धक ने जवाब दिया कि पूँजी की कम उपलब्धता तथा बैकों व वित्तीय संस्थाओ द्वारा समय पर ऋण न उपलब्ध कराये जाने के कारण यह इकाई नये यन्त्रों व तकनीकों का प्रयोग नहीं कर पा रहा है।

प्र0 4 – यह इकाई निरन्तर हानि क्यों अर्जित कर रही है?

उत्तर – वित्त प्रबन्धक ने जवाब दिया कि ऋण पर ब्याज के रूप में अधिक भुगतान करना तथा वेतन के रूप में कर्मचारियों को धन का भुगतान करना तथा समय पर उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में निरन्तर असफल होने के कारण यह इकाई निरन्तर हानि अर्जित कर रही है।

इलाहाबाद के लोक उद्यमों में रूग्णता के प्रमुख कारण

1. पॉवर/शक्ति की कमी एवं अनियमितता के कारण रूग्णता :-

यह लोक उद्यमो की रूग्णता का सबसे प्रमुख कारण है। इस जनपद के लगभग सभी उद्यमो को विद्युत पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध नही हो पाती जिससे उत्पादन मे कमी आती है। सर्वेक्षण के अनुसार इन उद्योंगो को 8–10 घण्टे लगातार विद्युत की आवश्यकता होती है। लेकिन विद्युत पूरे समय तक उपलब्ध नही हो पाती। बी0 पी0 सी0 एल0 को अपना उत्पाद लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 घण्टे लगातार विद्युत चाहिए लेकिन काम के समय विद्युत न उपलब्ध होने के कारण ये अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने मे निरन्तर असफल हो रहा है। इसी प्रकार टी0 एस0 एल0को भी पूरे समय विद्युत उपलब्ध नहीं हो पाती जिससे यह उद्यम भी अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है। इन उद्यमो को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक विद्युत अवश्य चाहिए जिससे श्रमिक गण उत्पादन कार्य में पर्याप्त रूचि लेकन उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर सकें।

2. पूँजी का अभाव एवं अपर्याप्तता :-

पूँजी का अभाव एवं अपर्याप्तता इन दोनो उद्यमों की रूग्णता का प्रमुख कारण है। इन दोनों उद्यमों में बैक एवं वित्तीय संस्थानों से नहीं लिया है। यदि किसी इकाई द्वारा लगातार ब्याज की चार तिमाही किस्तों का भुगतान नहीं किया जाता है तो इसे रूग्ण माना जाता है। इस उद्योग द्वारा

उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं की माग अधिक है पूर्ति कम। इसका प्रमुख कारण वित्त की अपर्याप्तता है। क्योकि पूँजी के अभाव मे ये अपना उत्पादन बढाने मे असफल है। वर्तमान युग में नेय मशीनों व यन्त्रो की सहायता से ग्राहकों के आवश्यकतनुसार वस्तुओ की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। बी0 पी0 सी0 एल0 व टी0 एस0 एल0 मे रूग्णता का प्रमुख कारण उचित मात्रा में पूँजी की अनुपलब्धता ही है।

3. मांग के अभाव के कारण रूग्णता :-

इन इकाइयो द्वारा उत्पादित माल का बाजार मे मांग का अभाव है। बी0 पी0 सी0 एल0 जो पम्प तथा कम्प्रेसर्स व गैस सिलेण्डर के निर्माण का कार्य करता है। बाजार मे अपने उत्पादको के माग मे कमी के कारण रूग्ण होती जा रही है। टी0 एस0 एल0 द्वारा उत्पादित वस्तुओ की भी माग में निरन्तर कमी आयी है। इन दोनो उद्यमो द्वारा ग्राहको के मांग के अनुसार पूर्ति न करना। इनके माग मे कमी का एक प्रमुख कारण है।

4.कम उत्पादन के कारण रूग्णता :-

इलहाबाद के इन दोनों उद्यमों की उत्पादन क्षमता काफी कम है। उत्पादन क्षमता बढाने के लिए कच्चे माल की निरन्तर उपलब्धता व पूँजी की आवश्यकता होती है। बी0 पी0 सी0 एल0 व टी0 एस0 एल0 अपने लक्ष्य के अनुरूप उत्पादन करने में निरन्तर असफल हो रहे हैं। जिससे बाजार मे इनकी छवि धूमिल हो रही है। ग्राहकों को समय पर वस्तुओं के उपलब्ध न होने के कारण वे पुनः इन उद्यमों को आदेश देने मे कतराते हैं। कम उत्पादन का एक प्रमुख कारण पुराने यन्त्रो एवं मशीनों का प्रयोग भी है। परन्तु निरन्तर हानि अर्जन व पूँजी की अनुपलब्धता के कारण ये दोनों उद्यम नये तकनीकों व मशीनों को क्रय करने को अपने को असफल पा रहे है।

5. कारखाने की पूरी क्षमता का उपयोग करने में निरन्तर असफल होना :-

इन दोनो उद्यमों के सर्वेक्षण के दौरान मैने कारखाना प्रबन्धक से पूछा कि–

प्र0– ये दोनो उद्योग अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने मे क्यो असफल हो रहे हैं?

कारखाना प्रबन्धक का जवाब – (i) श्रमिकों मे उत्त्तरदायित्व की भावना का अभाव (ii) कार्य के प्रति लापरवाही व उदासीनता तथा (iii) पुराने यन्त्रो व मशीनों के प्रयोग के कारण ये उद्यम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने मे निरन्तर असफल हो रहे है। ये अपनी पूरी क्षमता का अधिकतम 75% ही उपयोग कर पा रहे हैं जबकि इन्हे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहिए तभी उनके निष्पादन में सुधार हो सकता है।

6.प्लांटों की समुचित मरम्मत व्यवस्था का अभाव :-

दोनों उद्यमों के उत्पादन कार्य में संलग्न यन्त्र व सयत्र काफी पुराने हो चुके है, उनके रखरखाव व मरम्मत की सम्पूर्ण जिम्मेदारी इन्जीनियरों व तकनीक विशेषज्ञों पर है। लोक उद्यम होने के कारण ये सभी अपने कार्य के प्रति पूर्णतया लापरवाह है। जिससे प्लाटों के मरम्मत की समुचित व्यवस्था के अभाव से उत्पादन कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। और ये इकाइयां अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहती है।

इन दोनों उद्यमों के अस्वस्थता के वाह्य कारण– 1. कच्चे माल का सही समय पर उपलब्ध न होना, 2. उत्पादों के विपणन में

कठिनाइयां, 3 साख की समुचित अनुपलब्धता के कारण कठिनाइया, 4 बैको व वित्तीय सस्थाओ से समय पर ऋण की अनुपलब्धता के कारण कठिनाई।

7. गुण नियन्त्रण का अभाव :-

इलाहाबाद के इन दोनो लोक ङ्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुए उच्च गुण के न होने के कारण ग्प्रहको को आकर्षित करने मे निरन्तर असफल रहे है। जिससे ग्राहको की सख्या बढने के बजाय निरन्तर घटती जा रही है। इस वर्ष से बी० पी० सी० एल० ने गुणवता नीति के रूप मे ''अपने उत्पादो एव सेवाओ की गुणवत्ता के लिए, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर समस्त कर्मचारियो के सहयोग से ख्याति अर्जित करना व उसे निरन्तर बनाये रखना'' आई० एस० ओ० 9001 द्वारा निर्धारित को स्वीकार किया है। जिससे गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

टी० एस० एल० भी अपने कार्यो व उत्पादनों मे सुधार करने के लिए गुणवत्ता नीति को अपनाने के लिए तत्पर है, क्योकि इसके कार्य निष्पादन से सरकार पूर्णतया असन्तुष्ट है इसलिए इस इकाई को अपने गुणवत्ता में निरन्तर सुधार की आवश्यकता है।

इन दोनों उद्यमों के अस्वस्थता के आन्तरिक कारण

1. उचित बजट और वित्तीय योजनाओ की अनुपिस्थिति
2 वित्तीय संस्थाओं से अपर्याप्त सहायता
3 स्थान, प्लांट, तकनीक आदि का अनुचित चुनाव
4 पुराने यन्त्रों व संयन्त्रों का उत्पादनकार्य में प्रयोग होना।
5. श्रमिक व प्रबन्धको के मध्य आपसी मनमुटाव के कारण उत्पादन कार्य अवरूद्ध होना।

6 कम ग्राहकों पर अत्यधिक निर्भरता

7 माग पूर्वानुमान का सही न होना

8. खराब विपणन योजना के कारण माल बेचने में कठिनाई

9 विपणन खोज मे निरन्तर कमी का अभाव

10 बेकार उत्पाद मिलान से निम्न कोटि का उत्पाद होना

11 खरीद व विक्रक कीमत पर सरकारी निर्देश के कारण समस्या

12 राष्ट्रीय बाजारो मे अवनति से व्यापारिक मन्दी

13. ग्राहकों को आकर्षित करने मे विज्ञापनो आदि का अभाव

14 आवश्यकता से अधिक श्रमिको व कर्मचारी के कारण काम लेने मे कठिनाई

15 प्रबन्धकीय और स्टाफ प्रशिक्षण का अभाव

16. कर्मचारियों की अनुवपस्थिति के कारण उत्पादन कार्य में विलम्ब होना

17. राजनीतिक हस्तक्षेप या नौकरशाही हस्तक्षेप से प्रबन्धकों की नियुक्ति में पक्षपात

18 खराब उच्च स्तरीय समन्वय औरनियन्त्रण

19 मुख्य प्रबन्धको की श्रेणी मे विरोध या फूट

20 कार्य बल में निम्न योग्यता नीति

21 प्रबन्धन में असावधानी।

बी0 पी0 सी0 एल0 वे टी0 एस0 एल0 में व्याप्त रूग्णता के निराकरण के लिए उपाय

1. विद्युतशक्ति की निरन्तर आपूर्ति – इन इकाइयों को कम से कम 18 घण्टे विद्युत की आवश्यकता होती है। परन्तु इन्हे विद्युत 8–10 घण्टे ही उपलब्ध हो पाती है। जिससे इसके उत्पादन पर बुरा प्रभाव पडता है तथा ये दोनो इकाई अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्य को निरन्तर प्राप्त करने मे असफल हो रहे है। यदि उन्हे विद्युत पर्याप्त मात्रा मे मिलती रहे तो ये अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करके ग्राहको को सन्तुष्ट करते हुए अपनी स्थिति में सुधार कर सकते है। सरकार द्वारा औद्योगिक आस्थानो मे अलग विद्युत उत्पादन केन्द्र खोला जाना चाहिए अथवा सौर्य ऊर्जा स्थापित किया जाना चाहिए जिससे इन्हें निरन्तर विद्युत की सुविधा उपलब्ध रहे और उत्पादन कार्य में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो सके। इन लोक उद्यमो को बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओ द्वारा किस्त प्रणाली पर जनरेटर की सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए तथा किस्त की रकम न्यूनतम होनी चाहिए जिससे उद्योगो को अदा करने में कोई कठिनाई न हो। विद्युत विभाग को भी अपने कार्य में सुधार करना चाहिए, सडक और गलियों मे दिन भर जलने वाली बिजली को बुझाने की व्यवस्था होनी चाहिए तथा विद्युत चोरी को भी रोका जाना चाहिए जिससे शक्ति को बचा करके लोक उद्यमों को अधिक बिजली दी जा सके और भविष्य में विद्युत से होने वाली समस्या से आसानी से रोका जा सके।

2. मांग की समस्या को दूर करने से सम्बन्धित उपाय :– इलाहाबाद के इन दोनों उद्यमों के मांग में निरन्तर कमी आ रही है। इन्हें अपने मांगों में वृद्धि करने के लिए विज्ञापन का सहारा लेना चाहिए इसके माध्यम से ये

ग्राहकों को अधिक आकर्षित कर सकते है। पुराने ग्राहको को समय पर उनके मांग के अनुसार वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके उनको सन्तुष्ट रखने का प्रयास करना चाहिए। जिससे पुराने ग्राहक इन दोनो इकाइयों को आदेश देने के लिए भविष्य मे सदैव तत्पर रहे।

3 उत्पादन में होने वाली समस्या को रोकने का उपाय – उत्पादन कम रहने के कारण होने वाली रूग्णता को अधिक क्षमता द्वारा कम किया जा सकता है तथा भविष्य मे रोका जा सकता है। कभी–कभी उत्पादन क्षमता मे कमी सयंत्रों की कमी या सयत्रो के पुराने हो जाने के कारण होती है। उत्पादन क्षमता बढाने के लिए उद्यमियो को अपने संयंत्रों का उचित रख–रखाव करना चाहिए तथा समय–समय पर जांच कराना चाहिए। प्राय यह देखा गया है कि उद्यमी संयत्रो का उचित रख–रखाव नहीं करते। यदि उत्पादन मे कमी सयंत्रो की कमी के कारण हो रही है तो उरो तुरन्त क्रय करना चाहिए। श्रमिको की लापरवाही के कारण यदि उत्पादन कम हो रहा है तो उत्पादक प्रबन्धक को श्रमिको पर विशेष निगरानी रखना चाहिए जिससे श्रमिक पूरी मेहनत व लगन के साथ उत्पादन कार्य करे।

4. वित्तीय समस्या को दूर करने से सम्बन्धित उपाय – भारत के अधिकाश उद्यम वित्त की समस्या से जूझ रहे है। वित्त के अभाव में वहुत सी इकाइयां रूग्ण हो गई है। सरकार द्वारा इन इकाइयो के लिए पूॅजी सही समय पर उपलब्ध कराना चाहिए । वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों को लोक उद्धमो को कम ब्याजदर पर तथा लम्बे समय के लिए धन उपलब्ध कराना चाहिए जिससे लोक उद्यमो में पर्याप्त धन की उपलब्धता सदैव बनी रहे और ये संस्थाएं अपने निष्पादन में निरन्तर सुधार करते रहे। वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने की लम्बी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को पूरा

करने मे ही बहुत समय लग जाता है। यह प्रक्रिया सरल एव सुविधाजनक होना चाहिए जिससे ऋण आसानी से सही समय पर लोक उद्यमो को उपलब्ध कर सके और वे इस धन का पूर्ण उपयोग करने में सक्षम हो सकें।

5. नकद हानि अर्जन को रोकने के उपाय – इलाहाबाद के दोनो उद्यमो द्वारा निरन्तर नकद हानि अर्जित किया जा रहा है। इन्हें अपने निष्पादन मे सुधार करके कम से कम उतना धन अवश्य अर्जित करना चाहिए जितना इन्होने अपने यहा विनियोजित किया है। श्रमिको के सहयोग से उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए तथा ग्राहको को सही समय पर वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए तथा धन का सही समय पर सही कार्य के लिए प्रयोग करना चाहिए। जिससे इन उद्यमो में अधिपूजीयन व अल्प पूजीयन की अवस्था न उत्पन्न हो। इन उद्यमो के प्रबन्धकगणो, कर्मचारियो व श्रमिकों को तन–मन–धन से अपने वित्तीय स्थिति सुधार मे करने का प्रयास करना चाहिए।

6. नेटवर्थ में सुधार के लिए सुझाव – बी० पी० सी० एल० व टी० एस० एल० इकाइयों का नेटवर्थ कइ वर्षों से ऋणात्मक रहा है। जब कोई भी उद्यम निरन्तर हानि अर्जित करता रहता है तो वह रूग्ण हो जाता है। इन उद्यमों का नेटवर्थ कई वर्षो से ऋणात्मक होना यह प्रदर्शित करता है कि ये इकाइयां पूर्णतया रूग्ण हो गयी हैं। इन इकाइयो को अपने नेटवर्थ मे निरन्तर सुधार करने का प्रयास करना चाहिए जिससे ये अपने अस्तित्व को बनाये रखने में सफल हो सके। सरकार हानि अर्जन करने वाले उद्यमों के निजीकरण पर विचार कर रही है। इन्हें अपने निष्पादन में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए नहीं तो वह दिन दूर नहीं है जब सरकार इन उद्यमो को निजी उद्योगपतियो को बेच देगी।

7. विपणन रणनीति मे सुधार के लिए सुझाव – बी0 पी0 सी0 एल0 व टी0 एस0 एल0 को अपने विपणन रणनीति मे सुधार करने की आवश्यकता है। तभी ये अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओ को आसानी से विक्री करने मे सफल हो सकेंगे। इन्हें ग्राहको को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन का सहारा लेना चाहिए तथा मुफ्त उपहार योजना प्रदान करके ग्राहको को क्रय करने के लिए आकर्षित करना चाहिए। विपणन प्रबन्धक को उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व विपणन रणनीति तैयार कर लेना चाहिए। जिससे विपणन समस्याओं को आसानी से दूर किया जा सके। वस्तुओ को ग्राहमो तक पहुॅचाने के लिए परिवहन की भी व्यवस्था उपलब्ध करायी जानी चाहिए जिससे ग्राहक पूर्णतया सतुष्ट रहे और भविष्य मे आदेश देने के लिए लालायित रहें।

8 कारखाने की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सुझाव

इलाहाबाद के इन दोनो उद्यमो द्वारा अपनी क्षमता का अधिकतम 75% ही प्रयोग किया जा रहा है। जबकि इनको अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करना चाहिए। श्रमिकों में अपने कार्य के प्रति उत्तरदायित्व की भावना जगाना चाहिए। जिससे श्रमिक उत्पादन कार्य मे पर्याप्त रूचि लेकर समय पर लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करें। पुराने यन्त्रो व मशीनो के स्थान पर नये यन्त्रो एवं मशीनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जिससे उत्पादन में तीब्र गति से वृद्धि हो और ये दोनो इकाई अपने लक्ष्यो को प्राप्त करने मे सफल हो सकें।

9. प्लांटों की मरम्मत व उचित रखरखाव के लिए सुझाव – दोनो उद्यमों के उत्पादन कार्य में सलग्न यंत्र व संयंत्र काफी पुराने हो चुके है। उनके मरम्मत व रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी इंजीनियरों व तकनीक

विशेषज्ञो पर है। उन्हे प्लाटो के मरम्मत व रख रखाव की समुचित व्यवस्था करना चाहिए। जिससे सभी संयंत्र सुचारू रूप से कार्य करते रहे और उत्पादन कार्य में किसी प्रकार की बाधा न उत्पन्न हो आवश्यकतानुसार नये यंत्रों व मशीनों को क्रय करने के लिए व्यवस्था किया जाना चाहिए, जिससे उत्पादन कार्य मे किसी प्रकार की रूकावट न उत्पन्न हो।

10 रूग्णता के अन्य कारणो को दूर करने का उपाय –

(i) सही बजट और वित्तीय योजनाए वर्ष के प्रारम्भ मे ही तैयार कर लिया जाना चाहिए, जिससे वित्तीय समस्या न उत्पन्न हो।

(ii) आवश्यकतानुसार वित्तीय संस्थाओ से सहायता ली जानी चाहिए, जिससे पूँजी की कमी के कारण उत्पादन कार्य मे बाधा न उत्पन्न हो।

(iii) स्थान प्लांट, तकनीक आदि का चुनाव सोच–विचार कर किया जाना चाहिए जिससे लोक उद्यमों के उत्पादन कार्यो पर विपरीत प्रभाव न पडे।

(iv) अत्याधुनिक यंत्रो व मशीनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे उत्पादन लक्ष्य को सुगमता से प्राप्त किया जा सके।

(v) श्रमिकों व प्रबन्धको के मध्य मधुर सम्बन्धों की स्थापना होनी चाहिए, जिससे हडताल , तालाबन्दी, काम रोको आन्दोलन आदि को रोका जा सके।

(vi) इन दोनों उद्यमों को नये ग्राहको का खोज करना चाहिए, जिससे लाभार्जन मे अधिकाधिक वृद्धि हो सके।

(vi) मांग पूर्वानुमान का सही ढंग से अनुमान करके उत्पादन कार्य किया जाना चाहिए, जिससे स्टाक के रूप में वस्तुएं बची न रहे।

(vii) विपणन योजना उत्पादन कार्य पूर्ण हो जाने पर ही तैयार कर लिया जाना चाहिए, जिससे माल बेचने मे कठिनाई न हो।

(viii) उच्च कोटि के वस्तुओ का ही उत्पादन किया जाना चाहिए, जिससे जनता वस्तुओ का प्रयोग करने के बाद इन्ही उद्यभो को ही पुन आदेश दे।

(ix) लोक उद्यमों को मूल्य निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा स्वतन्त्र छोड देना चाहिए, जिससे ये उचित कीमत निर्धारित करके लाभ अर्जित कर सके।

(x) आवश्यकता से अधिक श्रमिकों व कर्मचारियो को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दे देना चाहिए, जिससे आवश्यकता से अधिक श्रमिको व कर्मचारियों के कारण कार्य में बाधा न उत्पन्न हो।

(xi) कर्मचारियों को प्रशिक्षित व नवीन तकनीको के बारे मे प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे वे नये मशीनो का प्रयोग करने मे सक्षम हो सकें।

(xii) राजनीतिक हस्तक्षेप को पूर्णतया नियत्रित होना चाहिए, जिससे प्रबन्धकों की नियुक्ति में पक्षपात न हो।

(xiii) उद्यमों के प्रबन्धन का नियोजन समन्वय व नियंत्रण पूर्ण सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, जिससे ये दोनो इकाई अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करके रूग्णता से मुक्त हो सके।

अध्याय छः
लोक उद्यमों में रुग्णता के निराकरण के लिये चक्रीय प्रबन्ध

निरन्तर रुग्णता की ओर अग्रसर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो के सम्बन्ध मे एक नई एव निश्चित नीति का प्रतिपादन सरकार के लिये चिन्ता का विषय रहा है। बाजार अर्थव्यवस्था के वर्तमान विश्व परिप्रेक्ष्य मे इस क्षेत्र की भूमिका का पुनरावलोकन अत्यावश्यक हो गया है। साथ ही यह भी महसूस किया जा रहा है कि समस्याओ से निपटने के लिये सुधारो की मात्रा के बजाय उनकी निरन्तरता पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिये।

विगत वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव डालने वाले भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के सम्बन्ध मे वर्ष 2000 2001 के बजट भाषण के दौरान सरकार द्वारा निम्न नीतिगत प्रस्तावों की घोषणा की गई:–

- ऐसी कम्पनियों का पुनर्गठन किया जायेगा जो स्वायत्त हो सकने की क्षमता रखती हो।
- उन कम्पनियो को बद किया जायेगा जिनका पुनर्वास किन्ही कारणो से संभव न हो
- गैर–जरूरी समझे जाने वाले सभी उपक्रमो में सरकारी निवेश घटाकर 26 प्रतिशत अथवा जरूरी समझा गया तो उससे भी कम किया जायेगा।
- कर्मचारियों के हितों की पूर्ण सुरक्षा की जायेगी एवं

- निजीकरण एवं विनिवेश द्वारा प्राप्त धनराशि का उपयोग सामाजिक क्षेत्र की जरूरतों की पूर्ति, सार्वजनिक क्षेत्र के पुनरुत्थान एव सार्वजनिक ऋण के भुगतान के लिये किया जायेगा।

आयोजनो के आरम्भिक वर्षो मे तीव्र आर्थिक विकास, औद्योगिक संरचना के निर्माण एव समतावादी सामाजिक ढॉचे की स्थापना के जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विकास एव विस्तार हुआ, उसकी पूर्ति मे वह काफी हद तक सफल भी रहा। परन्तु 70 का दशक आते–आते भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस क्षेत्र के बढते भार के सम्बन्ध में चिता व्यक्त की जाने लगी। 80 के दशक मे इस क्षेत्र के लिये आरक्षित कुछ क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिये खोलने का निर्णय किया गया। परन्तु सरकार उपरोक्त उद्देश्यो के मद्देनजर कुछ स्पष्ट कहने में झिझकती रही। नब्बे के दशक में पूर्व सोवियत सघ का पतन चीन द्वारा ताईवानी माडल की मौन स्वीकृति पूर्व यूरोपीय देशों में हुये परिवर्तन आदि घटनाओ के सचयी प्रभाव के परिणामस्वरूप सरकार अपनी आर्थिक नीतियो के पुनर्गठन को मजबूर हुई एवं 1991 में घोषित नई आर्थिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्रो के प्रति कडा रुख अपनाते हुये निर्णय किये गये। (i) रुग्ण सार्वजनिक उद्यमो के पुनर्वास कार्यक्रम तैयार करने के लिए उन्हे औद्योगिक वित्त एव पुनर्निर्माण संघ को सौंपा जाय (ii) सार्वजनिक क्षेत्र के लिये आरक्षित क्षेत्रों मेंं निजी क्षेत्र के प्रवेश को एवं गैर–आरक्षित क्षेत्र मे सार्वजनिक क्षेत्र के प्रवेश को अनुमति प्रदान की जाय (iii) संसाधनों की उगाही एवं बेहतर जन–भागीदारी के उद्देश्य से इन उपक्रमो के शेयर वित्तीय कम्पनियों,

म्युचुअल फडो, कर्मचारियो एवं आम जनता को बेचे जाए तथा (iv) इन उद्यमों के सचालन एवं कार्यकुशलता मे सुधार हेतु इन्हे प्रबन्ध मे अधिक स्वतन्त्रता प्रदान की जाय।

भारत के सन्दर्भ मे औद्योगिक अस्वस्थता को एक 'सामाजिक समस्या' के रूप में देखा जाता है। लोक उद्यमो में रुग्णता भारत के लिये एक अभिशाप है। इसी कारण से भारत का तीव्र गति से आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। वर्तमान मे लोक उद्यम कई विकट समस्याओ का सामना कर रहा है। इन समस्याओं का समाधान करना अत्यन्त समीचीन है। लोक उद्यमों में व्याप्त रूग्णता का सामना करने के लिये निम्नलिखित सुधारात्मक कदम उठाये गये है।

१. बैंकों द्वारा उठाये गये कदम (Steps taken By Banks):-

रुग्ण औद्योगिक इकाइयो को अपनी स्थिति सुधारने के लिये व्यापारिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली प्रमुख रियायते है (i) इन इकाईयों को अतिरिक्त कार्यशील पूँजी की सुविधा प्रदान करना (ii) ब्याज की न्यूनतम दरों पर वसूली करना (iii) ब्याज का भुगतान और बकाया ऋणों के एक अंश की वसूली कुछ समय के लिये रोक देना। इसके अतिरिक्त बैंको के संगठनात्मक दृष्टि से कुछ और कदम उठाये गये है, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित है।

i. रिजर्व बैंक मे एक अस्वस्थ औद्योगिक उपक्रम विभाग स्थापित किया गया है जो अस्वस्थ इकाईयों के विषय में जानकारी देने के अतिरिक्त

सम्बन्धित समस्याओं से निपटने के लिये सरकार, बैको तथा अन्य वित्तीय सस्थाओ और अन्य संगठनों के बीच तालमेल बढाने के लिये कार्य करेगा।

ii. रिजर्व बैक की बैकिंग क्रिया एव विकास विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों मे राज्य स्तर पर अन्तरसंस्थागत समितियॉ स्थापित की गयी इनका उददेश्य बैकों, राज्य सरकारों केन्द्र और राज्य स्तर की वित्तीय संस्थाओ और अन्य संगठनों के बीच तालमेल बैठाना है।

iii. रिजर्व बैंक ने एक स्थाई समन्वय समिति गठित की है। जिसका काम व्यापारिक बैंको और दीर्घकालीन ऋण को देने वाली संस्थाओ के बीच समन्वय मुद्दो पर नियमित रूप से विचार करना है।

iv. औद्योगिक विकास के औद्योगिक पुनरुद्धार हेतु वित्त प्रभाव के अन्तर्गत एक विभाग की स्थापना की गयी है। जो बैको से आने वाले अस्वस्थ औद्योगिक इकाईयों के मामलो पर गौर करेगा।

2. सरकारी नीति का ढाँचाः

सर्वप्रथम अक्टूबर 1981 में केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक मत्रालयो, राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थाओ के मार्गदर्शन की दृष्टि से औद्योगिक अस्वस्थता की समस्या से निबटने के लिये सरकारी नीति का स्पष्टीकरण किया गया था इस नीति के सिद्धान्तों में फरवरी 1992 में कुछ संशोधन किये गये थे। इन सिद्धान्त की प्रमुख बातें निम्न थीः–

i. सरकार की प्रशासनिक मंत्रालयो की यह विशेष जिम्मेदारी होगी कि वे अपने दायित्व में आने वाले औद्योगिक क्षेत्र मे अस्वस्थता को रोके तथा अस्वस्थ्य इकाईयों की समस्याओं को हल करने के लिये उपाय करें।

ii. वित्तीय संस्थाये औद्योगिक व्यवस्था के बारे में जानकारी एकत्रित करने वाली व्यवस्था सबल बनाने की दिशा मे काम करेगी। जिससे आरम्भिक अस्वस्थता को जरूरी उपाय करके रोका जा सके।

iii. यदि बैक और अन्य वित्तीय सस्थायें किसी औद्योगिक इकाई को अस्वस्थता को पचा जाने में असमर्थ हो तो वे अपने बकाया वसूली ऋणो की वसूली के लिये सामान्य बैंकिंग कार्यविधि के अनुसार कार्यवाही करेगा। लेकिन ऐसा करने से पहले वह इस सम्बन्ध मे सरकार को रिपोर्ट देगी ताकि सरकार निर्णय करे कि इकाई विशेष का राष्ट्रीयकरण ही करना है या किन्ही उपायों के तहत उसको फिर अस्वस्थ बनाना है।

iv. यदि बैंक और अन्य संस्थाओं द्वारा किसी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में निर्णय लिया जाता है, तो शुरू में उसको छ माह के लिये सरकार उद्योग अधिनियम 1951 के अन्तर्गत अपने हाथ में लेगी ताकि इस अवधि में यह राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी कार्यवाही पूरा कर सके।

3. उद्योग (विकास और नियमन) के अन्तर्गत प्रतिबंधित इकाईयां–

सरकार ने अनेक इकाईयों का प्रबन्ध उद्योग अधिनियम के अन्तर्गत अपने हाथ में इसलिये लिया ताकि विभिन्न उपायों द्वारा उन्हें फिर से स्वस्थ बनाया जाये। परन्तु सरकार इस क्षेत्र में ठीक से सफल नहीं हुई वर्तमान में सरकार तभी किसी इकाई का प्रबन्ध अस्थाई रूप में अपने हाथ में लेती है जब किसी अस्वस्थ इकाई का राष्ट्रीयकरण करना होता है। अक्टूबर 1981 में घोषित नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार उद्योग (विकास

5. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक :-

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना सरकार ने अस्वस्थ औद्योगिक इकाईयों को सहायता देने के उद्देश्य से की थी इसकी अधिकृत और प्रदत्त पूँजी क्रमश 25 करोड रूपये और 25 करोड रूपये थी। इसके प्रमुख कार्य निम्न थे –

i. अस्वस्थ औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय सहायता पहुँचाना।

ii. इन इकाईयो को प्रबन्धकीय एव तकनीकी सहायता देना।

iii. समामेलन, विलगन आदि के लिये मर्चेंट बैकिग सेवाये उपलब्ध कराना और

iv. बैको को अस्वस्थ औद्योगिक इकाईयो के बारे मे परामर्श सेवाये प्रदान करना।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के कार्यो का विवरण

वर्ष	मामले आये	पजीकृत मामले	रद्द मामले	अनुमोदित मामले	न्यायालय को भेजे गये मामले
सितम्बर 1993	1924	1409	272	415	242
मार्च 1998	3148	2415	425	625	579
नवम्बर 1998	3441	2404	452	637	606
नवम्बर 1999	4001	284	1516	646	652

स्त्रोत· अरुणेश सिंह, भारतीय अर्थव्यवस्था अभिव्यक्ति प्रदर्शन इलाहाबाद

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा निष्पादित मामले :-

वर्ष	निष्पादन
1996	275
1997	188
नवम्बर 1998	127
नवम्बर 1999	223

स्त्रोतः अरुणेश सिंह, भारतीय अर्थव्यवस्था अभिव्यक्ति प्रकाशन इलाहाबाद, 1999

1991 की औद्योगिक नीति के तहत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अधिकार क्षेत्र को अधिक विस्तृत कर दिया गया है जिससे लोक उद्यमों में व्याप्त अस्वस्थता का शीघ्रातिशीघ्र पता लगाकर उसके निराकरण के उपाय निर्धारित करे। 30 नवम्बर 1999 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के 71 मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में दर्ज किये गये हैं। इनमें से 31 मामले अनुरक्षणीय कहकर रद्द कर दिये गये। 53 मामलों में पुनर्गठन योजनाओं को स्वीकार कर लिया गया जबकि 29 मामलों (9 केन्द्रीय व 20 राज्यों) में सम्बन्धित उच्च न्यायालयों से यह सिफारिश की गई कि इन इकाईयों को बन्द कर दिया जाये। 6 सार्वजनिक इकाईयाँ (2 केन्द्रीय व 4 राज्य उद्यम) अब पुनर्गठन योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर चुकी है और अब उन्हें अस्वस्थ इकाईयों की श्रेणी में से हटा दिया गया है।

214 कम्पनियों को रूग्ण नहीं माना गया और योजना के कार्यान्वयन के बाद उन्हें लाभोन्मुख स्थिति के आधार पर रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम की सीमा से हटा दिया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 225 सन्दर्भों मे से 157 सन्दर्भों (केन्द्र सरकार के 67 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और राज्य के 10 र्सावजनिक क्षेत्र के उपक्रम) को नवम्बर 1998 तक पंजीकृत किया गया था। केन्द्र सरकार के 21 सार्वजनिक उपक्रमों तथा राज्य के 19 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिये पुनर्वास योजनाये स्वीकृति की गयी थी। यह सिफारिश की गयी थी कि केन्द्र सरकार के 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो और राज्य के 4 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो को अब रुग्ण नहीं माना गया है।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा निष्पादित मामलों में गिरावट आई है। यह वर्ष 1996 में, 275 से घटकर वर्ष 1997 में 188 हो गये तथा वर्ष 1998 (नवम्बर तक) में इसमें और गिरावट होकर 127 मामले रह गये।

रुग्ण इकाईयों के सम्बन्ध में नवम्बर 1999 तक बी0आईएफ0आर0 के पास निजी कम्पनियों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में 4001 मामले आयें। 2841 पंजीकृत मामलों में से 516 मामलों को रद्द कर दिया गया, 646 मामलों में पुनर्निमाण योजनाओ को अनुमोदन दिया गया। जबकि 656 मामलों को विभिन्न हाईकोर्टों में भेज दिया गया ताकि परिसमापन सम्बन्धी कार्यवाही शुरू की जा सके। पुनर्निर्माण योजनाओं

को सफलतापूर्वक लागू करने के कारण 223 कम्पनियों को अस्वस्थ इकाईयो की श्रेणी मे से हटा दिया गया।

अपनी स्थापना से लेकर नवम्बर 1999 तक औद्योगिक एव वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास अस्वस्थ औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के तहत निजी कम्पनियों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो के सम्बन्ध में 4001 मामले आये। 2841 पंजीकृत मामलों में स 516 मामलो को रद्द कर दिया गय, 646 मामलों में पुनर्निर्माण योजनाओं को अनुमोदन दिया गया जबकि 658 मामलों को विभिन्न हाईकोर्टो मे भेज दिया गया ताकि परिसमापन सम्बन्धी कार्यवाही शुरू की जा सके। पुनर्निर्मण योजनाओं को सफलता पूर्वक लागू करने के कारण 223 कम्पनियो को अस्वस्थ इकाईयों की श्रेणी में से हटा दिया गया।

बोर्ड यदि आवश्यक समझे तो किसी कार्यशील संस्था को आदेश द्वारा अस्वस्थ औद्योगिक इकाई के मामलो को जॉचकर रिपोर्ट देने के लिये कह सकता है। जॉच जल्दी से जल्दी पूरी होनी चाहिये और इस कार्य के लिये 60 दिन से ज्यादा समय नही लगाया जाना चाहिये। यह निश्चित हो जाने पर कि औद्योगिक इकाई अस्वस्थ ही है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड यह तय करेगा कि इस इकाई के बारे में किस तरह की कार्यवाही की जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में तीन बातें की जा सकती है।

१. कम्पनी विशेष को समय दिया जाय ताकि वह बैंको अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा शुरू की गई योजना के अनुसार उचित समय में अपनी विशुद्ध पूँजी की मात्रा को ठीक कर सके।

२. किसी भी कार्यशील कम्पनी के माध्यम से कम्पनी विशेष के बारे में पुनरुद्धार योजना तैयार करवाये।

३. यदि किसी कार्यशील सस्था के द्वारा अस्वस्थ औद्योगिक इकाई को फिर से स्वस्थ बनाने के लिये योजना तैयार करना तय होता है तो निम्नलिखित उपाय किये जा सकते है –

1. अस्वस्थ औद्योगिक कम्पनी का पुनर्निर्माण अथवा पुनरुद्धार,

ii. अस्वस्थ औद्योगिक कम्पनी के प्रबन्ध के उचित व्यवस्था के लिये प्रबन्ध को बदलना या प्रबन्धन अपने हाथ मे ले लेना।

iii. अस्वस्थ औद्योगिक कम्पनी को किसी अन्य कम्पनी मे मिला देना

वर्ष 1998 की एक अधिसूचना के द्वारा सरकार ने भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम को एक संवैधानिक निगम में बदल दिया और इसका नाम भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक रखा गया इस बैंक की अधिकृत और प्रदत्त पूँजी क्रमश· 200 करोड रूपये और 50 करोड रूपये है। मार्च 1999 के अन्त तक इस पुनर्निर्माण बैक ने कुल 1,500 करोड रूपये की सहायता मन्जूर की जिसमें से 1100 करोड रूपयों के ऋणों का वितरण हुआ।

6. औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी0 आई0 एफ0 आर0) :–

अस्वस्थ औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के अन्तर्गत भारत सरकार ने जनवरी 1987 में औद्योगिक वित्त एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की थी। अस्वस्थ और कमजोर औद्योगिक

इकाईयों के लिये यह जरूरी है कि ये अपनी स्थिति के बारे मे औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड को लिखे। बोर्ड के लिये अस्वस्थ इकाईयों के बारे में ऐसी कोई अनिवार्यता नही है। यदि बोर्ड आवश्यक समझे तो किसी कार्यशील संस्था द्वारा अस्वस्थ औद्योगिक इकाई के मामलो की जॉच करवा सकता है। परन्तु जॉच में 6 दिन से ज्यादा समय नही लगाया जाना चाहिये यदि बोर्ड को विश्वास हो जाये कि यह कम्पनी वास्तव मे अस्वस्थ है तो बोर्ड ही कम्पनी के बारे में कार्यवाही के लिये नीति निर्धारित करेगा।

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड के पास सितम्बर 1993 तक अस्वस्थ औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के तहत 1924 मामाले आये जिनमें से 506 मामलो को आरम्भिक जॉच के बाद अस्वीकार कर दिया। 1409 पंजीकृत मामलो मे से 272 मामलों को रद्द कर दिया गया, 415 मामलो मे पुनर्निर्माण योजनाओं को अनुमोदन दिया गया जबकि 242 मामलों को विभिन्न उच्च न्यायालयो में भेज दिया गया ताकि परिसमापन सम्बन्धी कार्यवाही शुरू की जा सके।

मार्च 1998 तक औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास अस्वस्थ औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के अन्तर्गत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के 3143 मामले आये। इनमें से 2415 पंजीकृत मामलों में से 425 को रद्द कर दिया गया, 625 मामलों में पुनर्निर्माण योजनाओं का अनुमोदन किया गया जबकि 579 मामलों को परिसमापन सम्बन्धी कार्यवाही के लिये विभिन्न हाईकोर्टो में भेज दिया गया।

नवम्बर 1998 मे औद्योगिक एव वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को 3441 सन्दर्भ प्राप्त हुये है जिसमे केन्द्र और राज्य के 225 लोक उपक्रम शामिल थे। इनमे से 2404 सन्दर्भ रुग्ण औद्योगिक कम्पनी अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत पंजीकृत थे। जबकि 452 सन्दर्भों को अधिनियम के अधीन सुरक्षित न रखने योग्य मानकर खारिज कर दिया गया। बी0 आई0 एफ0 आर0 द्वारा 28 योजनाओ सहित 637 पुनर्वास योजनाओ को स्वीकृत किया गया था और 606 कम्पनियों को जल्द बन्द करने की सिफारिश की गयी थी।

7. *गोस्वामी समिति की रिपोर्ट :-*

औद्योगिक क्षेत्र के विकास मे आने वाली बाधाओ का अध्ययन करने के लिये तथा असक्षम इकाईयों को जल्दी सक्षम बनाने तथा सक्षम इकाईयों के पुनर्निर्माण के लिये सुझाव देने हेतु सरकार ने मई 1999 मे औद्योगिक अस्वस्थता तथा निगम पुन संरचना से सम्बन्धित एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष ओंकार गोस्वामी थे तथा इस समिति ने जुलाई, 1993 में अपनी रिपार्ट प्रस्तुत की। इसके मुख्य सुझाव निम्नलिखित थे।

i. इस समिति ने सुझाव दिया कि पूर्ण अस्वस्थता तक इन्तजार करने की अपेक्षा आरम्भिक अस्वस्थता पर अधिक ध्यान देना चाहिये। इस परिभाषा के अनुसार वह औद्योगिक इकाई अस्वस्थ मानी जानी चाहियें जो वित्तीय संसाधन प्रदान करने वाली संस्थाओं को कम से कम 180 दिन तक किश्तों

का भुगतान न कर पाई हो, तथा जिसकी नकदी–साख मे कम से कम 180 दिन तक अनियमितताएँ बनी रही हो।

ii. समिति के अनुसार, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड मामलो का निपटारा करने में बहुत देरी लगता है। जिसका अस्वस्थ औद्योगिक इकाईयो पर बहुत बुरा प्रभाव पडता है। अत समिति ने सुझाव दिया कि बोर्ड को परिसमापन से सम्बन्धित कदम उठाने चाहिये ताकि अक्षम इकाईयो को जल्दी बन्द किया जा सके।

iii. समिति ने अक्षम इकाईयो को बन्द करने से सम्बन्धित कार्यवाही को जल्दी पूरा करने के उद्देश्य से पॉच परिसमापन अधिकरण मुम्बई, दिल्ली, बंगलोर, मद्रास व कलकत्ता मे स्थापित करने का सुझाव दिया।

iv. समिति ने औद्योगिक इकाईयों से ऋणो की वसूली के लिये पॉच वसूली अधिकरण गठित करने का सुझाव दिया। जिसमें केवल 50 लाख रूपये से अधिक राशि वाले मामलो पर ही विचार किया जायेगा।

v. चूॅकि वर्तमान में अस्वस्थ औद्योगिक इकाई के लिये यह कानून जरूरी है कि वह औद्योगिक व वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में अपना मामला दर्ज कराये। परन्तु समिति ने यह सुझाव दिया कि बोर्ड में मामला दर्ज कराना अनिवार्य न होकर ऐच्छिक होना चाहिये। इस सम्बन्ध मे समिति ने विश्वास व्यक्त किया कि अनेक मामलों का निपटारा इकाईयॉ बोर्ड से बाहर आपसी बातचीत द्वारा कर लेती है।

vi. समिति ने यह सुझाव दिया कि अस्वस्थ औद्योगिक इकाईयो के लिये श्रमिकों को निकालते समय अथवा इकाई को बन्द करते समय सरकारी

अनुमति आवश्यक नहीं होनी चाहिये। अत: इस सम्बन्ध में औद्योगिक विकास अधिनियम में परिवर्तन किया जाना चाहिये।

इस प्रकार समिति के उपरोक्त सुझावो से बात स्पष्ट होती है कि समिति ने अस्वस्थ औद्योगिक इकाईयो के पुनर्निर्माण करने की अपेक्षा उन्हे बन्द करने पर अधिक जोर दिया है। अत इन सुझावो के परिणाम कुछ हद तक प्रतिकूल भी हो सकते हैं।

अस्वस्थता जल्दी पता लगाने के लिये उठाने गये कदमः–

रिजर्व बैंक ने समय–समय पर प्रारम्भिक अवस्था मे ही अस्वस्थता का पता लगाकर उसे दूर करने के उपाय करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। जिन वर्गों की औद्योगिक इकाईयों अस्वस्थ औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के अन्तर्गत नही आती उनके बारे में रिजर्व बैंक ने बैंको को सुझाव दिया है कि जैसे ही इनमे से कोई भी औद्योगिक इकाई कमजोर हो जाती है अर्थात् उसकी 50 प्रतिशत या उससे अधिक विशुद्ध पूँजी नष्ट हो जाती है वैसे ही उसको पुन: स्वस्थ बनाने के लिये उपाय शुरू कर देना चाहिये। अब तक रिजर्व बैंक ने व्यवहार में अपनाये जाने वाले जो भी निर्देशक सिद्धान्त अस्वस्थ औद्योगिक इकाईयों के बारे में जहॉ अस्वस्थता व्यापक है नियमित रूप से जानकारी प्रदान करता है। जूट और चीनी उद्योग के लिये रिजर्व बैंक में स्थायी समितियों गठन हुआ है। ये समितियॉ समय–समय पर अपनी बैठकों में अपने से सम्बन्धित उद्योगों की समस्याओं पर विचार कर उचित उपायों को निर्धारित करती है।

वित्तीय समस्या से सम्बन्धित उपाय :-

अधिकतर उद्योग वित्त के अभाव मे ही रुग्ण हो गयी है। अधिकाश रुग्ण इकाईयॉ वित्तीय सस्थाओ एव बैक द्वारा प्राप्त करने वाली इकाईयॉ हैं। इनको आवश्यक पूरी पूॅजी एक साथ उपलब्ध नही की जाती तथा पूॅजी की मात्रा भी कम रहती है अत पूर्ण वित्त के अभाव मे सक्षम उत्पादन न कर पाने के कारण रुग्ण हो जाती है। वित्त प्राप्त करने के लिये लम्बे प्रावधान है, इन प्रावधानो मे अधिक समय लगता है। और इकाईयॉ रुग्ण हो जाती है। अत वित्तीय संस्थाओं और बैको द्वारा प्रदान किये जाने वाले ऋण पर्याप्त मात्रा में तथा कम समय में ही उपलब्ध कराये जाय तथा वित्त प्राप्त करने वाले प्रावधानों को सरल एव ग्राह्य बनाया जाय। ताकि अन्य इकाईयॉ जो इस समय वित्त की सहायता से कार्यरत है तथा भविष्य में स्थापित होने वाली है वित्त के अभाव एव अपर्याप्तता से रुग्ण न होने पायें। रुग्णता की स्थिति में पुनर्वासन पैकेज के अन्तर्गत भी एक महीने के निर्धारित समय से कई महीने या वर्ष लग जाते है। वेक एव वित्तीय संस्थाओं द्वारा एक कार्यदल का गठन किया जाय जो समय–समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त संस्थानो का निरीक्षण करे तथा आवश्यक सुझाव दे जिससे इकाईयॉ रुग्ण न होने पाये।

शक्ति/ऊर्जा से होने वाली रुग्णता का समाधान :-

ऊर्जा या शक्ति की अनियमितता उव कमी उद्योगों को रुग्णता की श्रेणी मे खडी करती चली जा रही है। यदि शक्ति/विद्युत का तुरन्त उपचार नहीं किया गया तो रुग्णता की स्थिति को और अधिक जटिल बना

देगी। यदि समय रहते इसका समाधान नही किया गया तो भविष्य मे और इकाईयॉ रुग्ण हो जायेगी। उद्योगों को रुग्णता से बचाने के लिये विद्युत केन्द्र खोलें जाय, ऊर्जा की कमी से रुग्ण होने वाली इकाईयो को तुरन्त ऊर्जा या जनरेटर की व्यवस्था की जाये। लोक उद्योगो को जनरेटर खरीदने के लिये 50% की सब्सीडी दी जाती है लेकिन इससे उत्पादन लागत मे भी वृद्धि होती है इसके फलस्वरूप रुग्णता भी बढ सकती है। लोक उद्योगो को जनरेटर सेट किस्त प्रणाली पर दिया जाय तथा किस्त की रकम न्यूनतम हो जिससे उद्योगो को अदा करने में कोई कठिनाई न हो। दूसरी तरफ विद्युत विभाग को अपने कार्यो मे सुधार की आवश्यकता है। सडक और गलियो में बिजली दिन भर जलती रहती है उसको दिन में बुझाने की व्यवस्था हो, इससे भी कुछ ऊर्जा बचेगी जो उद्योगों में काम आ सकती है। इसके साथ विद्युत चोरी को रोका जाय इससे ऊर्जा की बचत होगी जिससे उद्योगों की रुग्णता को कम किया जा सकता है और भविष्य में विद्युत से होने वाली रुग्णता को रोका जा सकता है। सरकार द्वारा औद्योगिक आस्थानों में अलग विद्युत उत्पादन केन्द्र खोला जाय अथवा सौर ऊर्जा स्थापित किया जाय इसके अतिरिक्त उद्योग भी व्यर्थ शक्ति बरबाद न करें विद्युत की बचत से विद्युत का उत्पादन होगा जो उद्योगों के काम में आयेगी अत. इस प्रकार उद्योगों को रुग्णता से बचाया जा सकता है। और भविष्य में विद्युत की कमी से होने वाली रुग्णता से बचा जा सकता है।

मॉग के अभाव में होने वाली रुग्णता से सम्बन्धित उपाय :-

मॉग के अभाव में इकाईयॉ रुग्ण हो जा रही है। अत· रुग्णता न होने देने के लिये लोक उद्योगों द्वारा उत्पादित मालो की मॉग बढायी जानी चाहिये। इसके लिये निदेशालय द्वारा एक विक्रय सस्थान खोला जाना चाहिये जहॉ ऐसी इकाईयो द्वारा उत्पादित मालो का ही विक्रय हो। इसके अतिरिक्त उद्योगो को अपनी वृद्धि बढाने के लिये उत्पादो के साथ मुफ्त उपहार योजना को आरम्भ करना चाहिये इससे उनकी मालो की मॉग में वृद्धि होगी। उद्यमियों को अपने उत्पादों के लिय उचित किस्म तथा कम मूल्य निर्धारित करना चाहिये। इसके अतिरिक्त मेलो, प्रदर्शनियों आदि की व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे उद्यमी अपने उत्पादों को सामने ला सके और विक्री मे वृद्धि हो सके। इस प्रकार जो रुग्ण हो रही है या रुग्ण हो होने वाली है उनको बचाया जा सकता है।

उत्पादन के अभाव में होने वाली रुग्णता की रोकथामः-

उत्पादन कम रहने के कारण होने वाली रुग्णता को अधिक क्षमता द्वारा कम किया जा सकता है तथा भविष्य में रोका जा सकता है। कभी–कभी उत्पादन क्षमता मे कमी संयंत्रो की कमी या संयत्रो के पुराने हो जाने के कारण होती है। उत्पादन क्षमता बढाने के लिये उद्यमियों को अपने संयंत्रो का उचित रख–रखाव करना चाहिये तथा समय–समय पर जॉच पड़ताल कराना चाहिये। प्रायः देखा गया है कि उद्यमी संयंत्रों का उचित रख–रखाव नहीं करते उन्हे चाहिये कि उस पर ध्यान दे तथा समय–समय

पर जॉच पडताल करें, उपकरणो की क्रियाशीलता तथा उत्पादन की अबाध सम्पन्नता, सुनियोजित कारखाना अनुरक्षण पर भी निर्भर करता है। इससे श्रेष्ठ कार्य क्षमता एव कम लागत आती है। यदि उत्पादन मे कमी सयत्रो मे कमी के कारण हो रही है तो अविलम्ब उसकी पूर्ति करना चाहिये। जिला निदेशालय द्वारा उत्पादन बढाने के तरीको को ऐसे उद्योगों मे एक दल समय–समय पर भेज कर उद्योगों की समस्याओं आदि की जानकारी प्राप्त करना चाहिये तथा उन समस्याओ का निदान करने तथा उनके उत्पादन बढाने के तरीको की समीक्षा करनी चाहिये इस प्रकार वर्तमान मे उद्योगों मे रुग्णता को दूर किया जा सकता है और भविष्य मे इस कारण से होने वाली रुग्णता को रोका जा सकता है।

गुण नियंत्रण के अभाव से होने वाली रुग्णता के उपायः–

गुण नियंत्रण के अभाव के कारण रुग्ण उद्योगो को बचाने के लिये जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा संचालित गुण चिन्हांकन के द्वारा तुरन्त लाभान्वित किया जाय। इसके अतिरिक्त सभी लोक उद्योगों को चिन्हाकन योजना की तहत लाया जाय या उनके लिये अनिवार्य बनाया जाय। आवश्यकता इस बात की है कि जनपद में एक ही केन्द्र पर सभी प्रकार की वस्तुओं का चिन्हांकन किया जाय। इसके अतिरिक्त निश्चित समय पर उनका पुनः निर्धारण किया जाय। और उनकी गुणवत्ता बढाने का प्रयास किया जाये। उद्यमियों को भी चाहिये कि अपनी वस्तुओ की किस्म अच्छी रखे तभी उनकी वस्तुये बार–बार बिकेंगी तथा अधिक मात्रा में बिक पायेगी। इस

प्रकार उच्च गुण नियन्त्रण बनाये रखकर वर्तमान तथा भविष्य के उद्योगो को रुग्णता से बचाया जा सकता है।

प्रबन्धकीय अक्षमता एवं अज्ञानता सम्बन्धी रुग्णता को दूर करना :-

यदि उद्योग के प्रबन्धक के पास प्रबन्धकीय निर्देशन, नियत्रण, वित्तीय मामलों से सम्बन्धित कार्यक्षमता नही है तो उसका उपयोग नहीं कर पाते और इकाई रुग्ण होती चली जाती है। इसके अतिरिक्त प्रबन्धक वर्तमान तथा भविष्य में सचालित तरह–तरह की सुविधाओ, आधुनिक तकनीकों आदि की जानकारी न रखने के कारण उसका लाभ नही उठा पाते फलस्वरूप उद्योग रुग्णता के कगार पर पहुँच जाते हैं। इस प्रकार की रुग्णता की रोकथाम के लिये वित्तीय संस्थाओ एवं बैको द्वारा केवल उन्ही उद्यमियो को ऋण दिया जाय जो किसी मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रबन्धकीय योग्यता प्राप्त किये हों। उद्यमी प्रबन्धकीय क्षमता की उचित प्रयोग कर अपने उद्योगों के रुग्णता को नहीं आने देता है। जिला उद्योग निदेशालय द्वारा भी उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि उद्यमियों को इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य हो और निदेशालय द्वारा प्रशिक्षण पर और अधिक ध्यान दिया जाय। वर्तमान मे तथा भविष्य में इस कारण से होने वाली रुग्णता के निदान के लिये प्रशिक्षण व्यवस्था पर अधिक ध्यान दिया जाय तथा समय–समय पर गोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया जाय और उद्यमी को इस सम्बन्ध में जानकारी दी जाय। इस प्रकार वर्तमान

में तथा भविष्य में इस कारण से होने वाली रुग्णता को काफी सीमा तक हल किया जा सकता है।

सामाजिक कारणों से होने वाली रुग्णता की रोकथाम के उपाय :-

समाज में अक्सर ऐसी घटनायें घटती रहती है जिससे उद्योगों को भारी क्षति पहुँचती है। इस असम्भाविकता को टाला नही जा सकता। इस प्रकार से होने वाली रुग्णता से बचाव के लिये उद्योग निदेशालय या अन्य ऐसी किसी सस्था का निर्माण करे जो लोक उद्यमो का बीमा कराये। इस योजना मे प्रीमियम की राशि न्यूनतम रखी जाय। इस प्रकार सामाजिक कारणों से भविष्य में होने वाली रुग्णता को दूर किया जा सकता है।

मनोवैज्ञानिक कारणों से होने वाली रुग्णता की रोकथाम के उपाय :-

उद्योगो की रुग्णता का मनोवैज्ञानिक कारण सबसे महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक कारण ही सभी प्रकार की रुग्णता का आधार है। इस प्रकार की रुग्णता से बचाने के लिये उद्यमियों को अपने आप को नम्र तथा विनम्र बनाये रखना चाहिये तथा दूसरों के साथ सहयोग का सम्बन्ध बनाये रखना चाहिये। प्रबन्धकों को दूसरों तथा श्रमिकों के साथ सौहार्दपूर्वक सम्बन्ध बनाये रखना चाहिये। मानवीय सम्बन्ध श्रमिको के मनोबल, कार्यप्रेरणा एवं सहयोग की भावना को प्रेरित करती है। प्रबन्धकों को श्रमिकों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना चाहिये यदि श्रमिकों के साथ अच्छे सम्बन्ध हैं तो श्रमिकों का मनोबल बढेगा और वे उन्हें सहयोग प्रदान कर

उद्यम की कार्यकुशलता मे वृद्धि करेगे। प्राय देखा जाता है कि प्रबन्धक अपने को बहुत उच्च समझने लगते है और श्रमिको को बहुत निम्न दृष्टि से देखते है इससे श्रमिकों का मनोबल गिर जाता है। अत प्रवन्धकगण श्रमिकों को जीवन निर्वाह हेतु उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुविधायें, उचित आचरण, अवकाश आदि देने की सुविधाये देकर इस प्रकार की रुग्णता से बच सकते है।

औद्योगिक अस्वस्थता के परिणाम :-

भारत जैसी आयोजित और अल्प विकसित अर्थ व्यवस्था मे जिसमें श्रम की आपूर्ति जरूरत से ज्यादा है, औद्योगिक अस्वस्थता के निम्नलिखित गम्भीर परिणाम हो सकत हैं।

1. रुजगार की सम्भावना को धक्का लगना :-

भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें श्रम की आपूर्ति जरूरत से ज्यादा है। यहॉ पर रोजगार चाहने वालो की तुलना में रोजगार के अवसर बहुत सीमित है। ऐसी स्थिति में किसी भी औद्यागिक इकाई के बन्द हो जाने पर जो मजदूर होगें उन्हें फिर से काम मिलने की गुंजाईस कम ही होगी। इस दृष्टि से समस्या उस समय बहुत ही गम्भीर होगी जब बन्द होने वाली अस्वस्थ औद्योगिक इकाई सूती कपडा मिल की तरह बहुत हो और उसमें काम करने वाले मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा हो।

2. औद्योगिक अशान्ति की सम्भावना :-

अस्वस्थ औद्योगिक इकाई अगर कड़ी हो तो उससे बेरोजगारी बढने के साथ–साथ औद्योगिक शान्ति भंग होने का खतरा रहता है। ऐसी

स्थिति मे अन्य औद्योगिक इकाईयों से जुडे श्रम सघ भी अस्वस्थ इकाई को बन्द करने का विरोध करते है और व्यापक स्तर पर हडताले होती है। इससे औद्योगिक वातावरण की शान्ति भंग होता है। जिसके फलस्वरूप अनेक औद्योगिक इकाईयों मे उत्पादन का स्तर गिरता है और उन्हें मुनाफों की दृष्टि से नुकसान होता है।

3. साधनों का अपव्यय :–

अल्प–विकसित अर्थव्यवस्था में साधनों में कमी होती है ऐसी स्थिति में यदि कोई भी औद्योगिक इकाई अस्वस्थ होकर बन्द हो जाये तो उसमें लगे हुये साधन बेकार हो जाते हैं। यह समस्या उस समय बहुत गम्भीर हो जाती है। जब अस्वस्थ इकाईयॉ बहुत वडी होती है और उनमें मशीनों और संयंत्र मे पूँजी का भारी निवेश होता है। इन इकाईयो में उत्पादन बन्द हो जाने पर पूरे उद्योग का उत्पादन गिर जाता है और कीमती पूँजीगत उपकरण के रूप में उपयोगी बचतें फॅस जाती है।

4. सम्बन्धित इकाईयों पर बुरा असर :–

बहुत बार औद्योगिक इकाई अग्रगामी और पश्चगामी सम्बद्धताओं के द्वारा दूसरी औद्योगिक इकाईयों से जुडी होती है। अतः एक इकाई अस्वस्थ हो जाने पर उसका दूसरा इकाईयों पर प्रतिकूल असर पडता है। उदाहरण के लिये, लोहा औरा इस्पात उद्योग, एक ओर लोहा, कोयला, मैगनीज, चूना आदि खनन उद्योगों से जुडा होता है तो दूसरी ओर उसका सम्बन्ध भारी इंजीनियरिंग, मशीनी औजार, भवन निर्माण, रेल परिवहन इत्यादि उद्योगों से होता है। उसी स्थिति में यदि लोहा और इस्पात का

उत्पादन करने वाला बडा कारखाना अस्वस्थ हो जाये तो उसका उपरोक्त उद्योगो पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पडेगा।

5. निवेशकों और उद्यम कर्ताओं पर बुरा प्रभाव :-

किसी बडी अस्वस्थ औद्योगिक इकाई के बन्द हो जाने पर निवेशको मे निराशा उत्पन्न होती है। अस्वस्थ औद्योगिक इकाईयो के शेयरों की कीमते एकदम नीचे गिरती है। और उसमे उत्पन्न व्यापक निराशा के वातावरण में सम्पूर्ण शेयर बाजार की स्थिति बिगड सकती है। इसके अलावा एक इकाई की असफलता उन दूसरे उद्यमकर्ताओं को हतोत्साहित करती है जो उसी उद्योग में उत्पादन शुरू करने की योजना बना रहे होते है। कुल मिलाकर इस तरह का औद्योगिक विकास के लिये अनुकूल नही होता।

6. बैंको और दूसरी वित्तीय संस्थाओं को हानियाँ :-

अस्वस्थ औद्योगिक इकाईयो के बन्द हो जाने पर उन बैको और दूसरी सस्थाओ को भारी नुकसान होता है। इन इकाईयो को सयत्रा और मशीने खरीदने और उत्पादन के लिये कार्यशील पूँजी जुटाने के लिये ऋण दिया होता है। अस्वस्थ इकाईयो मे पूँजी फॅस जाने पर बैको और दूसरी सस्थाओ को उधार कार्यक्रम साधनो की कमी के कारण अस्त–व्यस्त हो जाते है। हम पहले बता आये है कि भारत मे मार्च 1998 के अन्त मे बडी अस्वस्थ इकाईयो के पास 3,857 करोड रूपये के ऋण का बकाया था यद्यपि बैक और अन्य वित्तीय सस्थाये ऋण वापस न करने वाली औद्योगिक इकाईयों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करते है लेकिन एक तो इसमे समय बहुत लगता है और दूसरे उधार दिया गया पूरा रूपया वापस नहीं मिलता।

अध्याय-सात

प्रमुख निष्कर्ष एवं सुझाव

आधुनिक युग में प्रत्येक राष्ट्र के तीव्र आर्थिक विकास मे लोक उद्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। भारत एक विकासशील देश है। भारत के त्वरित आर्थिक विकास, क्षेत्रीय विषमता मे कमी, रोजगार के अवसर का सृजन व जनसेवा के लिये लोक उद्यम अपरिहार्य है। हमारी राष्ट्रीय सरकार एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहती है। जिसमे देश मे तीव्र गति से होने वाले औद्योगीकरण एव राष्ट्रीय उत्पादन मे प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिले। इसी कारण से उत्पत्ति हुई 'राजकीय हस्तक्षेप' एव 'राजकीय उपक्रम' की। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारी जनतंत्रात्मक सरकार ने 'समाजवादी समाज' की स्थापना का व्रत लिया है तथा इसकी प्राप्ति हेतु योजना बद्ध अर्थ प्रबन्धन के पुनीत कर्त्तव्य का सहारा लिया।

लोक उद्यमों का विकास बीसवी शताब्दी की अत्यन्त क्रातिकारी घटना मानी जाती है। एक अर्थव्यवस्था मे लोक उद्यमो की कार्यशीलता सामान्य रूप से जनता के लिये तथा विशेषकर आर्थिक क्रिया कलापो के लिये काफी लाभप्रद होती है। भारतीय सविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जनता के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक कलयाण के लिये सरकार को ही उत्तरदायी ठहराया गया है। इस प्रकार वर्तमान मे सरकार नागरिको एव उद्यमियों के संरक्षक, नियन्त्रक तथा रक्षक की स्वय भूमिका ग्रहण कर एक सक्रिय सहभागी के रूप में उभर कर आया है। भारत जैसे विकासशील देश मे जहॉ पर जनता के आर्थिक कल्याण के लिये नियोजित आर्थिक विकास की भावना अपनायी गयी है।

लोक उद्योग का आशय :-

लोक उद्योग से तात्पर्य सरकारी सरकारी स्वामित्व मे स्थापित एव नियत्रित ऐसी स्वशासित अथवा अर्धस्वशासित निगमो एव कम्पनियो से है जो औद्योगिक और वाणिज्यिक क्रियाओ में लगी हो।

इस प्रकार उद्यम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार एव स्थानीय सरकार द्वारा स्थापित सभी उद्योग सम्मिलित है, भारतवर्ष मे राज्य सतर पर लोक उद्यम व केन्द्रीय सरकार के अधीन भी लोक उद्यम कार्य कर रहे हैं। इसी तरह लोक उद्यम मे विभागीय उद्योग कम्पनिया एव सवैधानिक नियम सभी सम्मिलित किये जाते है चाहे उनकी स्थापना केन्द्रीय सरकार द्वारा की गयी हो अथवा सरकार व स्थानीय सरकार द्वारा की गयी हो।

लोक उद्यमों का औचित्य :-

भारत जैसे विकासशील देश के चतुर्दिक विकास मे लोक उद्यमो का योगदान प्रशंसनीय है लोक उद्यमो ने देश को औद्योगिक क्षेत्र को सबल व आत्मनिर्भर बनाया है। सार्वजनिक उपक्रमो की स्थापना के पश्चात् ही देश त्वरित आर्थिक विकास की ओर अग्रसर हुआ है। भारत देश के लिये लोक उद्यमो की स्थापना के अग्रलिखित औचित्य है.-

१. लोक उद्यमों के विकास पर ही नियोजन की सफलता निर्भर करती है। निजी उद्यम नियोजन की सफलता के लिये कोई भी कार्य नहीं करते है क्योंकि निजी उद्योगपतियो का हित निजी उद्यम में विद्यमान रहता है। सामजिक व

आर्थिक विकास मे तीव्रता एव स्वामित्व लाने के लिये ही लोक उद्यमो की स्थापना की जाती है जबकि निजी उद्योगपति इन कार्यो मे अपनी हित की अविद्यमानता के कारण विनियोजन करने के लिये तत्पर नही होते।

२. देश के त्वरित आर्थिक विकास में लोक उद्यमो का योगदान अद्वितीय है। वस्तुओ के उत्पादन एव पूँजी निर्माण दर को बढाने के लिये सरकार का अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के विकास के लिये परम आवश्यक होता है।

३. निजी उद्यमो मे कम विनियोग कर अल्पसमय मे अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति होती है। जबकि देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिये रेलवे, सडक, दूर–संचार, ऊर्जा, वायु यातायात, डाक, बैक तथा बीमा सम्बन्धी सुविधाओं का विकास होना आवश्यक है। इन सुविधाओं को विकसित करने के लिये काफी धन एव समय की भी जरूरत पडती है। जो निजी उद्योग द्वारा सभव नही था इसलिये सरकार ने लोक उद्यमो के माध्यम से इन सुविधाओं का विकास किया जिससे कि देश मे कृषि एव उद्योगो का विकास शीघ्रता से किया जा सके।

४. आधाभूत उद्योगो के विकास के लिये काफी मात्रा में विनियोग की आवश्यकता होती है जो निजी उद्योगपतियो द्वारा सम्भव नही था इसलिये आधारभूत उद्योगों की स्थापना केवल लोक उद्यमो के रूप में की गयी जिससे देश के उद्योगों का ताव्र गति से विकास हुआ। आधारभूत उद्योगों से

तात्पर्य ऐसे उद्योगो से होता है, जिसके विकास से अन्य उद्योगो का विकास सम्भव हो जाता है।

५ प्राकृतिक ससाधनो के समुचित विदोहन व सन्तुलित क्षेत्रीय विकास के लिये आर्थिक क्रिया–कलापो मे सरकार का हस्तक्षेप परमावश्यक था जिससे देश निर्धन तथा पिछडे क्षेत्रो मे उद्योगो की स्थापना सुनिश्चित की जा सके तथा क्षेत्रीय असमानता की खाई को पाटा जा सके।

६. भारत के सविधान में समाजवादी समाज की स्थापना पर बल दिया गया है समाजवादी सरकार का प्रमुख उद्‌देश्य होता है कि वह समाज को उद्योगपतियों व व्यवसायियो के शोषण से बचाने के लिए लोक उद्यमों की स्थापना करे।

७ सरकार को ठोस तकनीकी और पूँजी आधार की उपलब्धि के लिये भी लोक उद्यमों की स्थापना करनी पडती है इसलिये सरकार को लोक उद्यमों की स्थापना देश के आर्थिक विकास के लिये करनी पडती है।

८. भारत के लोक उद्यम सरकार द्वारा घोषित नीतियो, मूल्य स्थिरीकरण, औद्योगिक नियोजन तथा आयात प्रतिस्थापन आदि के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। लोकोपयोगी सेवाओ की उपलब्धिता में लोक उद्यमों की एकाधिकार जैसी स्थिति है।

९ आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण को लोक उद्यमो की सहायता से आसानी से रोका जा सकता है। लोक उद्यमो कमचारियो के नियुक्ति तथा श्रमिक सहभागिता का विकास करके प्रजातन्त्रीकरण को बढावा दिया जाता है।

१० लोक उद्यम अपने कर्मचारियो के लिये आवास व्यवस्था, बच्चो की शिक्षा, कैन्टीन सुविधा, बीमारी के लिये चिकित्सा सुविधा, आने–जाने के परिवहन साधन आदि सुविधायो प्रदान करके आदर्श नियोक्ता की भूमिका निभा रहा है। जबकि निजी उद्यम ऐसी सुविधाए नही प्रदान करते है वे अधिकतम लाभार्जन के लालच मे जनता का शोषण करते हैं इसलिये लोक उद्यम रोजगार प्रदान करके व सेवा सम्बन्धी सुविधाये प्रदान करके आदर्श नियोक्ता की भूमिका निभा रहे है।

भारत में लोक उद्यमों की आवश्यकता :-

भारत एक विकासशील देश है किसी भी देश के आर्थिक विकास में लोक उद्यमों का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोई भी देश बिना लोक उद्यमो के विकास के उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर आसीन ही नही हो सकता। संसार के विकसति देशो के उत्तरोत्तर प्रगति का मूल आधार लोक उद्योग ही है। भारत के त्वरित आर्थिक विकास क्षेत्रीय विषमताओ में कमी रोजगार के अवसर का सृजन व जनसेवा के लिये लोक उद्यम अपरिहार्य है। प्राचीन काल में निजी उद्यमों का प्रचलन न था। अधिक लाभ प्राप्ति के प्रलोभन में जब निजी उद्योगपतियो द्वारा जनता को अधिक मूल्य पर वस्तु प्रदान करके

उनका शोषण किया जाने लगा तो सरकार को हस्तक्षेप करना ही पडा। जनसेवा की भावना व सवैधानिक प्रावधान के कारण सरकार को जनता की अनिवार्य आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये लोक उद्यमो की स्थापना करनी ही पडी।

इन उद्योगों की स्थापना के अन्य महत्वपूर्ण कारण निम्न है।

1 सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना है। पूँजीवादी व्यवस्था में आर्थिक शक्ति कुछ ही हाथों मे सकेन्द्रित हो जाती है। अतः भारत जैसे निर्धन देश मे इस कुप्रथा को रोकने का काम काफी हद तक सार्वजनिक क्षेत्र ने किया है। यद्यपि देश मे अनेक बडे औद्योगिक घराने मौजूद है परन्तु कुल परिसम्पत्ति में उनका हिस्सा बहुत कम है। दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र ने अनेक प्रकार से आर्थिक समानता लाने और गरीबी निवारण के लिये प्रयास किया है। सार्वजनिक उद्यमो से प्राप्त लाभो का प्रयोग निर्धनो के विकास एवं कल्याण हेतु विभेदात्मक नीति अपना सकती है। उन्हे अनेक प्रकार के छूट तथा सहायता दे सकती है। इसी प्रकार वह उपभोक्ता वस्तुओं को कम कीमत पर उपलब्ध करा सकती है।

2. सार्वजनिक क्षेत्र मे उद्यमों की स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से ही नहीं की जाती बल्कि उनका उद्देश्य जनहित होता है। इसीलिये ऐसे उद्यमो की स्थापना ऐसे क्षेत्रों में ही की जाती है जहॉ यद्यपि उनके लिए उपयुकत दशाएं उपलब्ध नहीं होती परन्तु उनकी सहायता से उस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर

किया जा सकता है। उदाहरणार्थ भिलाई इस्पात सयत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के इस पिछडे क्षेत्र मे करने का एकमात्र उद्देश्य क्षेत्रीय विकास तथा वहॉ विकास की लहरे उत्पन्न करना रहा है पूर्वोत्तर राज्यो उडीसा, बिहार आदि पिछडे राज्यों मे भी अनेक उद्योग स्थापित किये गये हैं।

3 स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत का तीव्र गति से विकास हुआ औद्योगीकरण सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका का ही परिणाम है। लोहा व इस्पात, भारी इजीनियरिग, भारी रसायन, उर्वरक, भारी रसायनिक उर्वरक, भारी विद्युत उपकरण एव अन्य खनिज प्रतिरक्षा सम्बन्धी आदि का अधिकाश विकास सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रयासो से हुआ है। इन विशालकाय उद्योगो के लिये भारी पूॅजी की आवश्यकता लोक उद्यमों और लम्बी परिचालन अवधि के कारण निजी क्षेत्रो की असमर्थतता को सार्वजनिक क्षेत्रो के माध्यम से ही पूरा किया गया है। उल्लेखनीय है कि निजी क्षेत्र जिन उपभोक्ता वस्तुओ की ओर अधिक झुकाव रखते है, उनका उत्पादन भी सार्वजनिक क्षेत्रो द्वारा लोहा व इस्पात, विद्युत उत्पादन और भारी इजीनियरिंग उद्योगो के आधार पर ही हुआ है।

4. सम्पूर्ण योजना काल में सार्वजनिक क्षेत्र का कुल निवेश मे महत्वपूर्ण अंश रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना से छठी पचवर्षीय योजना तक का कुल निवेश आधे से अधिक रहा है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवी तथा छठी योजनाओं में कुल विनियोग का 54%, **54%, 60%, 59%, 57.7%** और **53%** भाग सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया गया, सातवी पचवर्षीय योजना में यह **47%**

रखा गया जो आठवी पचवर्षीय योजना मे और घटकर 45% पर आ गया। वास्तव मे आठवी पचवर्षीय योजना तक आते–आते सरकार ने यह महसूस किया कि अब भारत का निजी क्षेत्र काफी हद तक स्वावलम्बी हो गया है और देश के विकास मतो अधिक भागीदारी निभा सकता है।

यदि पूँजी निर्माण के आंकड़ो का अध्ययन किया जाय तो स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना मे देश का कुल घरेलू पूँजी निर्माण सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 7% ही था, जो सातवी पचवर्षीय योजना मे 22-8% तक पहुँच गया। इसमे से सार्वजनिक क्षेत्र का भाग इन दोनो पचवर्षीय योजनाओ मे क्रमश. 35% से बढ़कर 42 1% हो गया। इस योजना अवधियों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रो के पूँजी निर्माण योगदानो का अनुपात क्रमश. 33.67 से 47.53 हो गया।

जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्रों मे कुल बचत में योगदान का प्रश्न है, यह उत्साहजनक नही रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना मे यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 1 7% था तो छठी पंचवर्षीय योजना मे 3 6% तक ही पहुँच सका। सापेक्षिक रूप मे प्रथम पचवर्षीय योजना में उसका योगदान 17% था जो चौथी पंचवर्षीय योजना मे कुल बढकर 21% हो गया परन्तु इसके पश्चात् से इसमें ह्रास होने लगा और छठी पंचवर्षीय येजना में 18% और सातवीं पंचवर्षीय योजना में 11% के स्तर पर आ गया। इस ह्रास के लिये अनेक कारण उत्तरदायी है। उललेखनीय है कि सार्वजनिक उद्यमों ने तो

बचत करने मे अपना योगदान बढाया है परन्तु प्रशासनिक विभाग सदैव घाटे में चलते रहे है और बचत में उनका योगदान ऋणात्मक रहा है। आछवी पचवर्षीय व नौवी पचवर्षीय योजना मे यह 43% व 45% बनी रही। इस प्रकार पूँजी की निर्माण दर मे उच्चावचन की स्थिति बनी रही।

5. आर्थिक विकास हेतु अध. सरचना का विकसित होना आवश्यक है। सडक, रेल आदि परिवहन के साधन सचार की सुविधाये, ऊर्जा का उत्पादन तथा वितरण आदि सुविधाओं के अभाव मे कृषि उद्योग या सेवाओ का विकास असम्भव है। इन तत्वो के विकास मे र्सावजनिक क्षेत्र का योगदान अद्वितीय रहा है। इन सेवाओं तथा उद्यमो मे सार्वजनिक क्षेत्र का 30 हजार करोड रू0 से भी ज्यादा निवेशित है। वास्तव मे भारत का वर्तमान औद्योगिक विकास र्सावजनिक क्षेत्र द्वारा तैयार किये गये मजबूत अध. सरचनात्मक आधार पर ही हुआ है।

6. सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तगंत सिर्फ वस्तु उत्पादक इकाईयों में ही नही, बल्कि सेना प्रशासनिक सेवाओ जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, शोध आदि गतिविधियो मे भी रोजगार के अवसर बडी संख्या मे उत्पन्न होते है। लोक उद्यमो की स्थापना का मुख्य उद्‌देश्य रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है जिससे भारत के शिक्षित नवयुवको को रोजगार आसानी से उपलब्ध हो सके।

7. सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक ऐसे उद्योगों की स्थापना की गई है जिनके उत्पाद भारत को पूर्वकाल मे विदेशों से आयात करने पड़ते थे। जैसे– भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, इंडियन 'ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, तेल एवं

प्राकृतिक गैस आयोग, इंडियन ऑयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान ऐटीबायोटिक्स लिमिटेड आदि इकाईयों मे ऐसी वस्तुओं का उत्पादन होता है।, जो देश के लिये अत्यन्त आवश्यक है और देशी उत्पादन न होने पर उनका विदेशो से आयात अनिवार्य होता है। यद्यपि अभी देश इन वस्तुओ के उत्पादन मे आत्मनिर्भर नहीं हो सका, फिर भी सार्वजनिक क्षेत्र के इन वस्तुओ का उत्पादन करके बडी मात्रा मे विदेशी मुद्रा की बचत की है।

8. र्सावजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण उद्‌देश्य समाजवादी समाज की स्थापना है। पूँजीवादी समय मे आर्थिक शक्ति कुछ ही हाथो मे सकेन्द्रित हो जाती है, अत. भारत जैसे–निर्धन देश मे इस कुप्रथा को रोकने का काम काफी हद तक सार्वजनिक क्षेत्रो द्धारा किया गया है। यद्यपि देश मे अनेक बड़े औद्योगिक घराने मौजूद हैं परन्तु कुल परिसम्पत्ति मे उनका हिस्सा बहुत कम है। दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र ने अनेक प्रकार से आर्थिक समानता लाने और गरीबी निवारण के लिये प्रयास किया है। सार्वजनिक उद्यमो से प्राप्त लाभो का प्रयोग निर्धनों के विकास एवं कल्याण हेतु किया जाता है। सरकार छोटे उद्योगपतियो को प्रोत्साहन देने हेतु विभेदात्मक नीति अपना सकती है उन्हे अनेक प्रकार के छूट तथा सहायता दे सकती है अपने उद्यमो में विभेदात्मक वेतन नीति अपना सकती है। इसी प्रकार वह उपभोक्ता वस्तुओं को कम कीमत पर उपलब्ध करा सकती है।

रुग्णता के निराकरण के लिये उपाय :-

१. विद्युत व कच्चे माल की नियमित आपूर्ति

२. सरकारी नीति का सदुपयोग

३. माग मे उतरोत्तर वृद्धि का प्रयास

४. साख पर समुचित नियत्रण

५. लाभार्जन में वृद्धि का प्रयास

६. पूँजी का समुचित उपयोग

७. मानव शक्ति का समुचित उपयोग

८. कीमत नीति मे सुधार

६. संयंत्र एवं मशीनो का आधुनिकीकरण

१०. सामर्थ्य का समुचित प्रयोग

११. कुशल प्रबन्धन

१२. समुचित आयोजन एवं नियत्रण

१३. श्रमिक सहभागिता का विकास

१४. सरकार द्वारा वित्तीय सहयोग

१५. उत्पादन लागत मे कमी का प्रयास

१६. अत्याधुनिक तकनीक व मशीनो का प्रयोग

१७. उत्पादन सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण

१८. स्पष्ट उद्देश्यो एवं लक्ष्यो का निर्धारण

१६. संगठनीय समस्याओ का निराकरण

२०. विपणन का समुचित प्रबन्ध

२१. लोक उद्यमो की प्रत्येक मामलो में सरकार को हस्तक्षेप नही करना चाहिये

२२. रुग्ण इकाईयो के पुनरुद्धार के लिये वित्तीय एव पुनर्निर्माण परिषद को सौप देना चाहिये।

प्रमुख्य निष्कर्ष :-

भारत जसे विकासशील देश में लोक उद्यमों की स्थापना राजकोष मे योगदान, समाजवादी समाज की स्थापना, जनता को कम मूल्य पर वस्तुओ की उपलब्धि तथा आदर्श नियोक्ता की भूमिका निभाते हुये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये की गयी थी। लोक उद्यमों ने इन उद्देश्यो को प्राप्त करने की दिशा मे अभूतपूर्व सफलता अर्जित की है। परन्तु कुछ समस्याओ के कारण ये आशाजनक सफलता प्राप्त करने में असफल हो रहे है। यदि सरकारी राजनीतिक व सामजिक तत्वों तथा प्रबन्धक कर्मचारी व श्रमिको द्वारा एकजुट प्रयास किया जाय तो निश्चय ही लोक उद्यमो मे व्याप्त समस्याओ का निराकरण किया जा सकता है। यदि सही समय पर इसकी समस्याओ के निराकरण के लिये प्रयास किया जाय तो निश्चय ही लोक उद्यम अपनी समस्याओं से निजात पालेंगे और ये सफलता की ऊँचाइयो पर अवश्य ही पहुँच जायेगे। लोक उद्यमों मे व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिये यदि प्राथमिक स्तर पर ही उपचार की व्यवस्था की जाय तो निश्चय ही लोक उद्यमों का भविष्य उज्जवल रहेगा। जब लोक उद्यमों का भविष्य उज्जवल रहेगा तो देश

औद्योगिक क्षेत्र मे आत्मनिर्भर बनेगा तथा देश का सन्तुलित त्वरित विकास होगा।

लोक उद्यमो का विस्तृत व विश्लेषणातमक अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि भारत के त्वरित आर्थिक विकास में लोक उद्यमो ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरचनात्मक सुविधाओ के विस्तार क्षेत्रीय विष्मताओ मे कमी, उतपादन वृद्धि तथा रोजगार अवसर सृजन आदि ऐसे क्षेत्र है जिसके विकास मे लोक उद्यमो ने अद्वितीय योगदान दिया है परन्तु लोक उद्यमो ने आर्थिक एव सामाजिक उद्देश्यो को प्राप्त करने में आशा के अनुरूप अधिक सफलता नहीं प्राप्त की है। व्यवहार मे इन लोक उद्यमों को कुछ ऐसी समस्याओ का सामना करना पडता है। जिसके कारण ये आशाजनक सफलता प्राप्त करने मे असफल हो रहे है। ये समस्याए अग्राकित है.–

A. वाहय समस्याएं :–

१. सरकार की आयात निर्यात, औद्योगिक लाइसेस तथा कराधान आदि की नीतियो में अचानक परिवर्तन से कठिनाई।

२. विद्युत की अनियमित आपूर्ति

३. कच्चे माल तथा अन्य आगतो की अपर्याप्त और अनियमित आपूर्ति

४. सरकारी नीति की अनुपयुक्तता

५. मांग में निरन्तर कमी

६. साख सम्बन्धी दोषपूर्ण नीति के कारण कठिनाई

B. आन्तरिक समस्याएं :-

१. बढती हुई हानियॉ

२. अधिपूॅजीयन के कारण पूॅजी की व्यवस्था करने मे कठिनाई

३. आवश्यकता से अधिक मानव शक्ति का प्रयोग

४. दोषपूर्ण कीमत नीति

५. दोषपूर्ण सयंत्र एव मशीने

६. सामर्थ्य का अनुचित प्रयोग

७. दोषपूर्ण नियत्रण

८. अकुशल प्रबन्ध

६. आयोजना एवं निर्माण की दशा मे दोष

१०. श्रमिक एवं नियोक्ता के बीच टकराव

११. वित्त की पर्याप्त अनुपलब्धता

१२. उत्पादन लागत मे वृद्धि

१३. तकनीकी पिछड़ापन

१४. उत्पादन के साधनो के जुटाव की समस्या

१५. स्पष्ट उद्देश्यो का अभाव व उद्देश्यो मे टकराव

१६. उपयुक्त संगठन के चुनाव की समस्या

१७. विपणन में कठिनाई

१८. नियन्त्रण और हिसाब देयता सम्बन्धी समस्या

१६. उद्योगो के स्थापन–स्थान सम्बन्धी समस्या

२०. यत्रो व संयत्रो के उचित रख रखाव की समस्या

२१. रुग्ण इकाईयो से सम्बन्धित समस्याये

लोक उद्यमो मे व्याप्त रुग्णता का निराकरण किया जाना समीचीन है। सरकार इस समस्या से निजात पाने के लिये 1991 से ही बहुत से लोक उद्यमो के निजीकरण को बढावा दे रही है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्योगो को छोड़कर सभी उद्योगो को लाइसेस प्रणाली से मुक्त कर दिया गया है जिससे निजी उद्योगपति भी उन्नति कर सके। टेलीफोन उद्यमो, विद्युत उद्योग जैसे महत्वपूर्ण लोक उद्यमो को भी सरकार द्वारा निजी उद्योगपतियो के हाथ मे सौंपना निजीकरण का प्रमुख उदाहरण है। निजीकरण से ही समस्या का निदान नहीं होगा। रुग्णता के समस्या के निराकरण के लिये निम्न कदम भी प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं

रुग्ण इकाईयों से सम्बन्धित समस्याओं को दूर करने के उपायः-

लोक उद्यमों मे जो भी रुग्ण इकाईयॉ हो उन्हें बन्द कर दिया जाय। स्वस्थ लोक उद्यम इकाईयों के साथ रुग्ण इकाईयों को मिलाने से रुग्णता और फैलेगी। यह बेहतर होगा कि स्वस्थ लोक उद्यमों से कुछ योग्य प्रबन्धकों को रुग्ण इकाईयों में नियुक्त किया जाय तथा उन्हें एक निश्चित कार्यकाल की गारन्टी दी जाय। इसके साथ–साथ रुग्ण इकाईयों के पुनर्वास से

सम्बन्धित कार्यक्रम के लिये औद्योगिक एव वित्तीय पुनर्निमाण परिषद को सौप देना चाहिये। जिन लोक उद्यमो मे वित्तीय समस्याये व्याप्त हो उनके लिये सरकार को हस्तक्षेप करके वित्तीय संस्थाओ से वित्त की पर्याप्त व्यवस्था करवाना चाहिये। सतत् रुग्णता तथा दीर्घकालीन ऋण दायित्व से इन रुग्ण इकाईयों मे ऋण समय अनुपात काफी उच्च हो गया है। अत. एक स्वस्थ्य वित्तीय सन्तुलन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये। लोक उद्यमो के उत्पाद राजस्व अथवा करो की वसूली से एक विशिष्ट कोष बनाया जाना चाहिये जिससे कि उनके पुनर्वास हेतु स्ववित्तीयकरण सुविधा जुटाई जा सके। लोक उद्यमों मे बढ़ती रुग्णता की जानकारी प्राप्त करने के लिये पूर्वानुमान विधि का प्रयोग करना चाहिये जिससे सम्भावित रुग्णता का तत्काल निदान किया जा सके। रुग्ण इकाइयो को अधिगृहीत करने के पहले प्रथम चरण मे एक कार्ययोजना प्रारूप तैयार किया जाना चाहिये। इसमे उत्पादकता सुनिश्चित करने एवे अपव्यय व्यवहारो को समाप्त करने से सम्बन्धित बातो के लिये श्रमिको से एक समझौता को भी शामिल किया जाना चाहिये। इकाई के रोजगार स्तर तथा पुनर्वास करने हेतु एक समय बद्ध प्रारूप तैयार किया जाना चाहिये। लोक उद्यमो के समक्ष एक बड़ी समस्या काम के अभाव की है। लोक उद्यमों द्वारा एक दीर्घकालीन योजना बनाकर उपलब्ध क्षमता के उपयोग को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिये। सरकार को प्राथमिकता के आधार पर इन उद्यमों को समुचित कार्यभार सौंपना चाहिये। लोक उद्यमों में व्याप्त रुग्णता की जाँच एक समिति द्वारा प्रतिवर्ष किया जाना चाहिये जिससे

रुग्णता के बारे मे यथाशीघ्र जानकारी प्राप्त हो सके और उसके रोकथाम के लिये आवश्यक कदम उठाया जा सके।

1. लोक उद्यम के आर्थिक उद्देश्यो को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिये, जिससे प्रबन्धकीय निष्पादन का मूल्याकन सम्भव हो। परम्परागत बजटिग के स्थान पर शून्य आधारित बजटिग व्यवस्था का प्रयोग किया जाना चाहिये। वित्तीय नियोजन व बजटिग व्यवस्था का समुचित प्रयोग किया जाना चाहिये। लोक उद्यमो को सरकार द्वारा वित्तीय समर्थन नही दिया जा रहा है, इसलिये इन्हे पूँजी व्यवस्था के लिये पूँजी बाजार का सहारा लेना चाहिये। इनहे विततीय एवं लेखांकन परम्पराओं मे सदैव एकरूपता स्थापित करनी चाहिये। वित्तीय एव लेखांकन विसंगतियों से वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन मिलता है। लागत नियंत्रण तथा लागत घेराव कार्यक्रमो को प्रबन्धकीय निष्पादन मूल्यांकन के लिये एक आधार के रूप मे निश्चित किया जाना चाहिये इन सब के माध्यम से उत्पादों एवं सेवाओं के मूल्य में स्थिरता लाई जा सकती है वित्त पर ही किसी उद्यम की सफलता निर्भर करती है, इसके अभाव मे तो एक कदम भी आगे बढना असम्भव है, इसकी पर्याप्त उपलब्धता लोक उद्यम की सफलता की कुंजी है। यदि यह पर्याप्त रूप से उपलब्ध है तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं उतपन्न हो सकती। इसकी व्यवस्था पर प्रबन्धक को पूर्णतया ध्यान देना चाहिये नहीं तो सभी विकास कार्य ठप्प पड़ सकता है वित्त की समस्या बहुत बडी समस्या है। अतः इसके निदान के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम उठाना परमावश्यक है।

2. लोक उद्यमो के लिये निर्धारित उद्देश्यो को प्रधान एव सहायक उद्देश्य के रूप मे वर्गीकृत किया जाना चाहिये लाभ कमाना भी इनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिये। सामाजिक उद्देश्यो को सहायक उद्देश्यो के रूप मे परिभाषित करके उनका वित्तीयकरण सृजित आधिक्य से किया जाना चाहिये अथवा उनकी क्षतिपूर्ति सम्बन्धित सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप मे की जानी चाहिये। लोक उद्यमों के सफल परिचालन हेतु मुख्य अधिशासी तथा प्रबन्धको के लिये सपष्ट उद्देश्यो का निर्धारण किया जाना चाहिये। स्पष्ट उद्देश्य एव लक्ष्यो के उपलब्ध होने पर ही प्रबन्धकीय हिसाबदेयता को सुनिश्चित किया जा सकता है। आर्थिक व्यावहारिक रूप में सम्भावी प्रत्याय की दर का स्पष्ट निर्धारण उद्यमों में किया जाना चाहिये। सरकार को श्वेतपत्र जारी करके लोक उद्यमो के मुख्य उद्देश्यो व लक्ष्यो को निर्धारित करना चाहिये जिससे लोक उद्यमो के उद्देश्य निर्धारण में किसी भी प्रकार का मतभेद उत्पन्न न हो। लक्ष्य निर्धारित होने पर उसको प्राप्त करने की दिशा मे लोक उद्यमों द्वारा भरसक प्रयास किया जायेगा, जो उन्हें उन्नति के मार्ग पर अवश्यमेव ले जायेगा।

3. सगठन में ही शक्ति निहित है; लोक उद्यम के कर्मचारीगण व प्रबन्धकगण को सगठित होकर लक्ष्य प्राप्ति के लिये प्रयासरत होना चाहिये। सगठन प्रारूप का आधार प्रबन्धकीय अधिकार अन्तरण का सिद्धान्त होना चाहिये। लोक उद्यमों की स्थापना के लिये ऐसे संगठन प्रारूप को चुना जाना चाहिये जिससे अधिकार अन्तरण तथा प्रबन्धकीय स्वायत्तता को बनाये रखा जा सके। सूत्रधारी कम्पनी प्रारूप का अधिकाधिक प्रयोग कर सम्बन्धित सहायक कम्पनियों एवं संयंत्रों को

कदम उठाया जा सके। बिजली की समस्या के समाधान के लिये जहाँ प
बिजली की अधिक माग उसके नजदीक विद्युत स्टेशन मे किसी भी प्रकार क
रुकावट न उत्पन्न हो। लोक उद्यमो के सफलता का मूल मत्र उत्पादन ही त
है। जनता के मांग के अनुसार उत्पादन होना परमावश्यक है। उत्पादन सम्बन्ध
समस्त समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान करना समीचीन है।

5. मानव शक्ति लोक उद्यमो का इजन है, इसके अभाव मे कोई भी कार्य असम्भव है। लोक उद्यम के लिये यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अस्त्र है। प्रबन्धन से लेकर उत्पादन तक का कार्य मनुष्य ही कर सकता है। कार्मिको की समुचित व्यवस्था तथा उपलब्धता सदैव बनी रहनी चाहिये, जिससे उत्पादन कार्य तथा प्रबन्धन मे किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो। आवश्यकता से अधिक कमचारियों की उद्यम के विस्तारण में अथवा लोक उद्यमों मे नियुक्ति की व्यवस्था की जानी चाहिये। कर्मचारियो के प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त एव उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिये। इससे कर्मचारियों की कार्मिक नीतियों, उत्पादकता में वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सकेगा। श्रमिक अनुशासनहीनता के मामले मे श्रम संघ के नेतृत्व को सरकार द्वारा अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिये बल्कि सरकार द्वारा उनको यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि उद्यम, जनता तथा उपभोक्ताओं का हित कर्मचारियों से ऊपर है। मानव शक्ति नियोजन के लिए एक विस्तृत ढॉचा तैयार किया जाना चाहिये। इसके अन्तर्गत कार्य की प्रकृति, स्तर तथा सीमा के अनुसार कर्मचारियों की सख्या का अनुमान लगाकर उपयुक्त समय के अन्दर उनकी नियुक्ति की जानी चाहिये। कार्मिक प्रबन्ध के

सम्बन्ध मे प्रबन्ध तन्त्र को पर्याप्त स्वायत्तता मिलनी चाहिये। इन मामलों मे सरकार को अनावश्यक हस्तक्षेप नही करना चाहिये।

6. कार्मिक प्रबन्ध के क्षेत्र मे भी व्यावसायीकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इससे कर्मचारियो को अभिप्रेरित एव उनके मनोबल को बढाने मे सफलता सुनिश्चत की जा सकेगी औद्योगिक संघर्ष का राजनीतिकरण एव उनका सरकारी स्तर पर सन्दर्भित किये जाने की प्रवृत्ति को कम किया जाना चाहिये।

7 अधिकतर उद्योग वित्त के अभाव में ही रूग्ण हो गयी है। अधिकांश रूग्ण इकाइयां वित्तीय संस्थाओ एवं बैक द्वारा प्राप्त करने वाली इकाइया है। इनको आवश्यक पूरी पूँजी एक साथ उपलब्ध नही की जाती तथा पूँजी की मात्रा भी कम रहती है। अत पूर्ण वित्त के अभाव मे सक्षम उत्पादन न कर पाने के कारण रूग्ण हो जाती है। वित्त प्राप्त करने के लिए लम्बे प्रावधान है इन प्रावधानों मे अधिक समय लगता है और इकाइयां रूग्ण हो जाती है। अत वित्तीय संस्थाओं और बैकों द्वारा प्रदान किये जाने वाले ऋण पर्याप्त मात्रा में तथा कम समय में ही उपलब्ध कराये जाय तथा वित्त प्राप्त करने वाले प्रावधानो को सरल एवं ग्राह्य योग्य बनाया जाय। ताकि अन्य इकाइयां जो इस समय वित्त की सहायता से कार्यरत है तथा भविष्य में स्थापित होने वाली है वित्त के अभाव एवं अपर्याप्तता से रूग्ण न होने पायें। रूग्णता की स्थिति में पुनर्वासन पैकेज के अन्तर्गत भी एक महीने के निर्धारित समय से कई महीने या

वर्ष लग जाते है। बैक एव वित्तीय सस्थाओ द्वारा एक कार्यदल का गठन किया जाय जो समय–समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त सस्थानो का निरीक्षण करें तथा आवश्यक सुझाव दे जिससे इकाइयॉ रूग्ण न होने पाये। बी0 पी0 सी0 एल0 व टी0 एस0 एल0 को रूग्णता से मुक्ति दिलाने के लिए इन इकाइयो मे सरकार को पर्याप्त मात्रा मे वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।

8. ऊर्जा या शक्ति की अनियमितता एव कमी उद्योगो की रूग्णता की श्रेणी मे खडी करती चली जा रही है। यदि शक्ति/विद्युत का उचित उपचार नही किया गया तो रूग्णता की स्थिति को और अधिक जटिल बना देगी। यदि समय रहते इसका समाधान नही किया गया तो भविष्य मे और इकाइया रूग्ण हो जायेगी। उद्योगो को रूग्णता से बचाने के लिए विद्युत केन्द्र खोले जायें ऊर्जा की कमी से रूग्ण होने वाली इकाइयो को तुरन्त ऊर्जा या जनरेटर की व्यवस्था की जाये। लोक उद्योगों को जनरेटर खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी दी जाती है लेकिन इससे उत्पादन लागत मे भी वृद्धि होती है। जिसके फलस्वरूप रूग्णता भी बढ सकती है। लोक उद्योगो को जनरेटर सेट किस्त प्रणाली पर दिया जाए तथा किस्त की रकम न्यूनतम हो जिससे उद्योगो को अदा करने मे कोई कठिनाई न हो दूसरी तरफ विद्युत विभाग को अपने कार्यो मे सुधार की आवश्यकता है। सड़क और गलियो में बिजली दिन भर जलती रहती है। उसको दिन मे बुझाने की व्यवस्था हो, इससे भी कुछ ऊर्जा बचेगी जो उद्योगों मे काम आ सकती है। इसके साथ विद्युत चोरी को रोका जाय इससे भी ऊर्जा की बचत होगी। जिससे उद्योगें की रूग्णता को कम किया जा सकता है और

भविष्य मे विद्युत से होने वाली रूग्णता को रोका जा सकता है सरकार द्वारा औद्योगिक आस्थानो मे अलग विद्युत उत्पादन केन्द्र खोला जाय अथवा सौर ऊर्जा स्थापित किया जाय इसके अतिरिक्त उद्योग भी व्यर्थ शक्ति बरबाद न करे विद्युत की बचत से विद्युत का उत्पादन होगा जो उद्योगो के काम मे आयेगी। अतः इस प्रकार उद्योगों को रूग्णता से बचाया जा सकता है और भविष्य मे विद्युत की कमी से होने वाली रूग्णता से बचा जा सकता है।

9 मांग के अभाव मे इकाइया रूग्ण हो जा रही है। अत रूग्णता न होने देने के लिए लोक उद्योगो द्वारा उत्पादित मालो की मॉग बढायी जानी चाहिये। इसके लिए निदेशालय द्वारा एक विक्रय सस्थान खोला जाना चाहिए जहॉ ऐसी इकाइयो द्वारा उत्पादित मालो का विक्रय हो। इसके अतिरिक्त उद्योगो का अपनी वृद्धि बढाने के लिए उत्पादो के साथ मुक्त उपहार योजना को आरम्भ करना चाहिए इससे उसके मालो की मॉग मे वृद्धि होगी। उद्यमियों को अपने उत्पादो के लिये उचित किस्म तथा कम मूल्य निर्धारित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मेलो, प्रदर्शनियो आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे उद्यमी अपने उत्पादो को सामने ला सके और बिक्री में वृद्धि हो सके। इस प्रकार जो इकाइयॉ रूग्ण हो रही है या रूग्ण होने वाली है उनको बचाया जा सकता है।

उत्पादन कम रहने के कारण होने वाली रूग्णता को अधिक क्षमता द्वारा कम किया जा सकता है तथा भविष्य मे रोका जा सकता है। कभी–कभी उत्पादन क्षमता में कमी संयंत्रों के पुराने हो जाने के कारण होती है। उत्पादन

क्षमता बढाने के लिये उद्यमियो को अपने सयत्रो का उचित रख–रखाव करना चाहिए तथा समय–समय पर जॉच पडताल करानी चाहिए। प्राय देखा गया है कि उद्यमी सयत्रों का उचित रख–रखाव नही करते उन्हे चाहिए कि उन पर ध्यान दे तथा समय–समय पर जॉच पडताल करें, उपकरणो की क्रियाशीलता तथा उत्पादन की अबाध सम्पन्नता, सुनियोजित कारखाना अनुरक्षण पर भी निर्भर करता है इससे श्रेष्ठ कार्यक्षमता एव कम लागत आती हे। यदि उत्पादन मे कमी सयंत्रो के कारण हो रही है तो अविलम्ब उसकी पूर्ति करना चाहिए। जिला निदेशालय द्वारा उत्पादन बढाने के तरीको को ऐसे उद्योगो मे एक दल समय–समय पर भेजकर उद्योगो की समस्याओ आदि की जानकारी प्राप्त करना चाहिए तथा उन समस्याओ का निदान करने तथा उनके उत्पादन बढाने के तरीको की समीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार वर्तमान मे उद्योगो की रूग्णता को दूर किया जा सकता है।

10 गुण नियत्रण के अभाव के कारण रूग्ण उद्योगो को बचाने के लिये जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सचालित गुण चिन्हाकन योजना के द्वारा तुरन्त लाभान्वित किया जाय। इसके अतिरिक्त सभी लोक उद्योगो को चिन्हाकन योजना के तहत लाया जाय या उनके लिये अनिवार्य बनाया जाये।

आवश्यकता इस बात की है कि जनपद में एक ही केन्द्र पर सभी प्रकार की वस्तुओं का चिन्हांकन किया जाय इसके अतिरिक्त निश्चित समय पर उनका पुनः निर्धारण किया जाए और उनकी गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया

जाय। उद्यमियो को भी चाहिए कि अपनी वस्तुओ की किस्म उच्छी रखे तभी उनकी वस्तुएँ बार–बार बिकेगी तथा अधिक मात्रा मे बिक पायेगी। इस प्रकार उच्च गुण नियन्त्रण बनाये रखकर वर्तमान तथा भविष्य के उद्योगो के रूग्णता से बचाया जा सकता है। बी0 पी0 सी0 एल0 व टी0 एस0 एल0 अपने उत्पादों के गुण पर नियन्त्रण रखने मे निरन्तर असफल हो रहे है जिससे ये अपनी उत्पाद की पूर्ण बिक्री करने मे भी असफल हो जाते है। पूर्ण विक्री न होने की दशा मे यह उद्यम लगातार हानि अर्जन करना प्रारम्भ कर देते है।

11 यदि उद्योगो के प्रबन्धक के पास प्रबन्धकीय निर्देशन, नियत्रण, वित्तीय **मामलों से सम्बन्धित कार्यक्षमता नहीं है तो उसका उपयोग नहीं कर पाते और** इकाई रूग्ण होती चली जाती है। इसके अतरिक्त प्रबन्धक वर्तमान तथा भविष्य मे सचालित तरह–तरह की सुविधाओ आधुनिक तकनीकों आदि की जानकारी न रखने के कारण उसका लाभ उठा नही पाते फलस्वरूप उद्योग रूग्णता के कगार पर पहुँच जाते है। इस प्रकार की रूग्णता की रोकथाम के लिए वित्तीय संस्थाओं एव बैंको द्वारा केवल उन्ही उद्यमियो को ऋण दिया जाय जो किसी मान्यता प्राप्त सस्थानो से प्रबन्धकीय योग्यता प्राप्त किया हो। उद्यमी प्रबन्धकीय क्षमता की उचित प्रयोग कर अपने उद्योगों मे रूग्णता को आने नही देती है। जिला उद्योग निदेशालय द्वारा भी उद्यमियो को प्रशिक्षण दिया जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि उद्यमियों को इस योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य हो और निदेशालय द्वारा प्रशिक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाय। विद्यमान तथा भविष्य में इस कारण से होने रूग्णता के निदान के लिए

प्रशिक्षण व्यवस्था पर अधिक ध्यान दिया जाय तथा समय–समय पर गोष्ठियो, कार्यशालाओ आदि का आयोजन किया जाय और उसमे उद्यमी को इस सम्बन्ध मे जानकारी दी जाए इस प्रकार वर्तमान मे तथा भविष्य मे इस कारण से होने वाली रूग्णता को काफी सीमा तक हल किया जा सकता है।

12. समाज में अक्सर ऐसी घटनाएँ घटती रहती है जिससे उद्योगो को भारी क्षति पहुँचती है। इस असम्भावितता को टाला नही जा सकता है। इस प्रकार से होने वाली रूग्णता से बचाव के लिए उद्योग निदेशालय या अन्य ऐसी किसी सस्था का निर्माण करे जो लोक उद्योगो का बीमा करायें इस योजना मे प्रीमियम की राशि न्यूनतम रखी जाए। इस प्रकार सामाजिक कारणो से भविष्य मे होने वाली रूग्णता को दूर किया जा सकता है।

13. उद्योगो की रूग्णता का मनोवैज्ञानिक कारण सबसे महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक कारण ही सभी प्रकार की रूग्णता का आधार है इस प्रकार की रूग्णता से बचाने के लिए उद्यमियो को अपने आप को नम्र या विनम्र बनाये रखना चाहिए। प्रबधकों को दूसरो तथा श्रमिको के मनोवल कार्यप्रेरणा एव सहयोग की भावना को प्रेरित करती है। प्रबन्धकों को श्रमिको के साथ अच्छे सम्बन्ध रखना चाहिए यदि श्रमिको के साथ अच्छे सम्बन्ध है तो श्रमिको का मनोबल बढ़ेगा और वे उन्हे सहयोग प्रदान कर उद्यम की कार्य कुशलता से वृद्धि करेंगें प्राय: देखा जाता है कि प्रबन्धक अपने को बहुत उच्च समझने लगते हैं और श्रमिकों को निम्न दृष्टि से देखते है। इससे श्रमिकों का मनोबल गिर

जाता है। श्रमिको को जीवन निर्वाह हेतु उचित पारिश्रमिक सामाजिक सुविधाए, उचित वातावरण, अवकाश आदि की सुविधाए देकर इस प्रकार की रूग्णता से बच सकते है।

14 लोक उद्यमो के दिन–प्रतिदिन मामलो में सरकार को हस्तक्षेप नही करना चाहिए नीत निरूपण तथा लक्ष्य निर्धारण मे ही सरकार को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। स्वायत्तता तथा हिसाबदेयता में उपयुक्त सन्तुलन स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये। इस सम्बन्ध मे सरकार के लिये यह उपयुक्त होगा कि वह आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग तथा अर्जुनसेन गुप्त समिति के सुझावों को सही दिशा मे क्रियान्वित करे।

प्रेस को भी लोक उद्यमों से सम्बन्धित सूचनाओ को प्रयुक्त करने मे विवेकपूर्ण व्यवहार अपनाना चाहिये कि तथ्यो का पक्षपात रहित होकर प्रस्तुत करना ही उनका कर्तव्य है।

ससद सदस्यो को भी अपने प्रश्नो को केवल नीति विषयक एव बडी समस्याओ तक ही सीमित रखना चाहिए अनावश्यक प्रश्न व महत्वहीन प्रश्नों के पूछने से वे संसद तथा लोक उद्यम दोनो के अमूल्य समय को बरबाद करते है।

संग्रहिका

क्र0सं0	लेखक	पुस्तक एव प्रकाशक का नाम
1	हैन्सन ए0 एच0	पब्लिक इण्टरप्राइज एण्ड एकोनोमिक डेवलपमेण्ट, लन्दन राउटलेज एण्ड कीगन पाल लिमिटेड, 1972
2	खेरा एस0 एस0	गोवर्नमेन्ट इन बिजनेस, नेशनल पब्लिशिग हाउस न्यू देलही, 1977
3	दत्ता आर0 सी0	भारत में लोक उद्यम, भारतीय प्रबन्ध संस्थान कलकत्ता, 1988
4	प्रकाश ओम	द थ्योरी एण्ड वर्किग ऑफ स्टेट कारपोरेशन्स विथ स्पेशल रिफरेन्स टू इण्डिया, 1962
5	गुप्ता एन0 एस0	इण्डस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऑफ इण्डिया ड्यूरिंग मेडिवल पीरियेड, 1970
6	प्रकाश जगदीश व शुक्ल माता बदल	भारत में लोक उद्यम, प्रयाग पुस्तक भवन इलाहाबाद, 1998
7	प्रकाश जगदीश, मुखर्जी ए0 के0 व अन्शुमान खरे	इण्डस्ट्रियल सिकनेस एण्ड रीवाइवल, प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 1996
8	एन0 जी0 दास	द पब्लिक सेक्टर इन इण्डिया एशिया पब्लिशिंग हाउस बाम्बे, 1961
9.	सिंह अरूणेश	भारतीय अर्थव्यवस्था अभिव्यक्ति प्रकाशन, 1999
10.	भगवती जे0 एन0	अल्प विकसित देशों का अर्थशास्त्र, युनिवर्सिटी लाइब्रेरी , लन्दन, 1966

सर्वेक्षणात्मक पुस्तकें

1. भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 99–2000, 2000–2001 व 2001–2002

2. भारत सरकार सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 98–99, 99–2000, 2000–2001

3 रिजर्व बैक ऑफ इण्डिया, रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स 2000–2001

4. भारत यन्त्र निगम के वित्तीय संकेतांक

5. विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदन, भारत यंत्र निगम

6. योजना जुलाई 2000

7. टाटा आउट लाइन ऑफ इण्डिया, 2000–2001

8. लोक उद्यम सर्वेक्षण 1997–2002